खण्ड-266, अंक-1
सोमवार, 21 चैत्र, शक संवत् 1888
(11 अप्रैल, 1966 ई0)

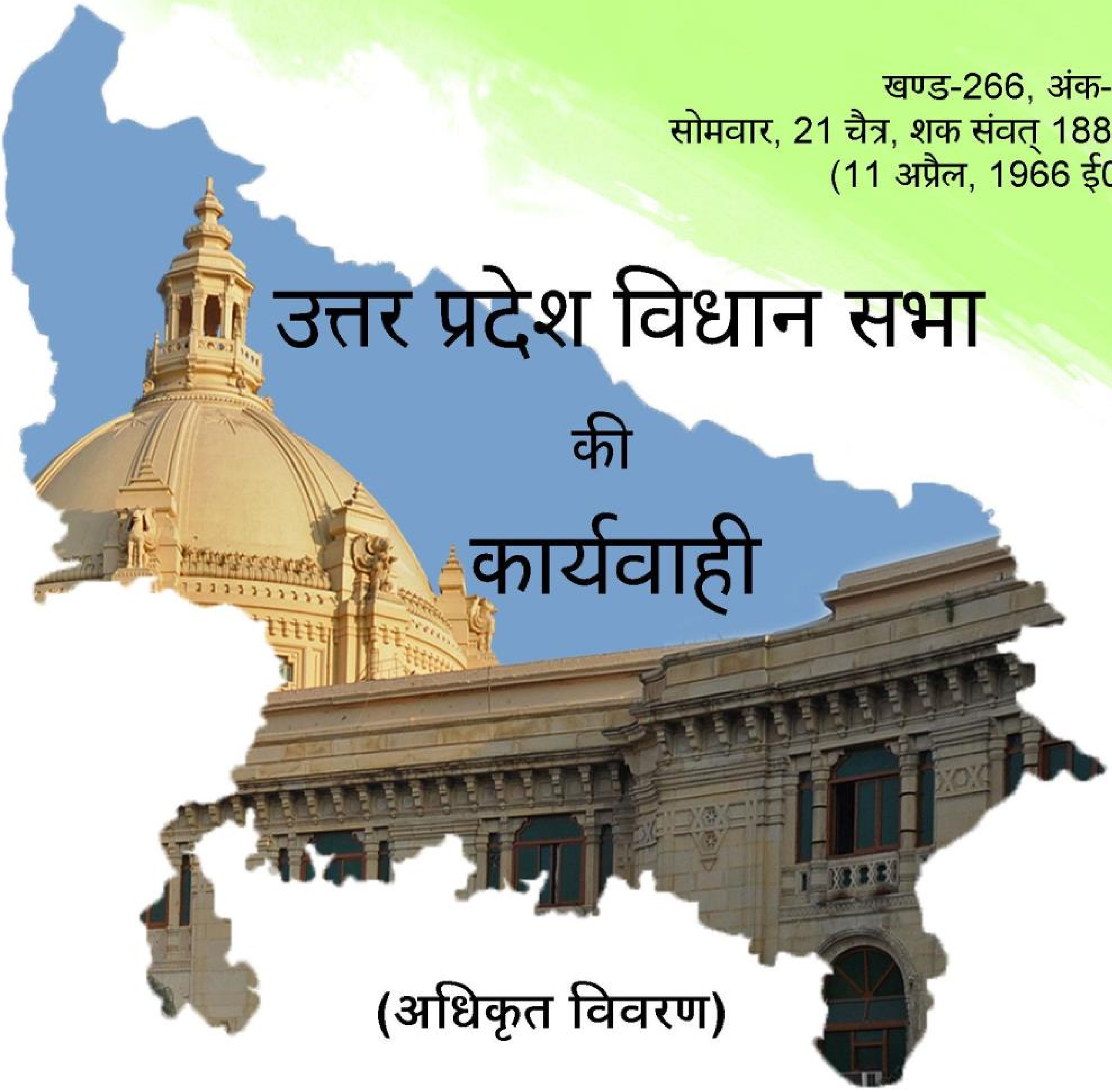

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 266 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

LEGISLATURE LIBRARY
SEP 1969
131798

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ११ अप्रैल, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरंभ हुई।

उपस्थित सदस्य—३४७

अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलसिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले, श्री
(उपनाम छन्नन गुरु)
कल्याण राय, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पान्डेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री

गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशराराण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डे राय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पान्डेय, श्री
नियाज हसन खां, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथ सरन सिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती

प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
वंकटासिंह, श्री (टुन्नू सिंह)
बंशीधर पान्डेय, श्री
वंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
विशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेदराम, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूदहसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारी लाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मदरफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लनजी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय, कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पान्डेय, श्री

रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामेश्वर नाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनय लक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
वीरसेन, श्री
बैजनाथ पाण्डेय, श्री
शंकर लाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषण सिंह, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्री राम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पाण्डेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री

सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हर्माद खां, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

वित्त मंत्री, श्री कैलाश प्रकाश, भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ११ अप्रैल, १९६६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

[राज्य खाद्य निगम]

**१—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खाद्य संकट को देखते हुए वह उत्तर प्रदेश में राज्य खाद्य निगम की स्थापना पर तुरन्त ध्यान देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि वह एक खाद्य निगम की स्थापना की जरूरत महसूस करते हैं अथवा नहीं ? अगर करते हैं तो उसकी स्थापना में वह क्या कठिनाई महसूस करते हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

केन्द्रीय सरकार ने अपना खाद्य निगम स्थापित कर दिया है । अब उनसे बातचीत होगी कि प्रदेश में उसकी ब्रांच हो अथवा स्वतंत्र निगम बने ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मेरा सवाल यह है कि वह आवश्यकता महसूस करते हैं अथवा नहीं ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

आवश्यकता तो हम मानते हैं और इसके लिये कुछ न कुछ करना पड़ेगा लेकिन वर्तमान परिस्थिति जो है वह बतला दी कि अभी उस पर पूर्ण विचार नहीं हुआ है ।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या प्रान्तीय सरकार ने केन्द्रीय खाद्य निगम की ब्रांच यहां स्थापित करने के लिये उनसे कोई बातचीत की है ? यदि हां, तो वह किस अवस्था में हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

उनके एक आध प्रतिनिधि आये थे और उनसे बातचीत हुई थी। वह अनुभव के लिये एक आध जिले में गये भी जहां उन्होंने खरीद देखी। लेकिन जितनी शर्तें हैं वे अभी तय नहीं हुई हैं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

क्या यह मसला ५ वर्षों से सरकार के बिचाराधीन है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

केन्द्रीय सरकार ने तो पिछले साल ही अपना खाद्य निगम कानून पास किया है।

श्री कमला सिंह यादव---

इस खाद्य निगम की स्थापना जो बिचाराधीन है कब तक स्थापना हो जायगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

अब यह केन्द्रीय सरकार से बातचीत करने पर निर्भर करता है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

खाद्य के संबंध में मंत्रियों की जो बैठक हुई है उसमें इस पर बातचीत की गयी और केन्द्रीय सरकार के इस संबंध में क्या बिचार हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

यह इससे संबंध नहीं रखता।

श्री नरसिंह नारायणपान्डेय (जिला गोरखपुर)---

जैसा बतलाया गया कि कुछ शर्तों पर विचार विनिमय हो रहा है तो मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन सी शर्तें हैं जिनके तय होने में कठिनाइयां हैं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

प्रश्न यह है कि निगम स्थापित होने पर जो स्टाफ पहले से है उसका क्या होगा। फिर जो गल्ला वसूल होगा वह हमारी इजाजत से दूसरे सूबों में भेजा जायगा अथवा नहीं और पहले हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे अथवा नहीं ? बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो प्रदेश के हित के हैं।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)---

होर्डस और ट्रेडर्स की तरफ से कुछ नीति ढीली है। सरकार से मैं सीधे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार राज्य में खाद्य निगम को स्थापित करने से इंकार करने को तैयार है ?

श्री जग मोहन सिंह नेगी---

होर्डर्स से इसका कोई विशेष संबंध नहीं मालूम होता। खाद्य निगम बनेगा तो होर्डर्स को फ्री मार्केट मिलेगा या नहीं और मानोपोली होगी अथवा नहीं, यह सब बात बिचारणीय होंगी।

श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)---

कांग्रेस पार्टी ने अपने अधिवेशन में स्टेट ट्रेडिंग के जरिये जो खाद्य संकट को दूर करने का प्रस्ताव पास किया है उसको ध्यान में रखते हुए वह खाद्य निगम स्थापित करने को तैयार अथवा नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जो माननीय सदस्य ने कहा कि आंशिक सफलता मिली है, मैं समझता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में वह बड़ी भारी सफलता है। जहां तक स्टेट ट्रेडिंग का सवाल है, मैं व्यक्तिगत रूप से कई बार कह चुका हूं कि मैं इसके पक्ष में हूं लेकिन यह तो सदन और गवर्नमेन्ट की सामूहिक नीति पर निर्भर करता है।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

मंत्री जी ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में भी इस निगम की आवश्यकता महसूस करते हैं। तो उस निगम से आप किन-किन कामों को लेना चाहते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

शायद माननीय सदस्य को स्पष्ट नहीं हुआ है। मैंने यह कहा था कि निगम की आवश्यकता है। वह केन्द्र का हो या अपना स्वतंत्र हो, यह विचाराधीन है।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो उन्होंने यह निश्चय लिया है कि अगले अगस्त से पांच महानगरियों में राशनिंग लागू की जायगी तो उसके लिये गल्ला खरीदने के लिये क्या मशीनरी सेट अप कर रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अगस्त से राशनिंग करने का विचार किया है, यह थोड़े ही कहा है कि जरूर कर ही देंगे।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

मैं यही पूछ रहा हूं कि उसमें क्या तरीका सोचा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उसके लिये कुछ लेवी सिस्टम से वसूल करेंगे, कुछ केन्द्रीय सरकार देगी अगर उसको चालू किया। नहीं चालू किया तो पार्शल राशनिंग के लिये भी यही तरीका है।

श्री शिवराजसिंह—

मंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में स्टेट ट्रेडिंग कायम करने के लिये उन्हें सदन की राय की आवश्यकता है। तो क्या वह इस प्रश्न पर सदन की राय लेने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जब पार्टी ही राजी नहीं है तो सदन कैसे राजी हो सकता है ?

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

जिस समय केन्द्रीय खाद्य निगम बनाया जा रहा था उस समय कहा गया था कि हर राज्य में खाद्य निगम बनाये जायेंगे। तो अब क्या बात हुई कि उत्तर प्रदेश में जो कि देश का सबसे विशाल प्रान्त है खाद्य निगम बनाने में अड़चनें पैदा हो रही हैं? इसके अतिरिक्त जो कठिनाइयां मंत्री जी ने बतायीं बिलकुल उसी प्रकार की कठिनाइयां केन्द्रीय सरकार की थीं और जिस तरह से केन्द्रीय सरकार ने उन कठिनाइयों को दूर किया है उसी मार्ग पर चल कर क्या यह सरकार उन कठिनाइयों को दूर नहीं कर सकती ? इन दो बातों का उत्तर मैं चाहता हूं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

केन्द्रीय खाद्य निगम जब बना तो दक्षिण में एक-एक सूबा कर के कुछ कार्य को हस्तगत किया, एक साथ सब चीजों को नहीं ले रहे हैं। अलग-अलग प्रान्तों में उसकी शाखा खोलें या हम आपा

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

स्वतंत्र निगम बनायें, इसके लिये उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी। वह धीरे-धीरे हर प्रदेश में कर रहे हैं। एक साथ कैसे मजबूर किया जाय ? यह उनकी शक्ति के बाहर है कि इस काम को कर सकें।

अध्यक्ष, नगरपालिका, चन्दौसी के त्याग-पत्र का नोटीफिकेशन न होना

**२—श्री हेतरामसिंह (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चन्दौसी नगरपालिका के अध्यक्ष ने जो अपने पद से ३१ दिसम्बर, १९६५ को त्याग-पत्र दिया था उसे आयुक्त महोदय बरेली ने दिनांक ३१ जनवरी, १९६६ को स्वीकार किया और यू० पी० गजट में अभी तक नोटीफिकेशन नहीं हुआ? यदि हां, तो उसका कारण क्या है और इस देरी के लिये कौन जिम्मेवार है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और दोषी व्यक्तियों को सजा देगी और शीघ्रातिशीघ्र अध्यक्ष का चुनाव कराने की कृपा करेगी ?

वन मंत्री (श्री चरणसिंह)—

इस संबंध में जांच की जा रही है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जायगी। अध्यक्ष के चुनाव की कार्यवाही की जा रही है।

तारांकित प्रश्न

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८, के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न)

पुवायां तहसील में वन विभाग की भूमि के पट्टे

*१—सर्वश्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर) तथा विक्रम शाह (जिला शाहजहांपुर)—

क्या वन मन्त्री जी को पता है कि जिला शाहजहांपुर की तहसील पुवायां ग्राम बरीबरा नवदिया, बकी और गहलुइया में वन विभाग के जंगल हैं और क्या यह भी सही है कि उपरोक्त जंगल काटे गये और बाद में कुछ कृषकों को सीरदारी के हक पुवायां के राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा दिये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

कृषि उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

जी हां। जिला शाहजहांपुर की तहसील पुवायां के ग्राम बरीबरा, नवदिया, बंकी और गहलोइया में वन विभाग के जंगल हैं जिसमें कुछ जंगल स्थानीय लोगों द्वारा अनाधिकृत रूप से काटे गये और ग्राम समाज द्वारा कुछ वन भूमि के पट्टे भी लोगों को अनधिकृत रूप से दिये गये जिनको दाखिल खारिज के समय राजस्व विभाग के अधिकारियों ने अनुमोदित किया।

*२—श्री सुरेन्द्र विक्रम तथा श्री विक्रम शाह—

क्या वन मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त ग्रामों में कितने एकड़ जमीन वन विभाग की थी और उसमें से कितनी जमीन पर अब कृषकों को सीरदारी का हक प्राप्त हो गया है, और इससे वन विभाग को कितना नुकसान हुआ और इस विषय में अब तक विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

उपरोक्त ग्रामों में कुल १७०८.५९ एकड़ भूमि वन विभाग की थी और उसमें से २२४.६८ एकड़ भूमि पर कृषकों को सीरदारी का तथा १२३.६३ एकड़ भूमि पर भूमिधारी का हक प्राप्त हो गया है और इससे वन विभाग को इस समय ३४८.३१ एकड़ भूमि तथा उस पर उगे वन की

हानि हुई है और उसको बेदखल कराने के लिये सम्बन्धित न्यायालय में मुकदमें दायर किये जा रहे हैं ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब जंगल अनधिकृत रूप से काटे जा रहे थे और जमीन जोती जा रही थी तो उसके रोकने के लिये वन विभाग के कर्मचारियों ने क्या कदम उठाया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

असल में जो भूमि जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् निहित हुई थी उसका सीमांकन नहीं हो पाया जिससे पता नहीं लग सका कि कौन-सी भूमि वन विभाग में है और कौन-सी बाहर है । इसलिये यह हुआ ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कुमायूं के तहसीलदार या राजस्व विभाग के अधिकारियों ने इस भूमि के पट्टे देते समय वन विभाग को पार्टी बनाया या नहीं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

वन विभाग के अधिकारियों को कोई नोटिस नहीं मिला। अगर मिल जाता तो वन विभाग जरूर उजरदारी पेश करता ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुये कि इतने बड़े रकबे पर काश्तकारों के पट्टे हो गये और वन विभाग के अधिकारी कान में तेल डाले सोते रहे तो उनके खिलाफ कोई गम्भीरतापूर्वक कदम उठाने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने कहा वह ठीक है कि जिन लोगों ने कब्जा कर लिया है उनके पास पहले जमीन नहीं होगी या किसी मजबूरी के तहत उन्होंने कब्जा किया होगा। लेकिन यह वन विभाग की भूमि है और उन्होंने कानून का उल्लंघन करके कब्जा किया है । यह कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है ?

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

श्रीमन्, मुझे यह निश्चित रूप से जानकारी है कि पट्टे देने में २५ हजार रुपये की रिश्वत ली गई है। ऐसी सूरत में वन विभाग का नुकसान हुआ है, तो क्या मंत्री जी राजस्व विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ सी० आई० डी० की इंक्वायरी कराने की सोचेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

श्रीमन्, इसकी सूचना नहीं है । अगर माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो छानबीन की जायेगी ।

श्री हरिनाथ तिवारी ऐडवोकेट (जिला फैजाबाद)--

राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने जान-बूझ कर नाजायज काम किया है, इसलिये क्या वे उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने के लिये तैयार हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

श्रीमन्, पट्टा तो गांव समाज देता है । वन विभाग के अधिकारी नहीं देते हैं । अगर वन विभाग के अधिकारी देते तो बेशक वह जरूर इसको करते ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि लैंड मैनेजमेंट कमेटी होती है, उस के प्रस्ताव को स्वीकृति रेवेन्यू विभाग दे सकता है। गांव समाज तो प्रपोजल दे सकता है। ज्ञान होते हुये भी कर्मचारियों ने पट्टे क्यों होने दिये ? क्या इसके लिये मंत्री जी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने के लिये तैयार हैं ?

श्री चरणसिंह---

अध्यक्ष महोदय, मैंने जवाब इस बात का दिया जो माननीय मित्र ने कहा था कि जिन वन के अधिकारियों ने स्वीकृति दी है उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे। रेवेन्यू के अधिकारियों की बाबत पहले कहा जा चुका है। रेवेन्यू के अधिकारियों ने वन अधिकारियों को सूचना नहीं दी। बहुत से माननीय मित्रों ने कहा कि कान में तेल डाल कर सोते रहे, वन अधिकारियों को सूचना नहीं थी कि जमीन खाली पड़ी हुई थी और किस के नाम पट्टे कर दिये। इसके अलावा वन के अधिकारियों की इतनी बड़ी तादाद नहीं होती कि हर एक डंडा लिये खड़ा रहे उनका बड़ा भारी जुरिस्डिक्शन है। राजस्व के अधिकारियों की गलती हो सकती है क्योंकि उन्होंने म्युटेशन कर दिया, तो कार्यवाही की जा सकती है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

यह बात देखते हुये कि पीलीभीत, लखीमपुर, शाहजहांपुर में ऐसी विवादग्रस्त भूमि है, इस का मुस्तकिल रूप से डिमार्केशन करवाने की मंत्री जी कृपा करेंगे और इसके लिये कोई कमेटी मुकर्रर करेंगे ?

श्री चरणसिंह---

कमेटी की आवश्यकता नहीं है। दरअसल इंडियन फारेस्ट ऐक्ट के मातहत रिजर्वेशन की प्रोसीडिंग्ज होनी चाहिये। फारेस्ट सेटिलमेंट आफिसर की नियुक्ति होनी चाहिये और सब को नोटिस दे कर जिसके जो क्लेम्स हों उन क्लेम्स पर निर्णय हो जाय और यह बिलकुल फाइनल हो जाय। लेकिन १९५२ में जब से जमीन दी गयी तब से बहुत थोड़ा कार्य हो पाया है। २५-३० लाख एकड़ जमीन इस तरह की है जो फारेस्ट डिपार्टमेंट को मिली लेकिन सेटिलमेंट प्रोसीडिंग्ज ५-६ लाख एकड़ में हो पायीं। वन विभाग की तरफ से इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अब वन विभाग इसी बात पर ज्यादा ध्यान दे रहा है ताकि एक दफा यह बात फाइनल हो जाय।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

उत्तर में बताया गया है कि सम्बन्धित न्यायालय में मुकदमें दायर किये जा रहे हैं। यह मुकदमें कितने हैं और किस अदालत में दायर किये जा रहे हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

कुछ मामले तो अदालत में जा चुके हैं। नवदिया, बंकी, गहलौरिया के मामले और जाने हैं। उनकी तादाद बहुत है अगर आप आज्ञा दें .....

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

किस अदालत में ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

एस० डी० एम० की अदालत में।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

अध्यक्ष महोदय, एस० डी० एम० ने पट्टे किये हैं। उनकी अदालत में कैसे सुनवाई होगी ?

श्री अध्यक्ष--

आप कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

मैं यह दरियाफ्त करना चाहता हूं कि जिन पट्टों पर उन्होंने अनुमोदन कर दिया है, उनके अलावा बहुत से पट्टे ऐसे हैं जो उनके यहां पड़े हुये हैं, तो फारेस्ट भूमि बनाने के लिये ऐसे आदेश दिलायेंगे कि जब तक उन पर अन्तिम निर्णय न हो जाय, राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई पट्टा तस्दीक न किया जाय ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

जो विवादग्रस्त भूमि है उस पर पट्टे आगे हो नहीं सकते, चूंकि न्यायालय में मामला है। ग्राम सभा को भी सूचना है।

गाजियाबाद नगरपालिका का चुनाव कराने की मांग

*३--श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में जब वह गाजियाबाद पधारे थे तो उनके सामने यह मांग रखी गई थी कि गाजियाबाद के विकास के नाम पर नगरपालिका गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट गाजियाबाद को सुपरसीड करके सब अधिकार एक व्यक्ति को दे दिये गये हैं, जिसके फलस्वरूप आम जनता को बहुत कष्ट हो रहा है ? अगर हां, तो क्या मन्त्री जी इन संस्थाओं को पुनर्जीवित करने पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)--

जी हां, इस तरह की मांग रखी गई थी।

अभी नगरपालिका के सदस्यों का चुनाव तथा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में ट्रस्टियों को नियुक्त करने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

श्री तेजसिंह--

माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि म्युनिसिपल बोर्ड को सुपरसीड करने के क्या कारण थे और अगर वह कारण पूरे हो गये तो चुनाव करवाने में क्या कठिनाई है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

अध्यक्ष महोदय, गाजियाबाद के विकास का कार्य प्रारम्भ है मास्टर प्लान के अन्तर्गत। निर्वाचित सदस्यों को नगरपालिका एवं इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, इन दोनों के बीच अगर विकास का कार्य होता तो आपस में मतभेद होने की सम्भावना थी। ऐसी स्थिति में एक प्रशासक द्वारा इस नियोजित विकास को कराया जा रहा है।

श्री ए० सी० प्राइस (नाम निर्देशित, आंग्ल भारतीय)--

जैसे पहले जब ऐडमिनिस्ट्रेटर था तो सरकार ने एडवाइजरी कमेटी कायम की थी, तो जब तक सुपरसेशन खत्म न हो जाय और इलेक्शन न हो जाय, तब तक के लिये सरकार एडवायजरी कमेटी कायम करेगी।

श्रीमती तारा अग्रवाल--

यह जो गाजियाबाद ट्रस्ट है, उसमें एक कमेटी बनी हुई है जो चार सदस्यों की है और यह चेयरमैन से लेकर सदस्यों तक की है ।

श्री तेजसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के डेवलपमेंट का जितना कार्य है, वह म्युनिसिपल बोर्ड की हद्द के बाहर हो रहा है, उसके अन्दर नहीं हो रहा है ? उसकी हद्द के अन्दर उसने सिर्फ एक कालोनी बनाई है जो कि मुकम्मल हो चुकी है । तो ऐसी हालत में जब डेवलपमेंट का कार्य उसकी सीमा के बाहर हो रहा है, यदि म्युनिसिपल बोर्ड को कायम कर दिया जाये तो उसमें क्या रुकावट पड़ेगी ?

श्री चरणसिंह---

माननीय सदस्य ने यह स्वयं स्वीकार किया है कि कुछ कार्य म्युनिसिपल एरिया के अन्दर भी हो रहा है, तो उस हद तक ही सही, लेकिन कुछ कठिनाई और मतभेद पैदा होने का सवाल तो है । इसके अतिरिक्त जो उसकी सीमा के बाहर हो रहा है, वहां तक भी म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा अपनी सीमा बढ़ाने का सवाल है, इसके लिये एक नोटीफिकेशन भी हुआ है । इसलिये वहां पर भी भेद पैदा हो सकता है और कठिनाई पैदा हो सकती है । यों तो मेरी राय और इच्छा यही है कि म्युनिसिपल बोर्ड पुनः जीवित हो जाये और इस बारे में मैं उनसे (माननीय सदस्य) बात करना चाहूंगा और इसमें मुझे खुशी होगी । लेकिन मुझे फिलहाल कठिनाई मालूम पड़ती है, जो कि जाहिर है ।

श्री ऊदल---

विकास का काम कब तक खत्म हो जायगा और नगरपालिका कब तक अस्तित्व में आ जायेगी ?

श्री चरणसिंह---

सके लिये कोई तारीख नहीं रखी जा सकती ।

सीतापुर में राशन की दूकानों से अरहर की दाल अनिवार्य रूप से दिये जाने की शिकायत

*४---श्री विपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर), श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा) तथा श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)---

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि होली के अवसर पर सीतापुर नगर में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से सूजी तथा मैदा लेने वाले कार्ड होल्डरों को अरहर की दाल भी अनिवार्य रूप से बेची गई ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

होली के अवसर पर सीतापुर नगर में सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों से सूजी तथा मैदा लेने वाले कार्ड होल्डरों को अरहर की दाल अनिवार्य रूप से नहीं बेची गई ।

*५---श्री बिपिनबिहारी तिवारी, श्री राजेन्द्रसिंह तथा श्री रक्षपालसिंह---

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रश्न में उल्लिखित जो अरहर की दाल बेची गई उसका प्रति किलो मूल्य क्या लिया गया तथा उस समय खुले बाजार में अरहर की दाल का मूल्य क्या था ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बिपिन बिहारी तिवारी--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि रीजनल फूड कन्ट्रोलर ने सीतापुर में अरहर भेजी और जब उसमें सरकार को घाटा होने लगा तो उसकी दाल बनवाई गयी और वह वहां के दूकानदारों और सरकारी फेयर प्राइज शाप वालों को बेचने के लिये दी गयी और वहां के मार्केटिंग इंस्पेक्टर ने उस दाल को जबरदस्ती बेचवाया ? और वह दाल अनिवार्य रूप से राशन वालों को जबरदस्ती दी गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जबरदस्ती तो नहीं बेची गयी, लेकिन दूकानदारों को दी गयी और यह ऐच्छिक था कि कोई ले या न ले ।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी--

मान्यवर, अभी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । मेरा प्रश्न है कि क्या माननीय मंत्री जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि रीजनल फूड कन्ट्रोलर ने गत वर्ष सीतापुर नगर में अरहर भेजी और जब सरकार को उसमें घाटा होने लगा तो उसने उसकी दाल बनवाई और उसको वहां के मार्केटिंग इंस्पेक्टर ने सभी दूकानों पर दी और फेयर प्राइस शाप्स को भी दी गयी । और वह दाल सभी कार्ड होल्डरों को दी गयी कि यदि तुमको सूजी-मैदा लेना है तो अरहर की दाल भी लो ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मैंने बताया कि अरहर खरीदी गयी, दाल भी बनवाई गयी, बेची भी गयी, लेकिन बेचते समय यह नहीं कहा गया था कि उनको जरूर लेना ही पड़ेगा । वह ऐच्छिक तरीके से बेची गयी ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

मंत्री जी २ बातें बताने की कृपा करेंगे ? प्रथम तो यह है कि क्या दाल के स्थान पर गेहूं का राशन कम किया गया था और दूसरे यह कि उस दिन जब यह अरहर की दालें बेची गयी थीं सीतापुर के बाजार में अरहर के दाल का भाव क्या था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मुझे जहां तक सूचना है, अरहर की दाल के स्थान पर गेहूं नहीं काटा गया, बल्कि वह तो फ्री बेचने के लिये दी गयी थी । जहां तक दूसरा प्रश्न है, उसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

यह अरहर खरीदने के आदेश सरकार की तरफ से थे या लोकल अधिकारियों ने निजी तौर पर खरीदा और सरकारी दूकान से बिकवाया ? यदि ऐसा हुआ, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

सरकार के आदेश से खरीदी गयी थी क्योंकि उस समय अरहर के भाव बहुत ऊंचे चढ़ गये थे ।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी--

क्या जब यह अरहर की दाल फेयर प्राइस शाप्स पर दी गई थी तब वहां की जनता ने वहां के सप्लाई विभाग से यह कहा था कि यह दाल तेज है और क्या यह सही है कि वह दाल १ रुपये किलो के हिसाब से बेची गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

आप सब जानते हैं कि उस समय अरहर इतनी महंगी हो गयी थी जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी कठिनाई हो रही थी । हमने अरहर की दाल उचित मूल्य पर तैयार करवायी । हमारी खरीदारी से बाजार के भाव गिर गये तो उपभोक्तओं के लिये अच्छा ही हुआ ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---

सारे प्रदेश की जनता की गरीब हालत को देखते हुये यह अरहर की दाल केवल सीतापुर में ही क्यों बिकवाई गयी, सारे प्रदेश में क्यों नहीं दी गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जहां हमने दाल बनवाई उसी समय बाजार भाव गिर गये, फिर उसको ट्रांसपोर्ट चार्जेज लगाकर भेजने पर वह दाल महंगी पड़ती । भाव गिर गये थे, अच्छा ही हुआ, उसके बाद आगे जरूरत नहीं थी ।

*६-७---श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)---

[प्रश्नकर्ता से स्पष्टीकरण की प्राप्ति हेतु हटा दिये गये ।]

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८, के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न ।

कृषि फार्मों का आय-व्यय

*१---श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजकीय कृषि फार्मों पर गत दो पंचवर्षीय योजनाओं में प्रति फार्म कुल कितना व्यय हुआ और उससे कितना लाभ रहा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

राजकीय फार्मों पर द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष १९६३-६४ तक प्रत्येक वर्ष में कुल व्यय तथा लाभ या हानि के आंकड़े निम्नलिखित हैं ।

वर्ष	व्यय रु० में	लाभ (+) या हानि (-)
१९५६-५७	१८,३२,३५२	(+) १,९१,९८९ रु०
१९५७-५८	३०,४९,६२१	(-) ४५,७५४ रु०
१९५८-५९	३२,७०,४७५	(-) ४२,११५ रु०
१९५९-६०	३७,९४,६७५	(-) २,५०,१४५ रु०
१९६०-६१	४१,९७,९४४	(-) १,२०,७५३ रु०
१९६१-६२	४८,०७,२९६	(-) ६,९९,७२१ रु०
१९६२-६३	५३,०८,२५९	(-) ९,५५,२१९ रु०
१९६३-६४	५४,६०,४९२	(-) ३,४२,८७४ रु०

प्रत्येक फार्म से सम्बन्धित सूचना विस्तृत है । उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

*२—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि इस वर्ष राजकीय फार्मों में गन्ने की खेती में गत वर्षों की अपेक्षा अधिक खर्चा पड़ा है ? यदि पड़ा है, तो यह बढ़ोत्तरी किस प्रतिशत से है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

वर्तमान वर्ष के आंकड़े उपलब्ध नहीं है । गत वर्ष (१९६४–६५) राजकीय कृषि फार्मों में पिछले तीन वर्षों की अपेक्षा गन्ना पैदा करने की प्रति कुन्तल लागत में ६.२३ प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

श्री कल्पनाथसिंह—

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि १९५६–५७ में जो लाभ हुआ १,९१,९८९ रुपये का उसके बाद लगातार घाटा ही होता चला आ रहा है, तो सरकार ने इस घाटे को रोकने के लिये कौन-कौन से कदम उठाये हैं और अब तक इसके न रुकने का कारण क्या है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

यह जो ५६–५७ में लाभ हुआ उस का कारण यह था कि ये पुराने फार्म थे । जो नये फार्म उस के बाद लिये गये उनमें कहीं पानी की असुविधा थी, कहीं जमीन अच्छी नहीं थी, इसी कारण उनमें घाटा होता गया । इस बात की कोशिश की जा रही है कि धीरे-धीरे यह घाटा समाप्त हो जाय और उम्मीद है कि १९६४–६५ के वर्ष में हमें लाभ होगा ।

श्री कल्पनाथसिंह—

सन् १९६०–६१ में ९,५५,२१९ रुपये का घाटा हुआ, यह सबसे ज्यादा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि किन विशेष परिस्थितियों में यह इतना ज्यादा घाटा हुआ ?

कृषि मंत्री (श्री गेंदासिंह)—

श्रीमन्, इस घाटे की तरफ सरकार का ध्यान बराबर गया है और इसके लिये प्रयत्न किये गये और इसका परिणाम है कि पिछले वर्ष १९६४–६५ में वह घाटा कम हो गया है और कम ही नहीं हुआ बल्कि फार्म मुनाफे में आ गये । कोशिश की जा रही है कि जो कमियां हैं वह दूर की जायं और यह फार्म घाटे पर न चलें ।

श्री झारखण्डेराय—

क्या कृषि मंत्री जी बतलायेंगे कि जिस घाटे को उन्होंने स्वीकार किया है वह किन-किन कारणों से, है क्या इस की जांच सरकार ने की है ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

श्री गेंदासिंह—

हर वर्ष इस बात पर विचार किया जाता रहा है ।

श्री विजय सिंह—

क्या मंत्री जी को पता है कि सरकारी फार्मों पर किसी प्रकार का कोई इस्टीमेट तैयार नहीं होता और इसी वजह से खर्च ज्यादा होता है और घाटा ज्यादा होता है ? इसलिये क्या सरकार विचार करेगी कि उनका इस्टीमेट बनाया जाय ?

श्री गेंदासिंह—

यह सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं कि जिससे घाटा न होने पाये । और उनमें यह भी है कि वहां इस्टीमेट बनाये जायं ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इस घाटे के जिम्मेदार कुछ विभाग के अधिकारी भी हैं ? यदि हां, तो उन पर वह क्या कार्यवाही करने का विचार कर रहे हैं ?

श्री गेंदासिंह---

यह खेती का काम ऐसा है कि अगर घाटा बढ़ने से लोगों को निकालने की बात हो तो देश में बहुत से लोगों को निकालना पड़ेगा ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि यह घाटा जो दिखलाया गया है वह केवल कागजी है, असलियत में घाटा नहीं है और यह घाटा इसलिये हो जाता है कि २५ एकड़ का फार्म है, लेकिन उस पर २५० रु० का मैनेजर है, ८० रुपये का बाबू और १८०० की बैल की जोड़ी है ? इसलिये यह फार्म घाटे पर चल रहे हैं ? तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री गेंदासिंह--

श्रीपाल सिंह जी ने भी अपनी एक रिपोर्ट भेजी है । उस पर भी विचार किया जा रहा है । जो कुछ उन्होंने कहा है इस पर भी विचार किया जायेगा और देखा जायेगा कि किस तरह से घाटे को कम किया जा सकता है ।

श्री शिवराजसिंह---

क्या यह सही है कि अब यह सरकारी फार्म्स घाटे को बचाने के उद्देश्य से कैश क्राप्स पैदा कर रहे हैं बजाय उन्नत बीज और सीरियल्स पैदा करने के ?

श्री गेंदासिंह---

ऐसी बात नहीं है ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

मथुरा जिले में जो सरकारी फार्म्स हैं माधुरी कुंड तथा एक और वहां पर है जहां हर साल काफी घाटा होता रहा है, तो क्या सरकार वहां के कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगी क्योंकि वे सरकार को झूठे आंकड़े भेजते हैं ?

श्री गेंदासिंह--

यह सूचना मैंने सुन ली, पर यह प्रश्न माधुरी कुंड में बारे में कहां है ?

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--

जितने भी सरकारी फार्म्स हैं वे सभी घाटे पर चल रहे हैं जबकि इन फार्म्स पर सारे साधन और सुविधायें उपलब्ध रहती हैं, तो श्रीमन्, काश्तकारों के फार्म्स कैसे मुनाफे पर चल सकते हैं और जब वे मुनाफे पर नहीं चल सकते तो सरकार कैसे उनका लगान बढ़ा रही है ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया ।)

श्री कल्पनाथसिंह---

पिछले तीन वर्षों की अपेक्षा गत वर्ष गन्ने की उत्पादन लागत करीब सवा ६ प्रतिशत बढ़ी है । तो क्या इसको देखते हुये यहां की सरकार केन्द्रीय कृषि मंत्रालय से यह सिफारिश करेगी कि गन्ने की कीमत में इजाफा किया जाय ?

श्री गेंदासिंह—

उत्तर प्रदेश की सरकार यह यत्न कर रही है कि सेन कमीशन ने जो सिफारिश की है कि गन्ने की कीमत घटाई जाय, उसे घटाया न जाय।

श्री नेकराम शर्मा—

क्या सरकार उन फार्म्स को जो घाटे पर चल रहे हैं तत्काल बन्द करेगी?

श्री गेंदासिंह—

नहीं। सरकार इस सलाह को स्वीकार करने में असमर्थ है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

इन फार्मों पर जो बराबर घाटा होता चला आ रहा है, क्या सरकार इसके कारणों की जांच के लिये कोई हाई पावर कमीशन बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी?

श्री गेंदासिंह—

इस वक्त सन् १९६४–६५ में घाटा नहीं हुआ है और आशा की जाती है कि अगले वर्ष भी घाटा न रहे, इसलिये इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री कल्पनाथसिंह—

मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि गन्ने की कीमत के सिलसिले में उनको अच्छी जानकारी है और यह प्रदेश की खुशकिस्मती है कि वह कृषि मंत्री हैं। मेरा निश्चित सवाल यह था कि ६.२ प्रतिशत जो पिछले साल के आंकड़े उपलब्ध थे उस आधार पर उनकी उत्पादन लागत सवा छः प्रतिशत के करीब बढ़ी है। तो क्या सरकार केन्द्रीय सरकार को इस सुझाव को देने की बात सोच रही है कि लागत प्रतिशत के आधार पर गन्ने की कीमत बढ़ा दी जाय?

श्री गेंदासिंह—

उधर से बैठकर यह सवाल करना उचित था। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सरकार किसी भी हालत में गन्ने की कीमत घटाने के पक्ष में नहीं है। जो भारत सरकार का बैठाया हुआ कमीशन है उसकी सिफारिश थी कि गन्ने की कीमत घटा दी जाय। लेकिन हमारी सरकार का यह प्रयास है कि गन्ने की कीमत घटने न पाये।

अधिक अन्न उपजाओ अभियान

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में अधिक अन्न उपजाओ अभियान में गत दो महीनों में राज्य सरकार ने क्या महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं? किसानों को कौन-कौन-सी विशेष सुविधायें दी गई हैं?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

अधिक अन्न उपजाओ अभियान में गत दो महीनों में सिंचाई के साधनों को बढ़ाने, उर्वरकों को उपलब्ध कराने तथा कृषि रक्षा पर अधिक बल दिया गया और किसानों को अल्प सिंचाई योजना के अन्तर्गत ऋण तथा अनुदान (Subsidy) दिया गया। नये नलकूपों तथा पक्के कुओं का निर्माण कराया गया, बिजली के कनेक्शन दिये गये तथा कृषि रक्षा के लिये कीटनाशक दवाओं आदि का प्रबन्ध किया गया।

श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या माननीय कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गल्ले की पैदावार की आवश्यकता हमारे राज्य की है और इसमें जो मुख्य रुकावट है वह पानी के

[श्री चन्द्रजीत यादव]

साधनों का अभाव है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इतना बड़ा यह राष्ट्रीय संकट है इसके लिये सरकार ने कोई विशेष योजना तैयार की है कि आगामी वर्षों में वह इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह था कि दो महीनों के अन्दर सरकार ने अधिक अन्न उत्पादन के सिलसिले में क्या कार्य किया है। उसी का उत्तर दिया गया। हमारे प्रदेश में सितम्बर से दिसम्बर तक २०,९४१ कुएं बनाये गये। इनमें से बिना ऋण के जो बनाये गये थे ७,४५८ हैं और इसी तरह से कच्चे कुएं १,४८,२२६ हैं। यह तो नहीं कहा जा सकता कि पूरे प्रदेश में सिंचाई के लिये या सैचुरेट करने के लिये कितने और कुओं की आवश्यकता होगी। पानी नहरों के जरिये, कुंओं या ट्यूबवेलों के द्वारा दिया जायेगा इसके लिये अभी कोई योजना विचाराधीन नहीं है कि पूरे प्रदेश में किस तरह सिंचाई को किया जाय।

श्री चन्द्रजीत यादव—

खाद्य संकट पूरे देश के अन्दर विकट रूप में मौजूद हुआ और हमारे कृषि मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि पूरा प्रदेश आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेगा देश में आत्मनिर्भरता होने से पहिले। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिये कोई ठोस या विशेष योजना तैयार की है?

श्री गेंदासिंह—

विशेष योजना बनाई जा रही है और वह अभी तक पानी पहुंचाने के सिलसिले में, खाद पहुंचाने के सिलसिले में, ग्रीन मेन्योरिंग के सिलसिले में और उसी तरह से और कामों के लिये जितना पिछले वर्षों का काम है उससे बढ़ाकर करने की योजना बनाई गई है। उस पर निश्चित रूप से जो अभी दिल्ली में कल-परसों मीटिंग हुई थी विचार किया गया और निश्चित रूप से उसकी रूपरेखा एक हफ्ते या दस दिन के भीतर आ पायेगी। अगर माननीय चन्द्रजीत जी चाहेंगे तो उनके सामने रख दी जायेगी।

इलाहाबाद में खुसरोबाग के निकट पुल पर व्यय

*४—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद में खुसरूबाग के समीप जो पुल बना है तथा जिसका उद्घाटन मुख्य मंत्री जी ने दिनांक ८ जनवरी, १९६५, को किया है उस पुल को बनाने में सरकार ने कितना व्यय किया तथा केन्द्रीय सरकार ने कितना?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

माननीय सदस्य का तात्पर्य उस पुल से है जिसका उद्घाटन ८-१-६६ को हुआ था। इस पुल के बनाने का सम्पूर्ण व्यय केन्द्रीय सरकार के रेलवे विभाग ने वहन किया है। उनसे सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उक्त पुल पर पहुंचने के प्रवेश मार्ग (अपरोचेज) का निर्माण तथा उनसे सम्बन्धित कार्य जैसे वर्तमान सड़कों को हटा कर फिर बनाना, लैण्ड एक्वीजीशन, आदि, किया गया है। उक्त कार्यों पर जनवरी, १९६६, तक का खर्च १३,४०,३६८ रु० है। अभी पूरे एकाउन्ट्स नहीं बने हैं जिससे पूरे व्यय की सूचना दी जा सके।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

मुझे जानकारी है कि वहां अभी तक कोई नयी सड़क पुल के मिलाने के लिये नहीं बनी है। तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कौन-सी सड़क बनी है और यह १३ लाख रुपया किस चीज पर व्यय हुआ है?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

खुसरोबाग का या फाफामऊ–सूबेदारगंज रेलवे ब्रिज बना, कुछ पैदल यात्रियों के आने-जाने के लिये और कुछ ट्रेन द्वारा आने-जाने वालों के लिये । ट्रेन के ब्रिज का खर्चा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहन किया है किन्तु एप्रोच रोड का व्यय उसमें नहीं है ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी वाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

यह १३ लाख रुपया जो पी० डब्लू० डी० ने एप्रोच रोड्स पर खर्च किया है, सरकार द्वारा वहन किया जायगा या इलाहाबाद की नगरमहापालिका से मांगा जा रहा है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

कार्य पी० डब्लू० डी० ने किया है किन्तु वसूलयाबी महापालिका से जरूर होगी ।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

फाफामऊ के पुल का इस सवाल से कोई संबंध नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कोई नयी एप्रोच सड़कें नहीं बनी हैं । क्या वह इसकी विशेष जांच करावेंगे कि यह १४ लाख रुपया घोटाले में गया ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी जिसने जा कर कार्य का अनुभव किया और निर्णय किया योजना को सम्पादित करने के लिये । सूचना के द्वारा और उस कमेटी के द्वारा तो मालूम होता है कि कार्य हुआ है । यदि माननीय सदस्य, फिर भी, कुछ लिखकर दें तो उचित कार्यवाही की जायगी ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन-सी एप्रोच रोड बनी हैं और उन पर कितना-कितना खर्चा हुआ है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

खुसरोबाग के समीप गाड़ियों के आने-जाने लायक पुल का निर्माण हुआ । फाफामऊ एवं सूबेदारगंज क्रासिंग पर पैदल यात्रियों के आने-जाने लायक पुल बनना जरूरी था जोकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया । एप्रोच रोड्स का खर्चा महापालिका द्वारा वहन होगा ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

मेरा प्रश्न यह नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

आप लोगों का कुछ और कहना है और गवर्नमेंट का कहना कुछ और है । जैसा उन्होंने कहा, लिखकर दे दें तो जांच हो जायगी ।

श्रीमती तारा अग्रवाल—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जरा कष्ट कीजिये प्रश्न को देखने का । माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि केवल पुल के बनाने में केन्द्रीय और प्रदेशीय सरकार ने कितना कितना रुपया व्यय किया । सड़कों की सूची के लिये नोटिस दे दें ।

श्री अध्यक्ष—

वह लाभ उठा रहे हैं आपके जवाब का, चूंकि आपने ही एप्रोच रोड्स के बारे में कहा ।

डुमरियागंज तहसील में गांव समाज द्वारा वन भूमि का वितरण

*५—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला—बस्ती)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के डुमरियागंज तहसील के ग्राम करौदा टप्पा वाटिक पार में जामुन का जंगल कुछ लोगों ने जबरदस्ती काट लिया ? यदि हां, तो सरकार काटने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी नहीं। कथित ग्राम में जामुन का कोई जंगल किसी ने जबरदस्ती नहीं काटा। शेष प्रश्न नहीं उठता।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

इस जंगल को मैंने अपनी आंखों से, ३—४ दिन हुए, जाकर देखा है, जड़ें भी देखीं। तो अगर जबरदस्ती नहीं काटा गया तो वहां के गांव समाज या गांव सभा की आज्ञा से काटा गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जिलाधीश, बस्ती की सूचना के अनुसार संबंधित वन गांव समाज का है। इसने ही उसे साफ कराके भूमिहीनों को वितरित किया है। यह वन विभाग का नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जंगल जो वितरण किया जायगा उसका गांव समाज के पास कोई हिसाब-किताब है ? अगर है, तो कितने का बेंचा और जमीन का वितरण नियमानुसार किया है या नहीं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

यह वन विभाग का नहीं था। उसमें झाड़ियां थीं और न यह वन ही था। जमुआ या जामुन जाति की कोई झाड़ी उस भूमि पर थी। उसे काट कर वहां के गांव समाज ने भूमि को वहां के भूमिहीनों और किसानों को बांट दी।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

५०० के करीब झाड़ियों को निकाल कर उन्होंने फेंक दिया। मैंने स्वयं जाकर देखा है, मोटी-मोटी जड़ें हैं। क्या सरकार फिर से जांच करायेगी कि पेड़ काटे गये और वह जमीन उठ गई है या अभी वैसे ही परती पड़ी है ? ६० बीघे से कम जमीन नहीं है।

श्री चरणसिंह—

माननीय सदस्य की आंखों ने धोखा नहीं दिया। वह विभाग का जंगल नहीं था। सन् ६३ में गांव समाज के प्रधान ने उसे नीलाम कर दिया। उसकी सफाई होने पर गांव समाज की ओर से वह जमीन भूमिहीनों में वितरित की जा चुकी है या की जा रही है। इसका कोई संबंध वन विभाग से नहीं है।

आगरा में जी० पी० शीट्स, वी० पी० शीट्स का अवैध स्टाक

*६—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा), श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद) तथा श्री खेमचन्द (जिला आगरा)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी १९६६ में आगरा में टी० आर० ओ० महोदय ने छापा मार कर ३१ बंडल जी० पी० शीट ३४ गेज और ५१ बंडल वी० पी० शीट्स का अवैध स्टाक पकड़ा है ? यदि हां, तो उन फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जी हां। फरवरी, ६६ में टी० आर० ओ०, आगरा ने छापा मार कर ३५ बंडल जी० पी० शीट्स २४ गज तथा ५१ बंडल वी० पी० शीट्स का स्टाक सर्वश्री जगन्नाथ देशराज, आगरा में लोहे के स्टाकिस्ट के यहां से पकड़ा है। उक्त फर्म के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है।

श्री खेमचन्द—

आपने बताया कि स्टाक पकड़ा गया है तो उस विषय में किन-किन बातों पर विचार किया जा रहा है?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

८ फरवरी को टी० आर० ओ०, आगरा ने दूसरे अधिकारियों के साथ यह तहकीकात की थी जिसमें ३५ और ५१ बंडल निकले थे। जिसके यहां बंडल निकले थे उसने यह कहा कि फेब्रीकेटर ने उनको उसके यहां गिरवीं रख दिया है। जब फेब्रीकेटर का खाता देखा गया तो उसमें उसका इन्दराज पाया गया। इस अम्रकी सूचना एक पोस्टल सर्टिफिकेट द्वारा भेजी गयी चिट्ठी के द्वारा, कानपुर में कन्ट्रोलर को दे दी गयी थी। फिर भी इसकी और जांच की जा रही है, उसको पब्लिक प्रासीक्यूटर के पास भेजा है और उनसे पूछा गया है कि यह मामला कोर्ट में भेजने लायक है या नहीं।

श्री लखपतराम शर्मा—

जो माल पकड़ा गया है उसके परमिट दिये गये होंगे। यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि परमिट की चीज को क्या कोई गिरवीं रख सकता है? उसको डी० आई० आर० में क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

इसी की तो जांच की जा रही है।

खाद्य परामर्शदात्री समिति, जिला गोंडा

*७—श्री द्विजेन्द्र नारायण (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हर जिले में जो खाद्य परामर्शदात्री समिति है उसके कौन-कौन सदस्य होते हैं और इसकी बैठक कब-कब होनी चाहिये?

*८—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला गोंडा में खाद्य परामर्शदात्री समिति की बैठक अप्रैल, १९६४ से अब तक किन-किन तारीखों में हुई और हर बैठक में कौन-कौन सदस्य उपस्थित रहे?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

प्रश्न संख्या ७ व ८ में मांगी गई सूचना† संलग्न सूची में अंकित है।

*९—श्री द्विजेन्द्रनारायण (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जिला गोंडा में मिट्टी के तेल के कौन-कौन होल सेल विक्रेता तथा कौन रिटेल विक्रेता हैं? उनके नाम व पता १ अप्रैल, १९६४ से फरवरी, ६५ तक हर रिटेलर को हर माह कितना-कितना तेल दिया गया? क्या कारण है कि हर रिटेलर को किसी माह में कम और किसी माह में ज्यादा बिना किसी आधार के दिया गया है?

---

† छापी नहीं गई।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिला गोंडा में मिट्टी के तेल के होलसेल विक्रेताओं की सूची संलग्न है। रिटेल विक्रेताओं की संख्या ३७८ है। यह सूची माननीय सदस्य खाद्य मंत्री जी के कमरे में देख सकते हैं। १ अप्रैल, १९६४ से फरवरी, १९६५ तक मिट्टी के तेल के वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं था और प्रत्येक फुटकर विक्रेता अपनी स्वेच्छा से जितना चाहे ले सकता था। इस अवधि में किसी रिटेलर को जिला पूर्ति कार्यालय से तेल नहीं दिया गया था। अतएव उपरोक्त अवधि में किसी फुटकर विक्रेता को किसी माह में कम या अधिक तेल देने का प्रश्न नहीं उठता है।

वन क्षेत्र, मानिकपुर की सीमा

*१०—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि फतेहपुर जिले के वन अधिकारियों ने बिन्दकी तहसील के अन्तर्गत घोषित वन क्षेत्र मानिकपुर की सीमा में संलग्न डौंडिया खेरा, परगना तहसील पुरवा, जिला उन्नाव के गांव मिसरनखेरा को भी मिला लिया है और इस गांव में अपनी खूंटी गाड़ दी है?

श्री चरणसिंह—

वन विभाग ने गांव मिसरन खेरा, परगना डौंडियाखेरा तहसील पुरवा, जिला उन्नाव की भूमि को गांव मानिकपुर, तहसील बिन्दकी जिला फतेहपुर में निहित वन क्षेत्र में नहीं मिलाया और न कोई खूंटियां गाड़ी।

*११—श्री देवदत्त मिश्र (अनुपस्थित)—

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि फतेहपुर जिले के उक्त गांव, मानिकपुर में भी बीस वर्षों से अधिक समय से काबिज भूमिधरों और सीरदारों की जमीन पर भी वन अधिकारियों ने नाजायज कब्जा कर रखा है?

श्री चरणसिंह—

वन विभाग ने किसी २० वर्ष से अधिक काबिज भूमिधर व सीरदार की जमीन पर मानिकपुर निहित वन में कब्जा नहीं किया है।

पर्वतीय क्षेत्रों में जड़ी बूटी की उपज

*१२—श्री कृष्णसिंह (जिला टेहरी गढ़वाल) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जड़ी-बूटी के उपज व काश्त के लिये पहाड़ों में कोई व्यवस्था की जा रही है? अगर की जा रही है तो उसकी रूप रेखा क्या है?

श्री गेंदासिंह—

जी हां। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा चालू योजनाओं की रूपरेखा संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९५-९६ पर।)

*१३—श्री कृष्णसिंह (अनुपस्थित)—

क्या यह सत्य है कि राजीव नारायण सकलाना जो राजीवपुर फार्म सकलाना, जिला टिहरी गढ़वाल के मालिक हैं, उन्होंने एक स्कीम टिहरी-गढ़वाल स्थित चम्बा-मंसूरी के बीच जो मोटर सड़क है उसके ऊपर नीचे जड़ी-बूटी काश्त करने की १९६५ में दी थी और अगर दी थी तो उस पर शासन ने क्या निर्णय लिया?

श्री गेंदासिंह—

शासन फिलहाल चम्बा, मसूरी फल पट्टी योजना के अन्तर्गत जड़ी बूटी उत्पादन कार्य के लिये जाने के पक्ष में नहीं है क्योंकि जड़ी-बूटी उत्पादन का कार्य अभी भी प्रयोग और परीक्षण के स्तर पर ही है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९५–९६ पर।)

कानपुर जिले में स्टाकमैनों की सेवा पुस्तिका

*१४—श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मंत्री दिनांक ३१ जनवरी, १९६६ के तारांकित प्रश्न ४३ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि श्री भारत भूषण मिश्र, पशु सेवक की सर्विस पुस्तिका है और क्या उनमें वेतन वर्षों का बाकी है तथा वह रोग शैय्या पर पड़ा हुआ है? यदि हां, तो वेतन न देने का कारण क्या है?

श्री गेंदा सिंह—

जी हां, है। श्री भारत भूषण की सेवा पुस्तिका १९६१ में खो गयी थी जिसके कारण उनका बकाया वेतन नहीं दिया जा सका। सर्विस पुस्तिका फिर से बनाली गयी है तथा बकाया हिसाब शीघ्र दिये जाने की व्यवस्था कर दी गयी है।

बबीना ब्लाक में मत्स्य विभाग द्वारा तालाब की मरम्मत

*१५—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम खैलार, ब्लाक बबीना, जिला झांसी में मत्स्य विभाग द्वारा सन् १९६५ में तालाब की मरम्मत कराई गई? जिसमें कि मत्स्य विभाग द्वारा स्वयं भी मछलियों के बच्चे पाले जा रहे हैं? तालाब टूटने के कारण वे उसकी तिथि व तालाब मरम्मत किये जाने की तिथि व पुनः टूटने के कारण व तिथि क्या हैं?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी हां।

सन् १९६४ की बरसात के मौसम में पहली बार तालाब का एक तरफ का बांध टूटा था। जून, १९६५ के अन्तिम सप्ताह में उसकी मरम्मत का काम शुरू हुआ जो १९ जुलाई, १९६५ को पूरा हुआ। अगस्त, १९६५ में ३/४ दिन तक लगातार वर्षा होने के कारण वह फिर टूट गया।

श्री लखपतराम शर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह मरम्मत १९ जुलाई को की गयी और अगस्त में वह टूट गया, इसको सरकार की तरफ से स्वीकार किया गया है? यदि हां, तो इस के टूट जाने की वजह से उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जिस अधिकारी ने उसकी मरम्मत करायी, उसकी सूचना मुझे इस समय नहीं है। अगर माननीय सदस्य लिख करदेंगे तो उसकी जांच करा ली जायगी। यह ठीक है कि १९ जुलाई को काम पूरा हुआ और अगस्त में ही ३–४ दिन भयंकर वर्षा होने के कारण वह टूट गया।

श्री लखपतराम शर्मा—

प्वाइंट यह है कि मरम्मत होने के १०–५ दिन में ही वह टूट गया और सरकार को यह पता नहीं है कि किस अधिकारी ने उस तालाब को बनवाया?

नोट—तारांकित प्रश्न १५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

इसकी जांच कर ली जायगी।

मार्केटिंग इन्स्पेक्टर की सेवा समाप्ति

*१६—श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अक्तूबर, १९६५ में या बाद में रखे गये मार्केटिंग इंस्पेक्टरों की सेवायें १ मार्च, १९६६ से समाप्त करने जा रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उन इंस्पेक्टरों में से लखनऊ क्षेत्र में काम करने वाले इंस्पेक्टरों की सेवायें १ मार्च, १९६६ से समाप्त कर दी गयी हैं। शेष क्षेत्रों में सेवायें जारी हैं।

*१७—श्री सूरजलाल गुप्त वकील—

क्या यह भी सत्य है कि उक्त मार्केटिंग इंस्पेक्टरों में से बहुत से ऐसे भी हैं जो अक्तूबर, १९६५ के पूर्व इस विभाग में कार्य कर चुके हैं उनकी भी सेवाएं १ मार्च, १९६६ तक समाप्त कर दी जायेंगी ? यदि हां, तो क्या उनको इस विभाग के अन्य रिक्त स्थानों पर नियुक्त करने की प्राथमिकता देने की कृपा की जायेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

लखनऊ क्षेत्र से उन मार्केटिंग इंस्पेक्टरों की भी सेवायें १ मार्च, १९६६ से समाप्त कर दी गई हैं जो अक्तूबर, १९६५ से पूर्व इस विभाग में कार्य कर चुके थे। स्थानों के रिक्त होने पर उनको नियुक्त करने में नियमानुसार प्राथमिकता दी जायेगी।

टैरेस गार्डेन, काम्बी टैंक, उन्नाव

*१८—श्री गोपीनाथ दीक्षित (जिला उन्नाव) तथा श्री जियाउर्रहमान (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव शहर में कामीटैंक नामक तालाब में जो टैरेस गार्डन सरकार की ओर से बन रहा है वह किस योजना के अन्तर्गत, किसकी स्वीकृति से, कितनी लागत से और किन विशेषज्ञों के परामर्श से बनवाया जा रहा है ?

श्री चरणसिंह—

उन्नाव शहर में काम्बी टैंक में जो टैरेस गार्डन बन रहा है वह नगरपालिका उन्नाव की अपनी योजना है। प्रान्तीय सरकार की योजना नहीं है। इसकी अनुमानित लागत ६२,०६६ रु० है और इस टैरेस गार्डन की रूप-रेखा मुख्य अभियन्ता, नगर तथा ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा बनवायी गयी और उसकी लागत का एस्टीमेट अधिशासी अभियन्ता, शारदा कैनाल, उन्नाव डिवीजन द्वारा बनवाया गया है।

*१९—सर्वश्री गोपीनाथ दीक्षित तथा जियाउर्रहमान—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त टैरेस गार्डन किसके प्रबन्ध और देख-रेख में बन रहा है तथा तैयार होने के बाद किसके प्रबन्ध में रहेगा ?

श्री चरणसिंह—

उपरोक्त टैरेस गार्डन, नगरपालिका के प्रबन्ध और देख-रेख में बनाया जायगा। तैयार होने के बाद यह टैरेस गार्डन नगरपालिका, उन्नाव के प्रबन्ध में रहेगा।

ऊसर एवं बंजर भूमि

*२०—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऊसर बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये कितने एकड़ भूमि जिलेवार वन विभाग द्वारा ली गई है और उनमें किस हद तक सफलता मिली है ?

श्री चरणसिंह—

ऊसर बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये कोई भी भूमि वन विभाग द्वारा नहीं ली गई है। अतः इसमें सफलता मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*२१—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—

क्या मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि बंजर भूमि के उस भाग में जो बबूल आदि द्वारा उपजाऊ बनाने के लिये ली गई थी, उसमें से कितने एकड़ भूमि कृषि योग्य बना कर किसानों के सुपुर्द की गयी है ?

श्री चरणसिंह—

प्रश्न नहीं उठता।

*२२—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—

मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में कितने-कितने एकड़ भूमि बंजर से कृषि योग्य बनाकर किसानों को लौटा दी गयी है ?

श्री चरण सिंह—

प्रश्न नहीं उठता।

गाजियाबाद मास्टर प्लान के अन्तर्गत खड़ी फसलें काटी जाना

*२३—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया), श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—तथा श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजियाबाद मास्टर प्लान के अन्दर पन्नालाल श्याम लाल फार्म एवं किसानों के अन्य खेतों की फसलें इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा उजाड़ी जा रही हैं ? यदि हां, तो सरकार ने कौन सी कार्यवाही की ?

श्री चरणसिंह—

सर्वश्री पन्नालाल श्याम लाल तथा चार अन्य किसानों की भी कुछ भूमि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, गाजियाबाद द्वारा नियोजन विकास के लिये अर्जित की गई थी। इन लोगों के खेतों में खड़ी कुछ फसलें जो प्रस्तावित सड़कों के क्षेत्र में आती थीं, ट्रस्ट को सड़कों का ठेका देने के पश्चात् निशान देही (डिमारकेशन) के लिये काटना आवश्यक हो गया था। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को आदेश दे दिये गये हैं कि जहां तक संभव हो खड़ी फसलें न काटी जायं।

एटा जिले में सहायक विकास अधिकारी द्वारा भूख हड़ताल

*२४—सर्वश्री लोकपालसिंह (जिला एटा), बेदराम, श्रीराम (जिला एटा), गिरिवर प्रसाद (जिला एटा), मतोलासिंह, हेमराज (जिला बांदा), नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद), अवैद्यनाथ (जिला गोरखपुर), तथा रामसिंह (जिला एटा)—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिला के विकास खंड, निधौली कलां, विकास खंड के सहायक विकास अधिकारी द्वारा जनवरी में भूख हड़ताल करने की कोई सूचना मिली है ? यदि हां, तो भूख हड़ताल की मांग क्या थी ? और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गेंदासिंह—

जी नहीं। भूख हड़ताल की मुख्य मांगों तथा उन पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ ९८–९९ पर)

कानपुर में श्रमिक क्वार्टर्स

*२५—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शहर कानपुर के अन्तर्गत राज्य सरकार, महापालिका द्वारा और कितने श्रमिक क्वार्टर बनवाये गये ? उनमें कितने क्वार्टर श्रमिकों को रहने के लिये दिये गये और कितने खाली पड़े हैं ?

श्री चरणसिंह—

इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

दहगवां ब्लाक में हरिजनों को गृह निर्माणार्थ सहायता

*२६—श्री सूरजपालसिंह (जिला बदायूं)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं के ब्लाक दहगवां में वित्तीय वर्ष १९६२–६३, १९६३–६४, १९६४–६५ में हरिजनों के मकान बनाने के लिये ऋण के वास्ते कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये तथा उनमें से कितने प्रार्थना-पत्र स्वीकृत हुये ?

श्री चरणसिंह—

मकान बनाने के लिये हरिजनों से कोई प्रार्थना-पत्र ऋण देने के लिये प्राप्त नहीं हुये। अतः स्वीकृति का प्रश्न नहीं उठता।

[११ अप्रैल, १९६६ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

कृषि विभाग की सांख्यिक शाखा

*१—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कृषि विभाग के सांख्यिक शाखा में कौन-कौन गजटेड तथा नान-गजटेड पद हैं ?

श्री गेंदासिंह—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १०० पर।)

*२—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

सरकार कृपया बतायेगी कि क्या इस शाखा के क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां ? और वहां भिन्न-भिन्न, क्या-क्या गजटेड तथा नान-गजटेड पद हैं ?

श्री गेंदासिंह—

ऐसे कोई क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है।

उन्नाव जिले में मिट्टी के तेल की कमी

*३—श्री देवदत्त मिश्र—

क्या खाद्य मंत्री को ज्ञात है कि उन्नाव जिलान्तर्गत गांवों में केरोसिन तेल डेढ़ रुपया लीटर बिकता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी नहीं, यह सही नहीं है।

*४--श्री देवदत्त मिश्र--

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब केरोसिन तेल की कमी है और उसका वितरण सरकार द्वारा नियंत्रित है तो बाजार में डेढ़ रुपये लीटर बिकने के लिये तेल कहां से और कैसे आता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

सरकार के पास डेढ़ रुपये लीटर तेल बिकने की सूचना नहीं है।

*५--श्री देवदत्त मिश्र--

क्या खाद्य मंत्री यह सूचना देने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिलान्तर्गत सुमेरपुर, बीघापुर और पुरवा ब्लाकों में सरकार द्वारा नियुक्त तेल वितरण प्रत्येक न्याय पंचायत के हिसाब से कितने हैं तथा प्रत्येक को महवार कितना तेल वितरण के लिये दिया जाता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

उन्नाव जिले में कुटकर विक्रेताओं की नियुक्ति तेल की कमी के कारण प्रति न्याय पंचायत के बजाय प्रति पोलिंग सेन्टर में की गई है। तीनों ब्लाकों में इनकी संख्या ६० है। शेष सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १०१-१०२ पर।)

खरीफ की फसल को क्षति

*६--श्री झारखंडेराय--

क्या सरकार बतायेगी कि बरसात कम होने और सूखे के कारण खरीफ की फसलों को जिलावार कुल कितनी क्षति पहुंची है ?

श्री गेंदासिंह--

बरसात कम होने या सूखा पड़ने के कारण फसलों को जो क्षति होती है उसके आंकड़े कृषि विभाग द्वारा एकत्रित नहीं किये जाते। कृषि विभाग यह बता सकता है कि खरीफ १९६५-६६ की विभिन्न फसलों की अनुमानित पैदावार पिछले वर्षों की तुलना में कितने प्रतिशत कम या अधिक हुई। माननीय सदस्य प्रदेश के समस्त जिलों के यह आंकड़े जो कि १८ फसलों के हैं मेरे कार्यालय में देख सकते हैं। चूंकि यह आंकड़े बहुत ज्यादा हैं इसलिये उनकी प्रतिलिपियां प्रस्तुत नहीं की जा सकी।

*७--श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)--

(१०वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।)

*८--श्री शिवनाथसिंह--

(१०वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।)

चकिया तहसील में जयमोहिनी प्लान्टेशन

*९--श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री ऊदल--

क्या वन मंत्री ७ फरवरी, १९६६ के तारांकित प्रश्न ५५ के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि जय मोहिनी प्लान्टेशन में सिर्फ ४ व्यक्तियों ने अनाधिकार रूप से नोटिफिकेशन होने के बाद झोपड़े डाले हैं ? वह किस गांव के हैं और उनके नाम क्या हैं और क्या इमलियाडीह के ८, जय मोहिनी के ९, जनकपुर के १२, सोनवार के १६ आज भी प्लान्टेशन के अन्तर्गत हैं ?

श्री चरणसिंह---

जी हां यह सत्य है कि ४ व्यक्तियों ने जैमोहनी के वन क्षेत्र में अनधिकृत रूप से भारतीय वन अधिनियम की धारा ४ की विज्ञप्ति के पश्चात् फूस की मड़ाई बना ली जो कि जैमोहिनी प्लान्टेशन १९६४ के अन्दर आ गया है। उनके नाम तथा ग्राम के नाम जहां वे पहले रहते थे, निम्नांकित हैं :

(१) श्री बुद्धू . .
(२) श्री जैपत . . . . ग्राम मझगांवा
(३) श्री कैलेसर
(४) श्री छोटई . . . . ग्राम नैवारी डुमरिया।

ग्राम इमलियाडीह, जैमोहनी तथा सोनवार के कोई छप्पर जैमोहिनी प्लान्टेशन के अन्दर नहीं आये है।

ग्राम जनकपुर के सात छप्पर जैमोहिनी प्लान्टेशन के घेरे में लिये गये थे तथा कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया था परन्तु चूंकि इन छप्परों के मालिकों के दावे की जमीन के विषय में मुकदमें न्यायालय में जेरे तजवीज थे वृक्षारोपण इन पर नहीं किया गया।

लखनऊ महापालिका कार्यालय, महानगर स्कीम सेक्शन में आग लगने से क्षति

*१०---श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

क्या यह बात सही है कि सन् १९६३ में लखनऊ नगरमहापालिका के कार्यालय महानगर स्कीम सेक्शन में आग लगाकर कुछ लोगों ने सभी रेकार्ड जला दिये थे ? यदि हां, तो इस घटना की जिम्मेदारी किसके ऊपर ठहराई गई थी ?

श्री चरणसिंह---

आग लगने की घटना की पूरी जांच कराने के फलस्वरूप यह मालूम हुआ कि वह बिजली के तारों के परस्पर टकराने के कारण ही हुई थी। इस घटना के लिये कोई जिम्मेदार नहीं था।

नगरपालिका, गाजियाबाद की सीमा में परिवर्तन

*११---श्री तेजासिंह---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५ में जब नगरपालिका गाजियाबाद की सीमा बढ़ाई गई थी और कैला और भौंजा गांव उसकी सीमा के अन्दर आ गये थे तो एल० एम० सी० की कितनी भूमि इन ग्रामों में थी। इसमें से कितनी भूमि लोगों को दे दी गई, कितनी भूमि पर लोगों ने नाजायज कब्जा कर लिया, उनको हटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई और उसमें क्या सफलता मिली ?

श्री चरणसिंह---

नगरपालिका गाजियाबाद की सीमा सन् १९५१ में बढ़ायी गयी थी जिसके फलस्वरूप कैला व बोहजा गांव नगरपालिका की सीमा में आ गये। उक्त दोनों गांवों में उस समय ५५२ बीघा ७ बिस्वा १० बिस्वांसी ४ कचवांसी भूमि एल० एम० सी० के नाम दर्ज थी। उसमें से---

(१) ९८ बीघा ८ बिस्वा १८ बिस्वांसी भूमि लोगों को दी गई या नगरपालिका के काम में लायी गयी और

(२) १०७ बीघा ६० बिस्वा १ बिस्वांसी ४ कचवान्सी पर नाजायज कब्जा किया गया।

नाजायज कब्जा हटाने के लिये एल० एम० सी० की ओर से १७७ मुकदमें दायर किये गये जिसके फलस्वरूप ६२ बीघा १२ बिस्वा १२ बिस्वांसी १४ कचवांसी के

मुकदमों का फैसला एल० एम० सी० के पक्ष में हुआ। ३१ बीघा ६ बिस्वा ५ बिस्वांसी १० कचवांसी के मुकदमें एल० एम० सी० के खिलाफ फैसले हुये तथा १३ बीघा ११ बिस्वा ३ बिस्वांसी भूमि से सम्बन्धित मुकदमें अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं।

*१२—श्री तेजासिंह—

कितनी भूमि १ जनवरी, १९६६ को बाकी है और क्या इसके लिये एल०एम०सी० ने कोई खास योजना बनाई है ? अगर नहीं तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१३—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

[८वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ८८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१४—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—

[८वें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ६९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१५-१६—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

[१० वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

सर्वजीतसिंह, चेयरमैन गंगोह नगरपालिका के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

*१७—श्री विजय पाल सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चेयरमैन, गंगोह नगरपालिका, जिला सहारनपुर श्री सर्वजीत सिंह के खिलाफ अदमएतमाद १९ जनवरी, १९६६ को पास हो चुकी है। उन्होंने इस्तीफा दिया है या नहीं ? और अगर इस्तीफा नहीं दिया है तो क्या सरकार ने उनको अलग कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? और अब कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री चरण सिंह—

श्री सर्वजीत सिंह के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव दिनांक १९ जनवरी, १९६६ को पास हुआ। उन्होंने त्याग-पत्र नहीं दिया। उनको अलग किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट की धारा ४७-ए (१) (बी) के अन्तर्गत उक्त प्रस्ताव पारित होने की सूचना मिलने के तीन दिन बाद उनकी अध्यक्षता स्वतः समाप्त हो गई तथा अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया।

*१८—श्री विजयपालसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका, गंगोह, जिला सहारनपुर का चार्ज इस समय किस व्यक्ति के पास है ?

श्री चरणसिंह—

नगरपालिका की दिनांक २९ जनवरी, १९६६ की बैठक में एक संकल्प पास हुआ जिसके द्वारा श्री रशीद मसूद, सदस्य, नगरपालिका ज्येष्ठ उपाध्यक्ष चुने गये और दिनांक ३ फरवरी, १९६६ से उन्होंने नगरपालिका का चार्ज ले लिया। चूंकि उक्त संकल्प अवैधानिक था, अतएव, शासन ने अपने १ अप्रैल, १९६६ के आदेश द्वारा उक्त संकल्प का निषेध कर दिया है। इस समय नगरपालिका का चार्ज किसके पास है, इसकी सूचना उपलब्ध की जा रही है।

खतौली बीज भण्डार में गबन

*१९—श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)—

विधान सभा के प्रथम सत्र १९६५ के चौथे सोमवार के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या ४० और ४१ के उत्तर के संदर्भ में सरकार बताने की कृपा करेगी कि किन-किन विभागीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों का हाथ इस गबन में पाया गया तथा जांच का नतीजा क्या रहा तथा किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री गेंदासिंह—

खतौली बीज भंडार, जिला मुजफ्फरनगर में हुए गबन के सम्बन्ध में हुई जांच में श्री अनिल वर्न घोष, सहायक कृषि निरीक्षक को उत्तरदायी पाया गया । उनके खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाया गया है जिसका निर्णय अभी नहीं हुआ है ।

नगरपालिका फतेहपुर के अधिकारियों का पत्र

*२०—श्री रघुवीर सहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

२७ सितम्बर, १९६५ के तारांकित प्रश्न २० में कथित दिनांक १५ अक्तूबर, १९६४ के पर्चे की जांच ९–१० मास बाद दिनांक १३ जुलाई, १९६५ को जिलाधीश ने परगना अधिकारी को क्यों सौंपा और किसकी उपस्थिति में जांच हुई तथा परगनाधीश की दिनांक १७ सितम्बर, १९६५ को रिपोर्ट क्या है ?

श्री चरणसिंह—

परगनाधिकारी की दिनांक १७ सितम्बर, १९६५ की रिपोर्ट संक्षेप में यह है कि (१) कुछ हरिजनों के मुहल्ले में रोशनी, पानी, सफाई व खरंजों का ठीक प्रबन्ध नहीं है, (२) श्री भगवान दीन, हरिजन अध्यापक, की पदोन्नति हो चुकी है, (३) अध्यापकों की ग्रेडेशन सूची व सेवा-पुस्तिकायें पूर्ण हैं व १९६४ से उनको बढ़ा हुआ वेतन मिल रहा है, (४) श्री इर्तिजा हुसैन, अध्यापक की नियुक्ति से वर्तमान शिक्षा अधीक्षक से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्रीमती शुषमा देवी, अध्यापिका की नियुक्ति आपत्तिजनक नहीं है तथा (५) बोर्ड के कर्मचारियों में हरिजनों की संख्या बहुत कम है और अनुपात के अनुसार वे सुरक्षित जगहों में नहीं रखे जा रहे हैं । प्रश्न में पूछी गई शेष सूचना एकत्र की जा रही है ।

*२१—श्री रघुवीर सहाय कैथवार—

*२१—उक्त दिनांक २७ सितम्बर, १९६५ के प्रश्न २० के ही उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि क्या उक्त पर्चे में यह आरोप भी है कि नगरपालिका, फतेहपुर के सभी निवासियों से टैक्स वसूलने पर भी गरीबों व अछूतों की बस्तियों में पानी व रोशनी एवं सड़कों की सुविधा नहीं दी गई ? यदि हां, तो इस संबंध में परगनाधीश ने किसको क्या रिपोर्ट दी है ?

श्री चरणसिंह—

इस आशय का भी आरोप था । परगनाधिकारी की रिपोर्ट का संक्षेप विवरण प्रश्न २० के उत्तर में दिया हुआ है ।

*२२—श्री रघुवीर सहाय कैथवार—

उक्त दिनांक २७ सितम्बर, १९६५ के प्रश्न २० के ही उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जी० ओ० संख्या २४५२–बी–८६३–५१, दिनांक १९ सितम्बर, १९५४ द्वारा हरिजन संरक्षण प्रदान होने एवं शिक्षित हरिजन उपलब्ध होने पर भी ४०–५० लिपिकों, २०–२१ चुंगी मोहर्रिरों, ६० चपरासियों, ४०,५० अध्यापकों, १२–१३ अध्यापिकाओं

में से केवल १ चपरासी, ३,४ अध्यापकों के अलावा कोई हरिजन कर्मचारी व अधिकारी न रखा जाने के भी आरोप हैं ? यदि हां, तो इस विषय पर क्या रिपोर्ट है ?

श्री चरणसिंह--

इस आशय का भी आरोप था। रिपोर्ट में यह है कि नगरपालिका फतेहपुर के कर्मचारियों में हरिजनों की संख्या बहुत कम है व अनुपात के अनुसार वे सुरक्षित जगहों में नहीं रखे जा रहे हैं।

झांसी में दूकानों को हटाने की शिकायत

*२३--श्री लखपतराम शर्मा--

क्या सरकार को ज्ञात है कि सन् १९६५ में झांसी शहर व मोहल्ला सीपरी बाजार, पुलिया नं ९, गडिया फाटक व एलाइड सिनेमा के चौराहे पर सैकड़ों दूकानें, जिनमें बहुत सी पक्की भी थीं, तुड़वाई गई व उनके सामान को भी नष्ट-भ्रष्ट कर दिया गया जिसकी शिकायत दूकानदारों के कई प्रतिनिधियों द्वारा सन् १९६५ में ही लिखित रूप में सरकार को की गई तथा स्वायत्त शासन विभाग के सभा सचिव द्वारा उक्त घटनास्थलों का दो बार निरीक्षण भी किया गया ? यदि हां, तो उन विस्थापितों को पुनर्वास के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*२४--श्री लखपतराम शर्मा--

सरकार यह बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि झांसी में मास्टर प्लान की योजना सरकार द्वारा निर्मित की गयी है ? यदि हां, तो योजना कब स्वीकार की गयी ?

श्री चरणसिंह--

झांसी में मास्टर प्लान की रूप रेखा तैयार करने के बारे में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। चूंकि मास्टर प्लान अभी तैयार नहीं हुआ है उसकी स्वीकृति दिये जाने का प्रश्न अभी नहीं उठता।

आगरा महापालिका के अध्यापकों को महंगाई भत्ता न मिलना

*२५--श्री बालोजी अग्रवाल तथा श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा महापालिका के दिनांक ४ दिसम्बर, १९६५ के प्रस्ताव, जिसमें अध्यापक एवं अध्यापिकाओं सहित महापालिका के समस्त कर्मचारियों को १० रु० मासिक महंगाई भत्ता १ अक्तूबर, १९६५ से देने का निश्चय किया गया था ? यदि हां, तो अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को महंगाई भत्ता नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह--

आगरा नगर महापालिका के प्रस्ताव दिनांक ४-१२-६५ के अन्तर्गत शा० आ० सं० ९२५-एन/९-ए--८२-जी-१९६४, दिनांक ११-३-६५ पर विचार करते हुए महापालिका के कर्मचारियों को १-१०-६५ से १० रु० प्रति माह महंगाई भत्ता देना स्वीकार किया गया था और उसमें अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को भी सम्मिलित कर लिया गया था। उक्त शा० आदेश के अधीन अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को यह भत्ता देय नहीं था, इस कारण नहीं दिया जा रहा है।

*२६—श्री बालोजी अग्रवाल तथा श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह सच है कि महंगाई भत्ता न मिलने के कारण अध्यापक व अध्यापिकायें १८ मार्च, १९६६ से अनशन कर रहे हैं जिसकी सूचना सरकार को दे दी गई है? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है?

श्री चरणसिंह—

नगर महापालिका, आगरा को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ अध्यापक, अध्यापिकायें १८ मार्च, १९६६ से अनशन करेंगे परन्तु बाद को अनशन स्थगित हो गया ।

जिला फतेहपुर में टीन का कोटा

*२७—श्री नाथूराम शिक्षक तथा श्री दयाराम शाक्य—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला फतेहपुर में कौन-कौन से व्यक्ति या फर्म एप्रूव्ड फेवरीकेटर्स हैं तथा वह किस श्रेणी के हैं तथा उनको जून, १९६४ से जून, १९६५ तक टीन का कितना-कितना कोटा दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिला फतेहपुर में केवल सर्वश्री फतेहपुर आइरन एन्ड हार्डवेयर ट्रेडिंग कम्पनी 'बी' श्रेणी के एप्रूव्ड फैबीकेटर हैं । इनको जून, ६४ से जून, ६५ तक २.७५० टन टीन का कोटा दिया गया ।

*२८—श्री नाथूराम शिक्षक तथा श्री दयाराम शाक्य—

क्या यह सही है कि जिले के एप्रूव्ड फेवरीकेटर्स मांग के अनुसार कोटा नहीं दिया गया ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां । इसका मुख्य कारण यह है कि टीन का कोटा जिले में कम आता है और जो माल आता है उसमें से सभी प्रकार की मांगों को ध्यान में रखकर इसका वितरण जिला अधिकारियों द्वारा किया जाता है ।

*२९-३१—श्री ऊदल तथा श्री उग्रसेन—

[केंद्रीय सरकार से संबंधित होने के कारण हटा दिये गये ।]

वाराणसी क्षेत्र में अधिक सब्जी उपजाओ योजना

*३२—श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अधिक सब्जी उगाओ आन्दोलन में प्रदेश के वाराणसी डिवीजन खंड में किस जिले में कितने बीज किस तरकारी (सब्जी) के वितरित किये गये? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि यह योजना खंड में किस जिले में सर्वाधिक सफल रही ?

श्री गेंदासिंह—

‡विवरण तालिका में संलग्न है । यह आन्दोलन वाराणसी जिले में सर्वाधिक सफल रहा ।

*३३-३४—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[१० वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

---

‡छापा नहीं गया ।

131796

वाराणसी जिले में कृषि सुरक्षा कार्य

*३५—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले में कृषि (प्लांट प्रोटेक्शन) फसलों को चूहों से बचाने के लिये ब्लाकों में कृषि विभाग द्वारा क्या व्यवस्था है और इस कार्य के लिये कितने कर्मचारी समस्त जिले में १९६५ में ड्यूटी पर रहे और कितनी मशीनें इस्तेमाल की गयीं ?

श्री गेंदासिंह—

फसलों को चूहों से बचाने के लिये वाराणसी जिले के २२ विकास खंडों में से १७ विकास खंडों पर चूहा नाशक दवाय तथा बिलों में धूनी देने वाली मशीनें उपलब्ध हैं। वाराणसी जिले में जिला स्तर पर कृषि रक्षा के १३ कर्मचारी तथा धान क सघन खती के पांच विकास खंडों अर्थात् बरहनी, चंदौली, सकलडीहा, साहबगंज तथा चकिया पर एक एक कृषि रक्षा पर्यवेक्षक नियुक्त हैं जो कि समस्त कृषि रक्षा कार्य जिसमें चूहा नाशक कार्य भी सम्मिलित है, के लिये है। वर्ष १९६५ में इस प्रकार उपरोक्त कार्य के लिये १८ कर्मचारी ड्यूटी पर रहे और १०६ मशीनें इस्तेमाल की गईं।

पिंडरा ब्लाक में पेय जल कष्ट

*३६—श्री ऊदल—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव थाना ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में पानी पीने के कुओं का पानी खारी है और शुद्ध पेय जल की व्यवस्था थाने रामपुर ट्यूबवेल के ऊपर टंकी बना कर तथा पाइप से देने के लिये प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक २८ मई, १९६५ को स्वायत्त शासन मंत्री को पत्र भी लिखा था ? यदि हां, तो इस सबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चरणसिंह—

जी हां। मुख्य अभियंता स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश से प्राप्त प्रतिवेदन से यह पता चला है कि इस क्षेत्र में शुद्ध पेय जल की व्यवस्था नल द्वारा ही की जा सकती है। गांव थाना धारुपट्टी तथा इनके निकटवर्ती रामपुर के लिये एक सम्मिलित योजना बनाई जा सकती है जिसकी अनुमानित लागत १.७५ लाख रुपये होगी। यदि जिला परिषद्, वाराणसी इस योजना के पूर्ण होने के पश्चात् उसके समुचित रख-रखाव का व्यय वहन करने के लिये स्वीकृति देती है तो विस्तृत योजना बनाने का कार्य आरम्भ किया जा सकता है। योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार से पर्याप्त धनराशि प्राप्त होने के ऊपर निर्भर करेगा। दूसरी योजना के अन्तर्गत लगे हुए पाइप उखाड़ कर इस योजना के लिय प्रयोग करने का प्रश्न इस समय नहीं उठता।

हाथरस में सीवेज योजना

*३७—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस में सीवेज योजना कब से चालू हुई और उस पर कितना रुपया व्यय हुआ ? वह कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री चरणसिंह—

हाथरस में सीवेज योजना सन् १९४८ में चालू हुई थी और उस पर फरवरी, १९६६ तक रु० १४,०३,३५९.७७ पैसे व्यय हो चुके हैं। मेन पंपिंग स्टेशन और सीवेज फार्म काफी अर्से से चालू है। सब-सीवेज पंपिंग स्टेशन का कार्य भी पूरा होने ही वाला है और उसके

शीघ्र ही चालू हो जाने की आशा है। शेष कार्य तभी पूरा हो सकेगा जब रुपये का प्रबन्ध हो जाय।

*३८—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—

क्या हाथरस में एक बड़ा तालाब नगर के मध्य में है जिसमें शहर के गन्दे नालों का पानी इकट्ठा होता है और शहर में मच्छर तथा गन्दगी फैलाता है? सीवेज योजना के पूर्ण होने पर इसे स्टेडियम, पार्क तथा रामलीला मैदान बनाने के लिये सरकार आर्थिक सहायता हाथरस, म्युनिसिपल बोर्ड को देने की कृपा करेगी?

श्री चरणसिंह—

जी हां। हाथरस नगर के मध्य में स्थित इस तालाब में शहर के कुछ हिस्से का गंदा पानी इकट्ठा होता है। सब-सीवेज पंपिंग स्टेशन के चालू होते ही गंदा पानी तालाब में नहीं जायगा और बरसात का ही पानी जमा होगा। सीवरेज योजना के पूर्ण होने पर इसे स्टेडियम पार्क तथा रामलीला मैदान बनाने के लिये सरकार म्युनिसिपल बोर्ड, हाथरस द्वारा आर्थिक सहायता की प्रार्थना किये जाने पर ही विचार कर सकेगी।

इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, गाजियाबाद को भवन निर्माणार्थ ऋण

*३९—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट गाजियाबाद, जिला मेरठ को भवन निर्माण के लिये केंद्रीय सरकार से कितना रुपया गत तीन वर्षों में अब तक मिला है और उस रुपये की शर्तें क्या हैं?

श्री चरणसिंह—

भवन निर्माण के लिये इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, गाजियाबाद को सीधे केंद्रीय सरकार से कोई धन प्राप्त नहीं होता है। जो भी धन प्राप्त होता है वह राज्य सरकार से ही प्राप्त होता है। गत तीन वर्षों में राज्य सरकार से इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, गाजियाबाद को भवन निर्माण के लिये प्राप्त धन का तथा शर्तों का विवरण संलग्न तालिका में दिया है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १०३ पर)

*४०—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जो भवन उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्रीय सरकार द्वारा दिये गये धन से बनाये हैं उन्हें अब तक किन-किन शर्तों पर रुपया दिया गया है?

श्री चरणसिंह—

राज्य सरकार ने केंद्रीय सरकार से धन लेकर गाजियाबाद में स्वयं कोई भी भवन निर्माण कार्य नहीं किया है बल्कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, गाजियाबाद ने राज्य सरकार से ऋण लेकर स्वयं भवन निर्माण कार्य किया है। ट्रस्ट को यह रुपया किन शर्तों पर दिया गया है इसका विवरण भी संलग्न तालिका में दिया है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १०३ पर)

*४१—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उपरोक्त भवनों को नो-प्राफिट नो-लास पर किराये-दारों को देने का विचार है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चरणसिंह--

यह विषय अभी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के विचाराधीन हैं ।

बांदा में सीवेज योजना

*४२--श्री उग्रसेन तथा श्री शिवनाथसिंह--

क्या सरकार बतायेगी कि जिला बांदा के बांदा नगर के ४ तालाबों के सम्बन्ध में शिकायत स्वायत्त शासन मंत्री एवं विभागीय अधिकारियों को की गई और उसके परिणाम-स्वरूप २१ मई, १९६५ को चीफ इंजीनियर ने बांदा के एल०एस०जी०ई०डी० इंजीनियर को यह आदेश दिया कि नगरपालिका की गन्दी नालियां तालाबों से हटा ली जायं ? यदि हां, तो अब तक नालियां तालाबों से क्यों नहीं हटाई गईं ? क्या सरकार इस पर शीघ्र ही कोई कदम उठायेगी ?

श्री चरणसिंह--

जी हां । बांदा नगर निर्माण परिषद् के सूचना मंत्री का भेजा हुआ एक पत्र भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त हुआ था । मुख्य अभियंता ने बांदा के अधिशासी अभियंता को ऐसा कोई आदेश नहीं दिया कि गन्दी नालियां तालाबों से हटा ली जायं। उन्हों ने अधिशासीअभियंता, द्वितीय प्रोजेक्ट शाखा को यह लिखा था कि जो सीवरेज योजना बनाई जा रही है उस में गन्दी नालियों को सीवर्स में डालने का सुझाव रक्खा जाय । अतएव, नालियों का तालाबों में गिरना तब ही बन्द हो सकता है जब कि सीवरेज योजना बन कर कार्यान्वित की जाय ।

लखनऊ महापालिका के शिक्षकों को वेतन बढ़ोत्तरी

*४३--श्री बिपिनबिहारी तिवारी--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि लखनऊ नगर महापलिका के शिक्षकों का १९६४ से ४ मार्च की वेतन बढ़ोत्तरी का पैसा अभी नगर महापलिका का बकाया है ? यदि हां, तो वह बकाया कब तक चुकता कर दिया जायगा ?

श्री चरणसिंह--

महापालिका द्वारा स्वीकृत किये गये पांच रुपये महंगाई भत्ते की बढ़ोत्तरी का बकाया अप्रैल, १९६४ से नवम्बर, ६४ तक का बाकी था यह निश्चय किया गया कि यह २ किस्तों में दिया जाय । पहली किस्त का भुगतान किया जा चुका है तथा दूसरी किस्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

आलू की खरीद

*४४--श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच), श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा) तथा श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रांत में आलू के गिरते हुए दाम को देखते हुए सरकार आलू खरीदने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गेंदासिंह--

सरकार के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश सहकारी संघ ने आलू खरीद कर बाहर भेजना शुरू कर दिया है ।

*४५-४६--श्री रियासत हुसैन--

(१० वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।)

*४७–४८---श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

[१०वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

*४९–५०---श्री शिवनाथसिंह---

[१० वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

*५१---श्री जगदीश प्रसाद पांडेय---

[१० वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

नौगढ़ विकास क्षेत्र में पेय जल कष्ट

*५२---श्री रामलखन (जिला वाराणसी)---

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र नौगढ़, जिला वाराणसी के ग्रामीणों को पानी पीने के कुओं का सर्वथा अभाव है और वहां ग्रामीण लोग गर्मियों में ३–४ मील स्थित गन्दे नालों, बांधों तथा सिंचाई विभाग की बन्धियों से अस्वास्थ्यकर पानी लाकर पीते हैं ? यदि हां, तो सरकार उस क्षेत्र के नागरिकों को शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने की कौन-सी योजना बना रही है ?

श्री चरणसिंह---

विकास क्षेत्र नौगढ़, जिला वाराणसी में शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने के लिये स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा एक योजना बनाई जा रही है।

*५३---श्री रामलखन---

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त विकास क्षेत्र के ७५ गांवों में मैसौरा जलाशय (वाराणसी) से पाइप से पानी लेकर शुद्ध जल पूर्ति की व्यवस्था के निमित्त स्वायत्त शासन इंजीनियरिंग विभाग ग्रामीण ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम फार स्केयरसिटी एरिया स्कीम के अन्दर कोई योजना तैयार की है तथा सिंचाई विभाग से उक्त जलाशय से पानी लेने की सुविधा मांगी है ? यदि हां, तो उस योजना पर कुल कितना व्यय होगा तथा वह स्कीम कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री चरणसिंह---

इस क्षेत्र के लिये जो योजना बनाई जा रही है उसमें ७५ ग्राम सम्मिलित किये जा रहे हैं। पानी मैसौरा जलाशय से लिये जाने का प्रस्ताव है। इस योजना पर लगभग २८ लाख रुपये व्यय होने की सम्भावना है। सिंचाई विभाग की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ६ मास के अन्दर योजना बन जाने की आशा है।

*५४---श्री रामलखन---

क्या यह सत्य है कि सिंचाई विभाग, वाराणसी ने मैसौरा जलाशय से पेय जल की व्यवस्था के निमित्त स्वायत्त शासन विभाग, लखनऊ को पानी देने से अपनी असहमति प्रकट की है ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चरणसिंह---

मैसौरा जलाशय से पानी लेने के सम्बन्ध में असहमति की कोई सूचना सिंचाई विभाग से नहीं प्राप्त हुई है।

*५५–५६---श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---

[१० वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

*५७–५८––श्री शिवराजसिंह––

[१० वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

इलाहाबाद महापालिका कर्मचारी

*५९––श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) ––

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद महापालिका में कर्मचारियों की कुल कितनी संख्या है तथा उनमें कितने अस्थायी स्थानों पर कार्य कर रहे हैं तथा कितने स्थायी हैं ?

श्री चरणसिंह––

इलाहाबाद नगर महापालिका में कर्मचारियों की संख्या ५३६१ है जिनमें ३५४५ स्थायी हैं और १८१६ अस्थायी हैं ।

*६०––श्री कल्याणचन्द मोहिले––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद महापालिका ने कोई सूची तैयार की है जिसमें बहुत से कर्मचारियों को नौकरी से अलहदा किया जायगा तथा जो अस्थायी हैं उनको स्थायी पद पर नियुक्त किया जायगा ? यदि हां, तो कितने कर्मचारियों की सूची है ?

श्री चरणसिंह––

स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारियों की सूची हर कार्यालय अथवा विभाग शासकीय परम्परा के अनुसार तैयार करता है । महापालिका, इलाहाबाद ने भी इस प्रकार की सूची तैयार की है । कर्मचारियों की अलहदगी या स्थायीकरण सूची पर निर्भर नहीं है, वरन् समय की वस्तु स्थिति पर ।

खाद्य मन्त्री का विवेक निधि

*६१––श्री राजेन्द्रसिंह––

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष, १९६४–६५ में उनके द्वारा विवेक निधि के रूप में कितना धन निश्चित था तथा किस-किस व्यक्ति को कितना-कितना धन दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी––

कुछ नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

वन मन्त्री का विवेक निधि

*६२––श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)––

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष, १९६४–६५ में उनके द्वारा विवेक निधि के रूप में कितना धन निश्चित था तथा किस-किस व्यक्ति को कितना-कितना धन दिया गया ?

श्री चरणसिंह––

विवेक निधि के रूप में मेरे पास वन मंत्री की हैसियत से वित्तीय वर्ष १९६४–६५ में कोई धनराशि निश्चित नहीं थी । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

कृषि मन्त्री का विवेक निधि

*६३—श्री यादवेन्द्रदत्त—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६४–६५ में उनके द्वारा विवेक निधि के रूप में कितना धन निश्चित था तथा किस-किस व्यक्ति को कितना-कितना धन दिया गया ?

श्री गेंदासिंह—

वित्तीय वर्ष १९६४–६५ में कृषि मंत्री की विवेक निधि के लिये १७,५०० रु० का प्राविधान था। जिन व्यक्तियों तथा संस्थाओं को इस निधि से जो सहायता दी गई उनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १०४–१०५ पर।

स्थानीय निकाय कर्मचारियों की सुपरएनुएशन एज

*६४—श्री हरीश कुमार गंगवार—

क्या सरकार ने स्थानीय निकाय के कर्मचारियों की सुपरएनुएशनएज ५८ के बजाय ६१ कर देने का निर्णय कर लिया है ? यदि हां, तो यह योजना कब से लागू होगी और क्या जिला परिषद् के कर्मचारी भी इससे लाभान्वित होंगे ?

श्री चरणसिंह—

शासन ने १९६४ में निर्णय ले लिया जो ३० नवम्बर, १९६४ से कार्यान्वित हो गया इसमें ५८ से ६० वर्ष को सुपरएनुएशन आयु की गई।

यह केवल शहरी स्थानीय निकायों पर लागू होता है।

*६५—श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा पिथौरागढ़)—

[९वें बुधवार के लिये प्र० सं० ८४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*६६–६७—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

[८वें शुक्रवार के लिये प्र० सं० १०७–१०८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*६८—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

[१०वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

अतारांकित प्रश्न

खेसरहा विकास खण्ड में फसल सुरक्षा

१—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती विकास खण्ड खेसरहा के अन्तर्गत चूहों के उत्पात से अधिकांश फसल, जो पकने के करीब है, नष्ट होती जा रही है ?

श्री गेंदासिंह—

विकास क्षेत्र खेसरहा में चूहों के प्रकोप की सूचना केवल मन्झरिया गांव से मिली है।

२—श्री जगदीशप्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार जिला स्तर के कर्मचारियों को तत्काल आदेश देगी कि उसके लिये तत्काल कदम उठाये जिससे अविलम्ब अनाज नष्ट होने से बचाया जा सके ?

श्री गेंदासिंह--

इस प्रकार के आदेश पहिले से ही हैं ।

३-५--श्री रामकिशोर वर्मा--

[१० वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

६-७--श्री मुहम्मद रफी खां--

[१० वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

उत्तर प्रदेश इस्टेट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर का १९६३-६४ का वार्षिक प्रतिवेदन†

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)--

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश इस्टेट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के कार्यों का १९६३-६४ का वार्षिक प्रतिवेदन, जिसमें लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन सम्मिलित है, को कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ की धारा ६१९-ए के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६६

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६६ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक २८ मार्च, १९६६ की बैठक में पारित किया था और जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था तथा जो विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक २९ मार्च, १९६६ को वापस प्राप्त हो गया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २९ मार्च, १९६६ को प्राप्त हो गई है, और वह १९६६ का उत्तर प्रदेश का दसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की याचिका समिति (१९६५-६६) का नवम् तथा दशम् प्रतिवेदन†

श्री होतीलाल यादव (जिला इटावा)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की याचिका समिति (१९६५-६६) का नवम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की याचिका समिति (१९६५-६६) का दशम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश तृतीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९६५-६६) का पन्द्रहवां प्रतिवेदन†

श्री केशमान (जिला गोरखपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, प्राक्कलन समिति की हैसियत से उत्तर प्रदेश तृतीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९६५-६६) के पन्द्रहवें प्रतिवेदन को, जो सांस्कृतिक कार्य तथा वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग से संबंधित है, प्रस्तुत करता हूं ।

---

†छापे नहीं गये ।

श्री टम्बश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)---

अध्यक्ष महोदय, हमेशा की सी यह अब परम्परा बनती जा रही है कि सरकारी प्रेस हमारे काम में देरी करता है। कम से कम इतना तो हो कि वह हमारी प्रतियां पहले भेज दिया करें। यह बात में छाप कर देने की प्रथा सी बनती जा रही है।

श्री अध्यक्ष---

मैं यह मानने को तैयार हूं कि हमारे मुद्रणालय में कठिनाई हो रही है लेकिन इसके साथ साथ में बिना किसी के ऊपर आलोचना किये हुये यह समझता हूं कि प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति की रिपोर्ट जनवरी में सदन में आनी चाहिये, न कि अप्रैल में। वह हर साल जनवरी म आनी चाहिये ताकि उसका लाभ उठाया जा सके। जब इतनी विलम्ब से आयगी तो आप लाभ क्या उठायें ?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

श्रीमन्, आप इस पर पूरा कंट्रोल करें, उसका मेनुसक्रिप्ट आ जाता है और देर लगने से उसका मतलब ही खत्म हो जाता है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

इसको तो श्रीमन्, आप ही ठीक करें वर्ना यह सरकार इसे ठीक न कर सकेगी।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---

एक कामरोको प्रस्ताव आया है और उसको मैंने अस्वीकार कर दिया है।

आजमगढ़ जिले की हरिजन बस्ती इजरार (कटिहारी) पर सरबसपुर ग्राम के भूतपूर्व जमींदारों द्वारा आक्रमण के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सचना

श्री अध्यक्ष---

नियम ५२ की कई एक सूचनायें आई हैं, उनमें से श्री झारखंडे राय की है जिसको मैंने वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है, जो इस प्रकार है:---

"गत ४ अप्रैल को दिन दहाड़े १२ बजे आजमगढ़ जिला के थाना जीयनपुर---अन्तर्गत हरिजन बस्ती इजरार (कटिहारी) पर, सरबसपुर, ग्राम के भूतपूर्व जमींदारों ने लगभग ३० की संख्या में बन्दूक, बल्लम, भाला, गंड़ासा, और लाठियों से लैस भृगुनाथ सिंह और विजय बहादुर सिंह के नेतृत्व में, आक्रमण किया, मकानों के खपरल को फोड़ा-तोड़ा जो मिला उसे मारा पीटा, गाली गालौज दी, महिलाओं का घोर अपमान किया, आधा दर्जन बूढ़े और छोटे बच्चों को बुरी तरह घायल किया।

स्थानीय पुलिस ने जो प्रमुख हरिजन थाने पर रिपोर्ट करने गये, उन्हें गाली गलौज दी, मारने पीटने की धमकी दी, और भगा दिया। एक बूढ़े घायल से मनमानी रिपोर्ट लिखवाई। निश्चित रूप से जोयनपुर थाना की पुलिस और विशेष कर थानेदार हमलावरों से मिले हैं। गांव अरक्षित सा पड़ा है। मैंने स्वयं मौके का निरीक्षण किया है।"

इस पर माननीय गृह मंत्री जी कब वक्तव्य देंगे ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)---

श्रीमन्, इस पर १५ तारीख को वक्तव्य दे देंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, इसमें जो आरोप है वह यह है कि वहां का जो थानाध्यक्ष है, वह हमलावरों से मिला हुआ है। इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि एक हरिजन बस्ती पर हमला किया गया है। अतः वक्तव्य देने से पहले, माननीय गृह मंत्री तो मौजूद नहीं है, माननीया मुख्य मंत्री जी उस थानाध्यक्ष को वहां से ट्रान्सफर कर दें या वहां के हरिजनों की सुरक्षा की उचित व्यवस्था कर दें ताकि वे अरक्षित न रह जायं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, जो उचित व्यवस्था होगी, वह की जायगी।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने इस पर १५ तारीख को वक्तव्य देने के लिये कहा लेकिन ऐसा सुना गया है कि १५ तारीख को सदन नहीं चलेगा। तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात का प्रयास करेंगे कि वक्तव्य पहले ही हो जाय ?

श्री अध्यक्ष—

१५ तारीख तक तो हम निश्चित रूप से बैठ रहे हैं। इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। मेरे पास जो सूचना आयी है वह यह है कि १५ तारीख को २५ फरवरी, १९६६, के स्थान पर असरकारी दिवस होगा।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह कि क्या आपने दफा ५२ की प्रतिलिपि गृह मंत्री के पास भेजी ? यदि हां, तो वे सदन में क्यों मौजूद नहीं है। उनके स्थान पर माननीय बंशीधर पांडेय जी उत्तर दे देते हैं, जो कि इस सरकार के हर मर्ज की दवा हैं।

विधान परिषद् सदस्य, डाक्टर जेड० ए० फरीदी द्वारा लिखित पुस्तक से भारत विरोधी एवं साम्प्रदायिक उत्तेजना फैलने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना माननीय टम्बेश्वरप्रसाद ने दी है जो कि विधान परिषद् सदस्य डा० जेड० ए० फरीदी ने एक पुस्तक "ताशकन्द डिक्लेरेशन एंड दि प्राब्लम्स आफ इन्डो पाक माइनरीटीज" नाम से लिखकर प्रकाशित की है, के सम्बन्ध में है। इसमें आगे कहा गया है कि "साम्प्रदायिक पुस्तक में ऐसे गलत तथ्यों को तोड़-मरोड़कर लिखा गया है कि जिसमें कि पूरे प्रदेश में भारत विरोधी एवं विघटनकारी साम्प्रदायिक उत्तेजना फैल रही है। बताया गया है कि पिछले १९ वर्षों में भारत में मुसलमान बड़े ही मानसिक शारीरिक तथा आर्थिक दबाव में रह रहे हैं। भारत के ४५ करोड़ नागरिकों के एक राष्ट्र की कल्पना को अनमिटीगेटेड नानसेंस बताया गया है। भारत पाक युद्ध को हिन्दू मुस्लिम का संघर्ष का परिणाम बताते हुए मुसलमानों को भारत के विरुद्ध भड़काने का प्रयास किया गया है।"

इस पर माननीय मंत्री जी कब वक्तव्य देंगे ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

श्रीमन्, इस पर १४ तारीख को वक्तव्य दे दिया जायगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

एक माननीय सुरेन्द्र विक्रम और केशव सिंह जी की सूचना है। इसको मैंने माननीय राजस्व मंत्री जी के पास भेज दिया है। यह अग्निकांड से सम्बन्धित है। कहा गया है कि वहां पर उचित व्यवस्था नहीं की गयी।

एक माननीय लखपत राम शर्मा जी की सूचना है। इसको भी मैंने माननीय राजस्व मंत्री जी के पास भेज दिया है। यह विकास खंड, कल्यानपुर के संबंध में है।

एक माननीय बिपिनबिहारी तिवारी जी का है। इसको मैंने विशेष ध्यान हेतु माननीया मुख्य मंत्री जी को भेजा है। यह सीतापुर जिले के विकास खंड हरगांव के ग्राम खदेरापुर गड़सारी, फिरोजपुर और नेवादी के बीच बने जुआर तालाब जो कि उस क्षेत्र की जनता के लिये सिंचाई का एकमेव साधन है, उसके पानी को निकालने के लिये 'केन डेवलपमेंट कौंसिल", हरगांव द्वारा जबरदस्ती एक नाला खोदा जा रहा है, के सम्बन्ध में है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

श्रीमन् व्यवस्था का प्रश्न है। आप नियम ५२ में एक ही सूचना स्वीकार करते हैं और बाकी के बारे में घोषणा करते हैं कि संबंधित मंत्री के पास उचित कार्यवाही के लिये भेज दिया गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमको कभी नहीं मालूम होता है कि आपके भेजने के बाद संबंधित मंत्री ने क्या व्यवस्था की। तो जो आप नियम ५२ के अन्तर्गत भेजें उसके संबंध में हमको भी सूचना मिले कि क्या कार्यवाही हुई।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न एक, दो मर्तबा पहले भी उठाया गया और मुझे खुशी है कि मुझसे कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि सूचना के परिणामस्वरूप वहां कार्यवाही हुई, जहां-जहां मैंने लिख दिया था "विशेष ध्यान हेतु"। दूसरी बात यह है कि माननीय मंत्रिगण मेरे पास सूचना के लिये वह कार्यवाही भी भेज देते हैं कि सूचना पर अमुक कार्यवाही हुई और मैं उस पर लिख भी देता हूं कि माननीय सदस्य से भी बातचीत कर ली जाय। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो मैं यह सूचनाएं भेज रहा हूं यह एक नई प्रथा है, अन्यथा कहीं हमारे नियमों में इसकी व्यवस्था नहीं है। जो कुछ मैं सेवा कर सकता हूं इसके द्वारा कर लेता हूं।

श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)—

देवरिया में रुद्रपुर एक बाढ़ का इलाका है जिसमें १२, १३ साल से बाढ़ आ रही है और दो वर्ष पहले जो मालगुजारी माफ हुई थी वह इस समय वसूल हो रही हैं.....

श्री अध्यक्ष—

मैं निवेदन कर दूं कि माननीय राजस्व मंत्री ने कहा था कि जो मालगुजारी स्थगित होती है वह विशेष काल के लिये होती है। उस काल के व्यतीत होने के बाद, वह वसूल की जाती है। तो उसी आधार पर आपने कहा कि १९६४ में वह मालगुजारी स्थगित हुई थी, माफ नहीं हुई थी।

श्री चन्द्रबली सिंह—

हमने तो माफ लिखा है।

श्री अध्यक्ष—

आप राजस्व मंत्री से बात कर लें। अगर हमें संतुष्ट कर देंगे कि माफी हुई है तो हम देख लेंगे।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

जिस सीजन में अगर स्थगित हुई थी तो दूसरी फसल में उसकी वसूली होनी चाहिये थी। लेकिन दूसरी फसल में वसूल न होना हो इस बात को स्पष्ट करता है कि माफी हुई थी।

श्री अध्यक्ष—

आप हमें संतुष्ट कर दीजिये तो हम देख लेंगे।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मैंने, माननीय नेकराम शर्मा तथा अन्य ८, ९ सदस्यों ने फैजाबाद जिले में दो कत्ल हो गये हैं उसके संबंध में नियम ५२ की सूचना दी थी। आपने स्वीकार नहीं किया। लेकिन आप से निवेदन है कि आप उसको यदि गृह मंत्री के पास जांच के लिये ही भेज देते तो हम सबको काफी संतोष हो जाता।

श्री अध्यक्ष—

उस पर जो मैंने लिखा है उसको आप देख लें। उस पर जो मेरा नोट है अगर मुझे संतुष्ट कर देंगे तो मैं गृह मंत्री के पास भेज दूंगा।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

मेरा विशेषाधिकार का प्रश्न काफी अर्से से चल रहा है, उसके बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी ने १४ तारीख को इस पर वक्तव्य देने को कहा है। पुस्तक सामने है और मंत्री जी यहां हैं, वह बराबर बंद रही है। मेरा कहना है कि इसको देख कर वह वक्तव्य दे सकते हैं। १४ तारीख को चुनाव होगा, इसलिये यदि अभी वक्तव्य न दे सकें तो १३ तारीख रख दें।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, १४ को चुनाव है, थोड़े से लोग उसमें व्यस्त रहेंगे...

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

१५ को रख दें।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

नहीं श्रीमन्, १४ ही रहने दें।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

श्रीमन्, मेरा विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न डाक्टर सीताराम के खिलाफ है.....

श्री अध्यक्ष—

अभी हम देखेंगे। उसे नहीं देखा है।

म्योर मिल, कानपुर के कई महीनों से लगातार बन्द रहने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

*सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

जुलाई-अगस्त, १९६५ में कानपुर की सूती मिलें भारी मात्रा में माल इकट्ठा हो जाने के कारण विषम परिस्थिति में पड़ गई थीं। म्योर मिल में भी काफी माल इकट्ठा हो जाने से मिल को यथेष्ठ आर्थिक कठिनाई होने लगी। यह ज्ञात हुआ कि स्टेट बैंक पहले ही मिल को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता देती रही थी पर कम्पनी ने बहुत सी गंभीर अनियमितातएं की जिससे बैंक ने आर्थिक सहायता देना बन्द कर दिया। सितम्बर १९६५ में इन्डस्ट्रीज (डेवलपमेन्ट एन्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, १९५१ के अधीन मिल के कार्य इत्यादि के संबंध में एक जांच कराने का निर्णय लिया गया। इसी बीच मजदूरों के हड़ताल के फलस्वरूप मिल ९ अगस्त, १९६५ को बन्द हो गई।

भारत सरकार ने उक्त ऐक्ट की धारा १५ के अधीन एक जांच समिति की नियुक्ति ७ सितम्बर, १९६५ को कर दिया था। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, १९६५ में दी। समिति की रिपोर्ट से विदित हुआ कि मिल का प्रबन्ध दोषयुक्त था तथा प्रबन्धकों ने ऐसी त्रुटियां कीं जिससे मिल की आर्थिक स्थिति खराब ही होती गई। विभिन्न प्रकार की देनदारी मिल के ऊपर बढ़ती चली गई। कम्पनी के ऊपर कुल देनदारी १५० लाख रुपये के लगभग है।

जांच समिति के अनुसार मिल की मशीनरी तथा प्लान्ट की दशा ऐसी नहीं है कि उनसे काम लेना तथा थोड़ा लाभ कमाना संभव न हो। समस्त बातों पर विचार करने के पश्चात् समिति ने सिफारिश की कि मिल के वर्तमान प्रबन्धकों के स्थान पर एक एथराइज्ड कन्ट्रोलर की नियुक्ति की जाय तथा मिल चालू करने के लिये ६० लाख रुपये की व्यवस्था की जाय। समिति ने यह भी विचार व्यक्त किया कि स्थायी रूप में ठीक से मिल को चलाने एवं समुचित लाभ प्राप्त करने के लिये मिल का नवीनीकरण करना भी आवश्यक है जिसके लिये अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी।

जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् एवं लगभग ५,६०० मजदूरों के हित को देखते हुए भारत सरकार ने राज्य सरकार की सिफारिश पर अविलम्ब एक एथराइज्ड कन्ट्रोलर की नियुक्ति दिसम्बर, १९६५ के अन्त में कर दिया जिन्होंने मिल का कार्यभार १ जनवरी, १९६६ से संभाल लिया। इधर तुरन्त मिल द्वारा स्टेट बैंक से ६० लाख रुपये का ऋण प्राप्त करने के लिये भारत एवं राज्य सरकारों ने गारन्टी देने का निर्णय लिया ताकि मिल को शीघ्रातिशीघ्र चालू किया जा सके। इस विषय में विशेष कठिनाई यह है कि मिल की तमाम सम्पत्ति पहले ही स्टेट बैंक के पास बैंक द्वारा दिये गये आर्थिक सहायता के लिये बंधक है। अतः मिल के पास ऐसी कोई खाली सम्पत्ति नहीं है जिसकी सिक्योरिटी पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार उक्त गारन्टी दे सकें। इस दिक्कत को हल करने के लिये बैंक एवं भारत सरकार से विचार विमर्श किया गया है। इस बात की भरसक कोशिश की जा रही है कि बैंक से शीघ्र ऋण प्राप्त किया जा सके तथा मिल को अविलम्ब चालू किया जा सके।

यह स्पष्ट है कि बिना आर्थिक सहायता प्राप्त हुए मिल को चालू नहीं किया जा सकता। बैंक से रुपया प्राप्त करने के पहले तमाम प्रारम्भिक कार्यवाही करनी पड़ती है। मजदूरों की परेशानियों को सरकार भलीभांति समझती है और सरकार का बराबर यही प्रयत्न है कि मिल को जल्द से जल्द चालू किया जा सके। परन्तु जब तक रुपया नहीं मिल जाता मिल को पूर्ण रूप से चालू करने की एक निश्चित तिथि की घोषणा करना लाभप्रद न होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस बीच बिजली, पानी इत्यादि, जो कट गई थी, को पुनः प्राप्त करने की व्यवस्था आथराइज्ड कन्ट्रोलर ने कर ली है। मशीनरी और प्लान्ट की ओवरहालिंग इत्यादि भी की गई है ताकि रुपया मिलते ही मिल को चालू किया जा सके। बैंक से इन्टरिम ऋण प्राप्त करने की कोशिश की गई है। एथराइज्ड कन्ट्रोलर ने वेयर हाउस एवं प्रोसेसिंग हाउस को ४ अप्रैल, १९६६ से चालू कर दिया है।

श्री सन्त सिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

पिछली बार जब मैंने कामरोको प्रस्ताव दिया था उसको बाद मुख्य मंत्री ने कंट्रोलर के सामने मजदूरों से यह वादा किया था कि हम पहली मई से इस मिल को चलायेंगे और श्रम मंत्री का बयान भी अखबारों में इस प्रकार का आया है कि पहली मई से मिल चलेगी लेकिन मुझे यह बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि.....

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछें।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

मुख्य सवाल यह है कि पहले भी दसों बार वादा किया गया है कि मिल चालू की जायगी चीफ मिनिस्टर तथा लेबर मिनिस्टर ने भी कहा है कि १ ली मई से मिल चलेगी, तो मैं स्पष्ट तरीके से जानना चाहता हूं कि पहली मई से आप मिल चलायेंगे या नहीं ?

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, पहले भी इस सदन के अन्दर मैंने कहा था कि हमारा इरादा है लेकिन निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता। हो सकता है कि पहली मई को मिल खुल सके और न भी खुल सके। परन्तु बराबर हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि मिल चालू की जाय क्योंकि आर्थिक स्थिति के कारण यह स्थिति उचित नहीं हो सकती।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

इस बात को देखते हुए कि कमेटी ने निश्चित रूप से कहा है कि मिल खोली जाय, लेकिन ऐसा लगता है कि मिल मालिकों ने जानबूझ कर इसे बन्द करने का प्रयत्न किया है, तो क्या माननीय मंत्री जी इन मजदूरों के लिये कोई अन्तरिम रिलीफ दिलवाने की कृपा करेंगे और मिल वालों से उसे खुलवाने की व्यवस्था करायेंगे ?

श्री बनारसीदास—

इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के अन्दर जो कमिटमेंट होता है उसके मुताबिक उसे पूरा करने की कोशिश की जाती है लेकिन इंटरिम रिलीफ की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी को विश्वस्त सूत्र से या अपने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से यह सूचना मिली है कि जिस प्रकार से म्योर मिल बन्द हो गयी और चल नहीं पाई उसी प्रकार से कानपुर की तीन सूती मिलें बन्द होने जा रही हैं और मिल मालिक उनको बन्द करने जा रहे हैं और सरकार को ब्लैकमेल करके यह दबाव डालना चाहते हैं कि जो एरियर्स उन पर हैं वह वसूल न किये जायं ?

श्री बनारसीदास—

जैसा मैंने बतलाया कानपुर के सूती उद्योग के अन्दर काफी संकट है और यह सही है कि उनपर काफी लायबिलीटीज भी हैं। जैसा मैंने कहा म्यार मिल बन्द है। विक्टोरिया की हालत

[श्री बनारसी दास]

से भी सरकार पूरी तरह से अवगत है और जो कुछ किया जा सकता है सरकार करने का प्रयास कर रही है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---

कानपुर की सूती मिलों में जो संकट पैदा हुआ है उसकी मुख्य जिम्मेदारी वहां के मिल मालिक हैं जो इस जांच कमेटी की रिपोर्ट से साबित है । बकिया मिल मालिक मजदूर और सरकार पर दबाव डालना चाहते हैं तो इस बात को तथा जांच रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार म्योर मिल को लेने के अलावा इस मिल के खिलाफ कोई और भी कार्यवाही करेगी क्योंकि सात ६ हजार मजदूर ९ महीनों से बेकार हैं ?

श्री बनारसीदास---

रेगुलेशन आफ डेवलपमेन्ट ऐक्ट के मुताबिक जब तक इंक्वायरी न करें तब तक कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिये इंक्वायरी की गयी । जैसा माननीय सदस्य को ज्ञात है उसके अन्दर कुप्रबन्ध पाया गया जिससे अधिकृत प्रशासक नियुक्त किया गया और अन्य मिलों में भी जहां जरूरत होगी उनको नियुक्त किया जायगा ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

म्योर मिल के अलावा विक्टोरिया मिल, स्वदेशी मिल का जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया कि उनकी हालत खराब है और सरकार का करोड़ों रुपया तथा मजदूरों का काफी रुपया बकाया है तो क्या सरकार मिल मालिकों को बुला कर ऐसी व्यवस्था करेगी ताकि सरकार का तथा मजदूरों का रुपया डूबने न पाये ?

श्री अध्यक्ष---

आप प्रश्न केवल म्योर मिल के संबंध में ही पूछें ।

श्री ऊदल---

माननीय मंत्री जी ने विक्टोरिया मिल का हवाला दिया था ।

श्री अध्यक्ष---

आप ठीक कहते हैं । मेरा निवेदन है कि आप दुबारा जिक्र न करें । उन्होंने कह दिया । उस समय मैं रोक नहीं सकता था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि क्या कहने जा रहे हैं । वर्ना प्रश्न म्योर मिल का है । दूसरी मिलों का झगड़ा उठेगा तो दिक्कत होगी ।

श्री ऊदल---

म्योर मिल बन्द हो गयी और सरकार उसे लेने जा ही है, वह आज तक नहीं चल पाई और मेरी जानकारी के अलावा माननीय मंत्री जी को भी जानकारी है कि सूती उद्योग में संकट आ गया है तो क्या माननीय मंत्री इन ५,६ मिलों के मालिकों को बुला कर इस संकट को दूर करने का प्रयास करेंगे ?

श्री बनारसीदास---

मिलमालिकों से बराबर बातचीत की जाती है लेकिन कई दफा बातचीत करने से कोई अच्छा नतीजा तो निकलता नहीं है । म्योर मिल अबतक चालू न होने का मुख्य कारण यह है कि पहले हम समझते थे कि ६० लाख रुपये से काम चल जायगा अब मालूम होता है कि उससे काम नहीं चलने वाला है और जितनी लायबिलिटीज हैं, जितना इमीडियेट पेमेंट करना है उसको देखते हुये मिल को चालू करने के लिये करीब करीब ५०-६० लाख रुपये की और

जरूरत है। फ्री फ्राम इन्कम्बेन्सेज कोई असेट्स नहीं है जिनको मार्गेज किया जा सके। हमारे सामने जो सबसे बड़ा हित है वह लगभग ६ हजार मजदूरों को काम दिया जाय लेकिन बावजूद इसके इस मिल की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि गवर्नमेंट कोई गारंटी दे सके। हमारे अधिकारी इस ओर बराबर सजग हैं और पहले अप्रैल को दिल्ली भी गये थे और मुख्य मंत्री भी दिल्ली जायंगे। १ करोड़ २० लाख रुपया हो तो इस मिल को चलाया जा सके। बिला इसके इस मिल का चलना कठिन है।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—

म्योर मिल के बन्द होने से आज छठां महीना है कि मजदूरों के घर में खानेतक को नहीं है। इसकी जिम्मेदारी सरकार की है या नहीं? अगर सरकार ३१ लाख रुपया एक मिल मालिक का राइट आफ कर सकती है तो सरकार की यह जिम्मेदारी भी है कि मजदूरों के लिये कोई प्रबन्ध करे ताकि उनके बच्चों को खाने को तो मिले?

श्री बनारसीदास—

माननीय सदस्य की सूचना सही नहीं है कि कोई रुपया राइट आफ किया गया है। लेकिन यह एक बड़ा बुनियादी सवाल है। इसका मतलब यह है कि सरकार तमाम प्रदेश के अन्दर अनएम्प्लायमेन्ट इंश्योरेन्स को लागू करे। यह एक बहुत बड़ा सवाल है, एक प्रश्न के उत्तर में इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। फिर म्योर मिल का क्या सवाल जहां वही प्रान्त में बेरोजगारी की सरकार अनएम्प्लायमेंट इंश्योरेन्स को लागू करे। मैं नहीं समझता कि कोई राज्य सरकार इस स्कीम को अपने ऊपर ले सकती है।

श्री इन्द्रेश्वरप्रसाद—

मंत्री जी के वक्तव्य में दो बातें विशेष रूप से हैं। एक तो यह कि कानपुर में जब भी माल इकट्ठा हुआ तभी मिलमालिकों ने सामूहिक रूप से मिलों को बन्द करने की योजना उठाई। दूसरी बात वह कहते हैं कि प्लान्ट ऐसा हो गया है कि उससे लाभ कमाना सम्भव नहीं है। ये मिल मालिक उन्हीं प्लान्ट्स से पैसा खींच कर दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो सरकार मिल मालिकों की जो यह गलत योजना है मिलों को बन्द कराने की वह नाकामयाब हो सकें, इसके लिये क्या-क्या कदम उठाने जा रही है?

श्री बनारसीदास—

अभी आपने देखा कि एक फैक्टरी के बारे में आथोराइज्ड कंट्रोलर नियुक्त किया गया है। दूसरी फैक्टरीज के बारे में भी जांच की जा रही है। एक तरफ तो माननीय सदस्य चाहते हैं कि जांच करने के बाद रूल आफ ला हो। तो प्रोसेस आफ ला के मुताबिक ही सब काम हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि चाहे जिसकी प्रापर्टी कन्फिस्केट कर लें।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

इस प्रदेश में किसान और मजदूर से टैक्स तुरन्त वसूल कर लिया जाता है और बड़ी-बड़ी मिलों पर न बिक्री-कर वसूल किया जाता है, न इन्कम टैक्स, बल्कि माफ कर दिया जाता है तो इस परिस्थिति को देखते हुये क्या सरकार यह विचार करेगी ऐसी सारी मिलों को जिनमें यह कठिनाई है सरकार अपने अधिकार में लेकर स्वयं चलाये और यदि नहीं चलाना चाहती है और टैक्स माफ करना चाहती है तो इसका क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष—

एक मिल तो लेते हुये आफत हो रही है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

इस बात को देखते हुये कि कानपुर में सूती मिलों के ऊपर संकट आ गया है और यह संकट मालिकान पैदा कर रहे हैं और आर्थिक स्थिति पैदा कर रहे हैं जिससे मिल न चल सके तो इसके बारे में केन्द्रीय सरकार से अर्थाभाव को दूर करने के लिये कोई विचार किया जा सके, ऐसा कोई प्रयास किया गया है ? यदि हां, तो क्या किया है ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

श्रीमन्, इस समय भारत वर्ष में कई टैक्सटाइल मिल्स हैं जिनकी हालत ठीक नहीं है। इसके लिये हम भी और केन्द्रीय सरकार भी चिन्ताशील है और प्रयास किया जा रहा है कि यह मामला कैसे सुलझाया जाय। कुछ मिल मालिकों की गलती है और कुछ मजदूरों की गलती है। इसके लिये मैं माननीय मन्त्रभाई शाह से भी मिल चुकी हूं और पैसा ज्यादा लेने का प्रयास कर रही हूं क्योंकि बिना ज्यादा पैसे के यह काम नहीं हो सकता है। परसों मैंने माननीया प्रधान मंत्री से भी बात की है और परसों हमारे अधिकारी भी डिटेल्स में बात करने के लिये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

जो माल जमा है उसका क्या होगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

श्रीमन्, जो माल जमा था वह बिक्री हो रहा है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

श्रीमन्, जो कमेटी हुई उसमें साबित हो गया है कि इन मिल मालिकों ने बैंक, मजदूर और सरकार के साथ धोखा किया है तो क्या मंत्री जी उनको प्रासीक्यूट करेंगे या नहीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस सरकार की तरफ से काफी ध्यान दिया जा रहा है कि इस तरह से स्थिति बिगड़ने न दें और अगर बिगड़े तो क्या ऐक्शन लिया जाय।

श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये बतायेंगे कि अगर इंडस्ट्रियल ऐक्ट के मुताबिक अगर मिल मालिक प्ले आफ करता है तो मजदूर आधी तनख्वाह पाने के अधिकारी हैं ? यहां मजदूर ९ महीने से बेकार हैं और २५ हजार उनके परिवार के लोग भूखों मर रहे हैं तो क्या वे नियमों के अनुसार आधी तनख्वाह दिलाने की कृपा करेंगे ? इसके लिये केन्द्रीय सरकार से कोई बातचीत हुई है कंट्रोलर को रखे हुये भी तीन महीने को हो गये हैं। क्या मंत्री जी आश्वासन दे सकेंगे कि १५ दिन में या तीन हफ्ते में मिल खुल जायेगी और मजदूरों को काम दिया जायेगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

श्रीमन्, जब ऐसा मिल लिया जाता है तो मजदूरों के साथ एग्रीमेंट होता है। कानून के अनुसार उनको दिया जायेगा। जब फैसला हो जाता है तभी मिल खुलती है। मैं चाहती हूं कि जल्दी से जल्दी मिल खुले। इसके लिये हम लोग भर सक प्रयास करेंगे कि मई के पहले हफ्ते तक मिल खुल जाय।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय)—

श्रीमन्, ९ महीने से मिल है और अब कानपुर में टोटल राशनिंग हो गया है इसलिये मजदूर बनिये से उधार नहीं ले सकता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि मिल में गल्ले की दूकान खोल दी जाय और जितने बोनाफाइड मजदूर हैं उनको गल्ला आनलोन या क्रेडिट पर दे दिया जाय। टु एलीमिनेट स्टार्वेशन कंडीशंस इन कानपुर।

श्री बनारसीदास—

इस सरकार की योजना है कि सब जगह इस तरह के उपभोक्ता भंडार बनाये जायं लेकिन क्रेडिट का सवाल ऐसा नहीं है जिस पर गवर्नमेंट मजबूर कर सकती है।

श्री झारखण्डे राय—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस सरकार द्वारा जो वक्तव्य दिया गया है इसमें मिल मालिकों की काफी प्रशंसा है, इस बात को देखते हुये, तीन महीने के लिये आथोराइज्ड कंट्रोलर कायम होने के बाद मिल नहीं चल रही है, सरकार के सामने कौन सी दिक्कत है, क्यों नहीं सरकार, कांग्रेस पार्टी और सरकार जो समाजवादी लक्ष्य घोषित कर चुकी है, उसके अनुसार, अपने हाथ में ले लेती, उसका राष्ट्रीयकरण करने में क्या दिक्कत है ?

श्री बनारसीदास—

यह तो बहुत स्पष्ट है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्युट्स ऐक्ट के मातहत गवर्नमेंट आथोराइज्ड कन्ट्रोलर मुकर्रर कर सकती है। सवाल केवल पैसे का है। समाजवाद का नाम लगा देने से पैसा नहीं आता। बजट में उसका कोई प्राविजन नहीं। भारत सरकार या बैंक जब तक कोई एसेस्ट्स न हों कर्ज देने के लिये तैयार नहीं। पहली अप्रैल को हमारे मुख्य मंत्री सचिव और अधिकारी गये थे। ५० लाख लेने की व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे ही रुपये की व्यवस्था हो जायगी, कारखाना चल जायगा। रुई खरीद ली गयी है, पानी और बिजली की व्यवस्था कर दी गयी है। मजदूरों से समझौता हो गया है। असली सवाल इस वक्त पैसे का है।

प्रदेश की पंचनगर महापालिकाओं के कर्मचारियों द्वारा अनशन किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो वक्तव्य की प्रति है उसमें लिखा है "सभा सचिव का वक्तव्य"। यह सरकार का वक्तव्य है या उनका वक्तव्य है ?

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

वक्तव्य सरकार का ही है।

श्री अध्यक्ष—

सभा सचिव का वक्तव्य नहीं है। सरकार का या मंत्री का वक्तव्य है।

श्रीमती तारा अग्रवाल—

माननीय अध्यक्ष, कवाल शहरों की पांचों महापालिकाओं की मांगों के सम्बन्ध में शासन के समक्ष तीन कामरोको प्रस्ताव किये गये हैं। इन प्रस्तावों में निम्नलिखित बातों की ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया गया है:—

(१) लखनऊ, आगरा, वाराणसी, कानपुर एवं इलाहाबाद के ३२,००० कर्मचारियों के लिये सरकार ने आश्वासन देकर भी द्वितीय वेतन आयोग की नियुक्ति नहीं की।

(२) उल्टे ५००० कर्मचारियों की छटनी कर दी गयी।

(३) बरसों के बाद भी उनकी सेवायें स्थायी नहीं हैं।

(४) उनकी सेवा नियमावली भी नहीं बनी है।

[श्रीमती तारा अग्रवाल]

(५) इसके विरोध में सरकार से उन लोगों ने ५० रु० प्रतिमास अंतरिम सहायता की मांग की परन्तु उन्हें नहीं दिया गया।

इन बातों के विषय में स्थिति इस प्रकार है:—

(१) राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये रेगनला इंक्वायरी कमेटी की नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिये वेतन समिति की नियुक्ति का प्रश्न सरकार के सामने आया था। इस मामले में कई बार विस्तार के साथ विचार किया गया और अन्त में यह निश्चय किया गया कि इस प्रश्न को फिलहाल स्थगित करना उचित होगा। बात यह है कि समय समय पर प्राप्त पूर्वानुभवों से यह तथ्य सिद्ध हैं जिससे जाहिर होता है कि पिछले पांच वर्षों में अधिकांश महापालिकाओं ने अपने अधिकार का दुरुपयोग और अपने कर्तव्यों की अवहेलना की है। उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिये कोई दिलचस्पी नहीं ली। उल्टे अपने अनावश्यक खर्चे बढ़ा दिये। टैक्स तथा अन्य बकायों की वसूली के लिये आवश्यक कदम नहीं उठाये गये। नतीजा यह हुआ कि कुछ महापालिकाओं में हजारों की रकम मियाद बाहर हो गयी। सरकारी नजूल भूमि का भी प्रबन्ध ठीक से और दिलचस्पी से नहीं किया गया। फलस्वरूप इससे जो आये सरकार और महापालिका को होती उसको हानि हुई। कहने का मतलब यह है कि अधिकांश महापालिकाओं की आर्थिक स्थिति अत्यन्त शोचनीय हो गयी। लखनऊ महापालिका की दशा इतनी बिगड़ गयी कि सरकार को उसे ऋणग्रस्त घोषित करना पड़ा। महापालिकाओं की आमदनी और खर्चे में ऐसी विषमता उत्पन्न हो गई है कि वे आसानी से अपने साधनों के बल पर अपने नागरिक कर्तव्यों को भी उचित रूप में सम्पन्न नहीं कर पा रहीं हैं।

ऐसी दशा में यदि महापालिका कर्मचारियों के लिये द्वितीय वेतन आयोग की नियुक्ति की जाती है तो प्रश्न यह उठता है कि इसके परिणामस्वरूप बढ़ने वाले खर्चे को वहां से पूरा किया जायगा। चूंकि महापालिका की आर्थिक क्षमता पहले से ही डांवाडोल है, उन पर और अधिक आर्थिक बोझ डालना संभव नहीं है इसके अर्थ यह हैं कि अगर फिर भी द्वितीय वेतन आयोग की नियुक्ति की जाती है तो महापालिका स्वभावतः सरकार के पास आर्थिक सहायता के लिये हाथ फैलायगी जिसे पूरा करना सरकार के समर्थ के बाहर है। इन परिस्थितियों के प्रकाश में सरकार द्वितीय वेतन आयोग के नियुक्ति के प्रश्न को तब तक के लिये स्थगित रखना उचित समझती है जब तक महापालिकायें अपनी आर्थिक स्थिति में सन्तोषजनक सुधार नहीं कर लेतीं और वे इस लायक नहीं हो पातीं कि वे बढ़े हुये खर्चे को अपने साधनों से पूरा कर सकें।

(२) यह सही नहीं है कि महापालिकाओं के ५००० कर्मचारियों की छटनी कर दी गई है। केवल नगर महापालिका, इलाहाबाद में टोल टैक्स विभाग के १४ नायब मुहर्रिरों और ९ चपरासियों की सेवा समाप्त करने की नोटिस दी है तथा लखनऊ महापालिका में १३ ड्राइवरों तथा १३ क्लीनरों की सेवायें समाप्त की गयी हैं। इलाहाबाद में टोल टैक्स विभाग के स्टाफ का वार्षिक व्यय २२००० रु० था जबकि वार्षिक कलेक्शन ८००० से ९००० तक ही हो पाता था। अतएव यह निर्णय लिया गया कि महापालिका के आकस्मिक स्टाफ द्वारा ही टोल टैक्स की वसूली की जाय और टोल टैक्स के स्टाफ की सेवायें समाप्त कर दी जायं। लखनऊ में जिन ड्राइवरों तथा क्लीनरों की सेवायें समाप्त की गई हैं वे आवश्यकता से अधिक थे। सेवा समाप्त कर्मचारियों को योग्यतानुसार अन्य रिक्तियों में नियुक्त करने का प्रयत्न किया जायगा।

(३) जहां तक वर्षों के बाद भी कर्मचारियों की सेवायें स्थायी न होने का प्रश्न है स्थिति यह है कि महापालिका के जो कर्मचारी महापालिका के बनने से पहले नगरपालिका, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट या डेवलपमेंट बोर्ड या अन्य स्थानीय निकाय जो १-२-६० से महापालिका में विलीन हो गई की सेवा में थे वे सभी महापालिका बनने के दिनांक अर्थात् १-२-६० से उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम की धारा ५७७ (ङ) के अनुसार महापालिका के स्थायी कर्मचारी

घोषित हो गये थे। परन्तु जब तक अधिनियम के अधीन सृजित नये पदों पर उनकी नियुक्ति नहीं हो जाती। जब तक वे वही वेतन और भत्ते पाते रहेंगे तथा सेवा की उन्हीं शर्तों के अधीन रहेंगे जो १-२-६० को लागू थीं। इस प्रकार ऐसे कर्मचारियों के स्थायी न होने से उन्हें कोई वास्तविक हानि नहीं हुई है और वे पूर्ववत स्थायी नियुक्ति की सभी सुविधाओं को प्राप्त करते रहे हैं।

महापालिका कर्मचारियों के स्थायीकरण में बिलम्ब होने का कारण यह है कि सरकार द्वारा सन् १९६३ में सेवा नियमावली और सेवा आज्ञा जारी करने के पश्चात् भी बहुत अर्से तक महापालिकाओं ने नये पदों का सृजन नहीं किया। इसके अलावा जब पदों का सृजन हो गया तो उन पर कर्मचारियों को स्थायी नियुक्तियां करने में भी बिलम्ब किया गया। यद्यपि सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में समय-समय पर स्मृतिपत्र एवं निर्देश भेजे जाते रहे। विभिन्न महापालिकाओं में कर्मचारियों के स्थायीकरण के बारे में स्थिति निम्न प्रकार है:—

वाराणसी—कुल ३७५८ कर्मचारियों में से ९४४ स्थायी कर दिये गये हैं। शेष कर्मचारी जो अधिकांश सफाई कर्मचारी हैं के सर्विस रिकार्ड पूरे किये जा रहे हैं और उन्हें भी शीघ्र ही स्थायी करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

इलाहाबाद—कुल ५३६१ कर्मचारियों में से ३५४५ स्थायी किये गये हैं। शेष को स्थायी रिक्तियां होने पर स्थायी किया जा सकेगा।

आगरा—कुल ४२३६ कर्मचारी हैं। इनमें से ५२ कर्मचारियों को स्थायी किया गया है। प्रशासक का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों के स्टेटमेंट बनाने में समय लगेगा। उनके स्थायीकरण में अभी कई महीने और लगेंगे।

लखनऊ—कर्मचारियों के सर्विस रिकार्ड पूर्ण न होने के कारण अभी तक कोई स्थायी न किया जा सका।

कानपुर—कोई कर्मचारी स्थायी न किया जा सका। कारण यह बताया गया है कि कर्मचारी की संख्या स्थायी पदों की संख्या से अधिक है। सरकार से और स्थायी पदों के सृजन करने की मांग की गयी है और उनकी स्वीकृति प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

(४) यह कहना सही नहीं है कि महापालिका कर्मचारियों की सेवा नियमावली नहीं बनी है। वास्तव में यह सेवा नियमावली १-२-६३ से और सेवा नियमावली १-३-६६ से लागू कर दी गयी थी।

(५) जहां तक ५० रुपये प्रतिमाह अन्तरिम सहायता की मांग का संबंध है यह कहना है कि राज्य सरकार ने मार्च, १९६५ में स्थानीय निकायों का महंगाई भत्ता ५ रुपये से १० रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की तथा फरवरी, १९६६ में १० रुपये प्रतिमाह की और वृद्धि करने की अनुमति इस शर्त पर प्रदान की थी कि उनकी आर्थिक दशा संतोषजनक है और वे उस व्यय को बिना शासन की सहायता मांगे वहन करें। चूंकि स्थानीय निकायों की और विशेषकर नगर महापालिकाओं की आर्थिक दशा पहले से ही संतोषजनक नहीं है। उपयुक्त महंगाई से अधिक भत्ता स्वीकार करना उचित न होगा।

श्री सन्तसिंह यूपुफ (जिला कानपुर)—

यह बात समझ में नहीं आती कि महापालिकाओं में ४ हजार में से ५३ आदमी क्यों परमानेंट किये गये जबकि सरकार के हाथ में है और अगर यही हालत रही तो प्राइवेट कारखाने वाले कैसे काम करेंगे। तो क्या सरकार विचार कर रही है कि जो २-३ साल से या इतने दिनों से काम कर रहे हैं उनको स्थायी बनाने की कृपा करेगी?

वन मंत्री (श्री चरणसिंह)—

बहिन तारावती जी ने अपने बयान में कहा है कि नगर महापालिका एक्ट बनने के बाद नयी तस्वीर बनाने के खयाल से इनको टेम्पोरेरी कर दिया गया था। यह बात नहीं थी कि पहले यह सब लोग अस्थायी थे और स्थायी इनमें कोई नहीं था। बल्कि जहां तक कानपुर का सम्बन्ध है अधिकतर स्थायी है। हमने नये रूल्स बना दिये और नगर महापालिकाओं से कहा कि इनके मुताबिक भरती करो। नया कैडर बन दिया, उनकी तादाद फिक्स कर दी, रूल्स बना दिये अब अगर देरी है तो महापालिकाओं की ओर से है। ऐडमिनिस्ट्रेटर ने तो २ महीना हुआ चार्ज लिया है और अगर इतने में कोई बात हुई है तब उसके लिये गवर्नमेंट जिम्मेदार हो सकती है। महापालिकाओं की ओर से देरी हुई उसके लिये गवर्नमेंट की तरफ से कई रिमाइन्डर्स भी गये।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैं निजी सूचना और भूतपूर्व स्वशासन मंत्री के उत्तरों के आधार पर कहता हूं कि महापालिकाओं में पदसृजित करने में देरी नहीं हुई थी स्थायीकरण में जो देरी हुई वह सरकारी आज्ञा के कारण हुई, क्या यह सही है?

श्री चरणसिंह—

मैंने कहा कि सरकार की ओर से रिमाईन्डर्स दिये गये कि पहली फरवरी सन १९६३ के आदेशों के मुताबिक स्थायी करो। इस बाद को उन्होंने अवहेलना की। आप यह कहते हैं कि उन्होंने गवर्नमेंट को स्वयं कई बार इत्तिला दी और उन्होंने अपनी तरफ से नये पदों का सृजन किया। उन्होंने बेशक किया और बहुत ज्यादा कर दिया। यहां तक कि लखनऊ में तो १-२-६१ से ३१-१-६६ तक २०७९ पद बढ़ा दिये। इसको हमने रोक दिया।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

सवाल स्थायी करने का है जो बिलकुल भिन्न है। उन्होंने एक भी नये पदों को स्थायी नहीं किया। प्रश्न यह है कि एक भी पद जो स्थायी नहीं हुआ है उसकी जिम्मेदारी सरकार के आदेशों और आज्ञाओं में देरी के कारण ही है। क्या यह सही है?

श्री चरणसिंह—

जो प्रश्न उठाये गये थे वे ५ थे। इसमें शक था कि ३ वर्ष के बाद भी जिनकी सेवायें स्थायी नहीं हुई है उनके लिये हमारी तरफ से जवाब यह दिया गया है कि वे सब महापालिका बनने के दिनांक १ फरवरी, १९६० से उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम की धारा ५७७ के अनुसार महापालिका के अस्थायी कर्मचारी घोषित हो गये, परन्तु जब तक अधिनियम के अधीन सृजित नये पदों पर उनकी नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक वे वही वेतन और भत्ता पाते रहेंगे और सेवा की उन्हीं शर्तों के अधीन रहेंगे जो १-२-६० को लागू थीं। इस प्रकार ऐसे कर्मचारियों के स्थायी न होने से उन्हें वास्तविक हानि नहीं हुई। और वह स्थायी नियुक्ति की सभी सुविधाओं को पाते रहे हैं। महापालिका कर्मचारियों के स्थायीकरण में विलम्ब होने का कारण यह है कि सरकार द्वारा १९६३ में सेवा नियमावली और सेवा आज्ञा जारी करने के फैसले के बाद भी बहुत अर्से तक महापालिकाओं ने नये पदों का सृजन नहीं किया। इसके अलावा जब पदों का सृजन हो गया तो उन पर कर्मचारियों की स्थायी नियुक्तियां करने में भी बिलम्ब किया गया यद्यपि सरकार की ओर से इस संबंध में समय-समय पर स्मृति पत्र एवं निर्देश जाते रहे।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

जब कभी इस प्रकार के प्रश्न उठाये जाते हैं तो सरकार की ओर से संतोष दिलाने के लिये आश्वासन दे दिये जाते हैं। जब महापालिका के कर्मचारियों का प्रश्न उठा तो यह आश्वासन

दिया गया था कि हम द्वितीय वेतन आयोग बैठायेंगे और यह भी आश्वासन दिया गया कि त्रिदलीय सम्मेलन बुलाया जायगा तो तमाम समस्याओं पर विचार करेगा। लेकिन आज मंत्री जी बतला रहे हैं कि यह कठिनाई है। जो मैं आज जानना चाहता हूं कि इन तमाम समस्याओं पर विचार करने के लिये और महापालिका के कर्मचारियों के भविष्य पर विचार करने के लिये क्या वे त्रिदलीय सम्मेलन बुलाने का विचार रखते हैं ताकि प्रान्त भर में जो आन्दोलन होने जा रहा है उसकी समय पर रोकथाम की जा सके ?

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, इन कर्मचारियों के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। अगर किसी साहब को हमारी नियत पर शक हो तो बात दूसरी है, वरना जितनी हमदर्दी हमारे दोस्तों को है उधर बैठने वाले, उतनी ही इधर बैठने वालों को भी है। लेकिन आपकी इजाजत से जो सरकार के सामने कठिनाइयां हैं उनको मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। जब यह पे रेशनलाइजेशन कमेटी लोकल बाडीज के लिये बनायी गयी तो यह उम्मीद की जाती है कि उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जायंगी। अगर उसके लिये जितना रुपया आवश्यक है वह निकाय अपने पास से ले जायें तो हमें कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन हम यह जानते हैं कि यह मतालबा सरकार के ऊपर होगा। अब सरकार रुपया कहां से दे ? रुपया आने के दो रास्ते हैं या तो टैक्स लगाया जाय अथवा बचत की जाय। जो टैक्स आज लगे हुये हैं उन्हीं से बड़ी मुश्किल से खर्चा सरकार का चल रहा है। दोस्तों की राय यह है कि टैक्स कम हो जाने चाहिये और कुछ बिलकुल खत्म हो जाने चाहिये। दूसरी ओर एकोनामी की भी बात कही जाती है। तो रिट्रेंचमेंट किया न जाय, एकोनामी की जाय, टैक्स बढ़ाया न जायें, वेतन बढ़ाया जाय, यह सब कैसे सम्भव है ? कह दिया गया कि ५ हजार लोग निकाल दिये गये, जबकि २६ आदमियों को नोटिस दिया गया और २३ को निकाला गया है। असलियत क्या है इसको कोई देखने के लिये तैयार नहीं है। ५० की संख्या को ५ हजार माननीय मित्र कहने लगे। अब कोई कर्मचारी अगर कितना ही गैर जरूरी क्यों न हो, उसको निकाला न जाय, यह कैसे हो सकता है.. (व्यवधान) मैं यह जानने को तैयार नहीं हूं कि माननीय मित्र इस बात को समझते नहीं हैं। वे खूब समझते हैं। मैं समझता हूं कि यह प्रश्न ऐसा है कि इस पर सब को सोचना चाहिये और अगर वे कोई ऐसा रास्ता बता सकें जिससे यह समस्या सुलझ सके तो हमें बड़ी खुशी होगी..

(व्यवधान)

श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

सरकार ने अभी जो फरवरी, ६६ में महापालिकाओं को १० रूपया अन्तरिम भत्ता बढ़ाने के आदेश दिये थे उसके अनुसार किन-किन महापालिकाओं ने यह बढ़ा दिया है और जिन्होंने नहीं बढ़ाया है क्या सरकार उनको उसे बढ़ाने के लिये फिर से आदेश देगी ?

श्री चरणसिंह—

किस-किस ने बढ़ाया है किसने नहीं बढ़ाया है इसकी जानकारी तो हमें नहीं है। इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी। जहां तक इसके आदेश देने का प्रश्न है, सरकार ने केवल यह सुझाव दिया था कि जो भी निकाय अपनी आय से, बिना कुछ सरकार से मांगे हुये, अपने ही साधनों से कुछ बढ़ा सकती हों तो वे १० प्रतिशत तक अपने कर्मचारियों का अन्तरिम भत्ता बढ़ा सकती है। अब यह उनको अख्तियार है, वह बढ़ाये चाहे न बढ़ाये।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

अभी रामरतन गुप्ता पर सरकार ने ३१ लाख रुपया माफ कर दिया जब कि छोटे लोगों से सरकार एक-एक पैसा वसूल कर लेती है। इसी से सरकार की नीयत पर शक होने लगता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वाराणसी नगरमहापालिका ने अपने कर्मचारियों का अन्तरिम भत्ता बढ़ाया या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय मंत्री जी का उत्तर यह है कि हमें इकानामी करनी है। जो अनावश्यक हमारा स्टाफ है वह निकाला जाय। और वे यह कह रहे हैं कि हम जबरदस्ती नहीं निकालना चाहते। मगर अनावश्यक स्टाफ को निकालना है या नहीं।

श्री मुकुन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)---

मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जो स्थिति हमारे महानगरपालिकाओं की बताई गई है उसको देखते हुए क्या यह उचित नहीं होगा कि महापालिकाओं को सदा के लिये तोड़ दिया जाय ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया।)

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने आर्थिक स्थिति खराब होने के दो कारण बताये हैं। एक तो यह है कि बहुत सा रूपया बकाया नगरपालिकाओं का लोगों पर है और वह टाईम बार्ड हो गया है। दूसरा कारण यह बताया गया है कि नजूल भूमि कम रेट पर नीलाम की गई है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार नगर महापालिकाओं की आमदनी को बढ़ाने के लिये जो बकाया रुपया अभी तक पड़ा हुआ है उस बकाया रुपये की वसूली करने के लिये और नजूल भूमि का जो गलत ढंग से नीलाम हुआ उसको कैन्सल करने के दोबारा नीलाम का प्रबन्ध करायेगी ताकि आमदनी बढ़ सके ?

श्री चरणसिंह---

अध्यक्ष महोदय, सब एडमिनिस्ट्रेटर्स को कह दिया गया है कि जितना रुपया या टैक्स बकाया है नगरमहापालिकाओं का, वह वसूल करें और वह वसूल कर रहे हैं।

श्री कल्याण चन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने पांचों महापालिकाओं में केवल लखनऊ महापालिका का जिक्र किया कि वहां प्रबन्ध ठीक नहीं था और जनरली सब में कह गये। मैं पूछना चाहता हूं कि पांचमहापालिकाओं में किस का प्रबन्ध ठीक था और उसमें आयोग बैठाने पर सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्री चरण सिंह---

मैं यह नहीं कहता कि सब महापालिकाओं का इन्तजाम खराब है लेकिन अधिकतर का खराब है। नगर महापालिकाओं के कर्मचारियों का वेतन आयोग नहीं बैठाया जायेगा। अगर बैठाया जायेगा तो जितने भी निकाय हैं सब का बैठाया जायेगा। जो हमारे चार सौ या साढ़े चार सौ के करीब निकाय हैं उनके बाबत नहीं कहा जा सकता कि उनकी आर्थिक स्थिति सन्तोषजनक है। सवाल में महापालिकाओं पर जोर दिया गया था। लेकिन निकायों पर भी जोर दिया गया, चूंकि दोनों बातें साथ-साथ हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता से श्री जेड० ए० अहमद का त्याग-पत्र

श्री अध्यक्ष---

मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि माननीय जेड० ए० अहमद ने इस सदन से त्यागपत्र दे दिया है। वे राज्य सभा में निर्वाचित हुये हैं। १ अप्रैल, १९६६ को पूर्वाह्न से वे इस सदन के सदस्य नहीं रहे और उनका स्थान रिक्त हो गया।

विभिन्न समितियों के लिये चुनाव कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष--

दूसरी बात यह है कि विभिन्न समितियों के लिये सदस्यों के निर्वाचन की अतिरिक्त नामों की तीस तारीख हमने निश्चित की थी अतिरिक्त नामों की वापसी के लिये। अब अगर सदन चाहे तो कल तक या परसों तक....

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)--

१३ तारीख ठीक है।

श्री अध्यक्ष--

तो १३ तारीख तक अतिरिक्त नामों की वापसी होगी और आवश्यक हुआ तो १५ तारीख को चुनाव होगा।

श्री चन्द्रसिंह रावत द्वारा श्री उपाध्यक्ष के विरुद्ध आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग करने से सम्बद्ध विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट प्रश्न का समापन

श्री अध्यक्ष--

मैंने माननीय चन्द्रसिंह रावत के विरुद्ध जो विषय प्रिविलेज कमेटी को सुपुर्द किया था उसके लिये उन्होंने खेद प्रकट कर दिया है और वह समाप्त होता है।

साप्ताहिक कार्य-क्रम

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

सदन का कार्यक्रम क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष--

मैं अभी पूछे लेता हूं।

*सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)--

श्रीमन्, इस सप्ताह का कार्यक्रम इस प्रकार है--

आज ११ तारीख को वित्तीय वर्ष १९६१-६२ की बढ़तियों की मांगों तथा वित्तीय वर्ष १९६२-६३ की बढ़तियों की मांगों का प्रस्तुत किया जाना।

दिनांक १२-४-६६ को उत्तर प्रदेश वेतन अभिनवीकरण समिति का प्रतिवेदन (१९६४-६५) एवं इसके संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के २८ फरवरी, १९६६ के संकल्प पर चर्चा।

दिनांक १३-४-६६--(१) वर्ष १९६१-६२ की बढ़तियों की मांगों पर सामान्य चर्चा, यदि आवश्यक हो, और उन पर मतदान तथा उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१-६२ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६६ का सदन की अनुज्ञा के पश्चात् पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

(२) वर्ष १९६२-६३ की बढ़तियों की मांगों पर सामान्य चर्चा, यदि आवश्यक हो, और उन पर मतदान तथा उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६२-६३ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६६ का सदन की अनुज्ञा के पश्चात् पुरःस्थापित पर विचार एवं उसका पारण।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बनारसी दास]

(३) प्राविंशियल स्माल काज कोर्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६६, जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण ।

दिनांक १४-४-६६—(१) उत्तराखंड डिवीजन के कुछ जिलों की पांच सैटिलमेंट रिपोर्टों पर चर्चा ।

(२) कारबेट नेशनल पार्क की चौहद्दी में परिवर्तन संबंधी संकल्प पर विचार ।
दिनांक १५-४-६६—दिनांक २५ फरवरी, १९६६ के स्थान पर असरकारी दिवस ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मुझे यह पता चला है कि यह सदन १५ तारीख तक ही रहेगा । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा है । अगर ऐसा है तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सामने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो इसी सेशन में होने चाहिये । जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट है । पता नहीं सरकार उसको क्यों नहीं लाना चाहती । इसी प्रकार अयोध्या इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है । इसके अलावा असेम्बली सेक्रेटेरिएट की रिपोर्ट भी अभी तक सदन के सामने नहीं लायी गयी है । यह बहुत बड़ा महत्व का प्रश्न है । हम लोगों ने उस पर बहुत परिश्रम से काम किया । अगर वह इस सेशन में सदन के सामने नहीं लायी गयी तो बड़ा अहित होगा । मैं यह चाहता हूं कि इस सदन को बिना आपके पूछे सरकार को समाप्त नहीं करना चाहिये । हम पुनः आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारी रक्षा करें । अगर सरकार ऐसा करना चाहती है तो उसकी नीयत ठीक नहीं मालूम होती ।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं आप लोग इस संबंध में आपस में बातचीत कर लें । कुछ विषय ऐसे अवश्य हैं जिन पर विचार हो जाय तो अच्छा है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

यह प्रश्न कार्यमंत्रणा समिति में भी तो जायगा ।

श्री बनारसीदास—

कार्यमंत्रणा समिति तो इस बात पर विचार करती है कि किस विषय को कितना समय दिया जाय । कार्यक्रम निश्चित करना कार्यमंत्रणा समिति का कार्य नहीं है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, चौथी पंचवर्षीय योजना को डिस्कस करने के लिये सरकार ने वचन दिया था । अगर यह सदन उठ गया और इस पर विचार नहीं हुआ तो आगे के लिये गलत परिपाटी पड़ जायगी । इसलिये इस बैठक के अलावा और कोई अच्छा समय इसके आने वाला नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

इसी वजह से मैंने कहा कि आप आपस में बैठकर बातचीत कर लें ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

आप स्वयं ही दोनों को बुला लें । आपस में तो कभी चर्चा हो ही नहीं सकती ।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप बातचीत नहीं कर सकेंगे तो मैं बुला लूंगा ।

बस्ती शुगर मिल के श्रमिकों द्वारा अनशन के सम्बन्ध में वक्तव्य

*सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)---

११ जनवरी, १९६० को उत्तर प्रदेश में चीनी के कारखानों के श्रमिकों को १९४८-४९ सीजन के बोनस के भुगतान के संबंध में जांच करने के लिये एक कोर्ट आफ इंक्वायरी नियुक्त की गयी थी। इस कोर्ट की सिफारिश के आधार पर ५ जुलाई, सन् १९५० के शासकीय आदेश द्वारा चीनी मिलों के बोनस भुगतान करने का आदेश दिया गया था।

बस्ती शुगर मिल्स ने उक्त आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट दायर कर दिया तथा हाई कोर्ट ने उक्त आदेश को अवैध घोषित कर दिया। शासन ने हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने नवम्बर, सन् १९६० में उक्त आदेश को वैधानिक बताया और यह भी विचार प्रकट किया कि ऐसे शासकीय आदेश उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों के ऐक्ट की धारा ३६(अ) के अन्तर्गत विशेष परिस्थितियों में जारी किये जाते हैं तथा यदि कोई पार्टी ऐसे आदेश से संतुष्ट नहीं है तो विभाग का निपटारा समझौता (कनसिलियेशन) अथवा अभिनिर्णय से होना चाहिये।

बस्ती शुगर मिल्स में सुप्रीम कोर्ट में उक्त फैसले के बाद भी बोनस का वितरण नहीं किया। मिल मालिकों का कहना है कि उक्त सीजन के बोनस का फैसला अभिनिर्णय द्वारा किया जाय। शासन ने इस पर विचार किया है इस प्रदेश में यह परम्परा काफी दृढ़ हो गई है कि चीनी मिलों में बोनस का मामला त्रिदलीय विचार विनियम से होता रहा है और त्रिदलीय निश्चय के बाद भी यदि किसी एक मिल का मामला अभिनिर्णय के लिये भेजा जाता है तो इस से त्रिदलीय परम्परा में निर्बलता आयेगी जो औद्योगिक शांति के लिये हानिकारक होगी।

२१-३-६६ को एक श्रमिक ने मिल गेट पर अनशन प्रारम्भ किया था बाद में अनशन करने वालों की संख्या बढ़ कर दस हो गई। अनशन करने वालों की संख्या बढ़ कर दस हो गई। सहायक आयुक्त ने दोनों पक्षों में आपसी समझौता कराना चाहा पर सफलता अभी नहीं मिल पाई है। मिल मालिकों का कहना है कि जब तक श्रमिक भूख हड़ताल समाप्त नहीं कर देंगे तब तक वह बोनस देने के बारे में कोई बात चीत करने को तैयार नहीं है। विभागीय अधिकारी प्रयास कर रहे हैं कि भूख हड़ताल शीघ्र समाप्त हो जाय जिससे इस मामले का कोई उचित हल निकल आये।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)---

अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या बोनस के बारे में यह जो एकदम से सिद्धांत ही उलट दिया गया है क्योंकि अभी तक जो सीजन का काल था उसको सामने रखे कर बोनस का बंटवारा होता था और अब १२ मास के काल को मानकर होता है यह क्यों?

श्री अध्यक्ष---

यह केवल वक्तव्य के लिये था, इसमें स्पष्टीकरण नहीं हो सकता।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

मुझे केवल एक निवेदन करना है कि अगर आर्बिट्रेशन न हो तो आपको एडजुडिकेशन के लिये भेजने का एलान करें। उस दिन भी मैंने कहा था कि अनशन हो रहा है और अनशन वापसी के लिये हम तैयार हैं अगर यह केटेगारिकली मंत्री जी कह दें कि अगर मामला आर्बि-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नरसिंह नारायण पांडेय]

ट्रेशन से तय नहीं होता है तो इस को एडजुडिकेशन में भेजा जायगा। सारी की सारी मिलों ने बोनस दिया लेकिन नारंग को तीन मिलों ने नहीं दिया बावजूद इसके कि गवर्नमेंट के आदेश थे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला था लेकिन फिर भी वह देने को तैयार नहीं हैं। इसलिये मंत्री जी कैदियों की अलान करें ताकि अनशन वापस लिया जाय और जिन को जेल में बन्द किया गया है उनको छोड़ दें। इस आश्वासन के बाद हम तार भेज कर अनशन वापस करा दें।

श्री बनारसीदास--

अध्यक्ष महोदय इस प्रश्न पर जैसा कि अभी मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के मातहत कोई भी पक्ष अगर चाहे तो उस का एडजुडिकेशन के लिये रिफर कर सकता है। यदि पहले अनशन वापस लिया जाय तो हम प्रयास करेंगे कि बोनस के बारे में कोई फैसला हो जाय और मुझे आशा है कि भूख हड़ताल के बाद हमारे प्रयासों से बोनस का मामला तय हो जायगा और यदि यह तय नहीं हुआ तो इस प्रकार का मामला हम एडजुडिकेशन में भेज देंगे।

वित्तीय वर्ष १९६१-६२ तथा १९६२-६३ की बढ़तियों की मांगों† का प्रस्तवन

वित्त मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)--

अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष १९६१-६२ की बढ़तियों की मांगों तथा वित्तीय वर्ष १९६२-६३ की बढ़तियों की मांगों को प्रस्तुत करता हूं।

(सदन में प्रतियां बांटी गई।)

उत्तर प्रदेश वेतन अभिनवीकरण समिति का प्रतिवेदन (१९६४-६५) एवं सरकारी संकल्प पर चर्चा

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर वेतन अभिनवीकरण समिति के प्रतिवेदन के विषय में और सरकार ने जो अपने समय-समय पर निर्णय दिये हैं उनके संबंध में चर्चा करने के लिये मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं।

(इस समय १ बज कर १७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कमलासिंह यादव पीठासीन हुए।)

श्रीमन्, आजकल कर्मचारी वर्ग में असंतोष का वातावरण देखकर और आज की परिस्थिति को देखकर हमारे लिये एक बड़ा चिन्ता का विषय बन गया है। यह सर्वमान्य है कि आज कर्मचारियों एवं उनकी परिलब्धियों की जो वर्तमान व्यवस्था है वह लगभग २०० वर्षों से इसी रूप में चली आ रही है। पूर्व इसके कि मैं केवल वेतन अभिनवीकरण समिति के विषय में कुछ कहूं मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि जब स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ था पहले भी १०-१५ वर्ष की अवधि पर अंग्रेजी सरकार के जमाने में भी वेतन-क्रमों पर विचार करने का अवसर मिलता था और समितियां गठित की गयी थी यदि मेरी जानकारी सही है लेकिन आश्चर्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वातावरण बदल गया। पहले की सर्विसेज अंग्रेजों के जमाने की थी। जिनका वैलफेयर स्टेट से इतना संबंध नहीं था उनकी मनोवृत्ति दूसरी थी। १९४७ के बाद प्रवृत्ति बदली और सर्विसेज ने इसे अपना देश समझा। उनको ज्ञान दिया गया कि यह

---

†छापी नहीं गई।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कल्याणकारी राज्य है इसके निमित्त उन्होंने अपना समझकर काम करना आरम्भ किया। लेकिन जहां उन्हें उनके कर्त्तव्यों का ज्ञान कराया गया वहां उनके कुछ अधिकार भी हैं। उन्होंने उसी समय से अपनी आशायें भी लगायी कि अब हमारी सरकार है और इसका रुख हमारा होगा और यह सरकार अपना दृष्टिकोण हमारे सुख दुख को ध्यान में रख कर बदलेगी परन्तु बड़े दुख की बात है कि १८ वर्ष के शासन के बाद भी कोई परिर्तन देखने में नहीं आया। २–१ समितियां गठित हुयीं जिसके बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा लेकिन आज जो इस वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट जो हमारे सामने आयी है और जो असंतोष की लहर हमने देखी तो जिन जिन सिद्धांतों को लेकर वेतन अभिनवीकरण समिति गठित की गयी थी इसमें उन तमाम सिद्धातों का उल्लंघन हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी सिद्धांत पर इस वेतन अभिनवीकरण समिति ने विचार नहीं किया। आखिर कारण क्या था? किस रूप में इसको गठित किया गया था। कौन २ व्यक्ति इसमें थे इसमें छोटे वर्ग १,२,३ और ४ कर्मचारी वर्ग किये गये हैं।

मैं केवल संक्षेप में ही कहूंगा कि चौथे वर्ग के जो कर्मचारी हैं जिनमें चपरासी, माली होम-गार्ड आदि रखे हैं तो वे मिट गये हैं। ऊपर के जो कर्मचारी हैं उनमें नाना प्रकार की असमानतायें और असंगतियां फैल गयी हैं। मैं आपके सामने कुछ मिसाल रखना चाहता हूं। ऐसा लगता है कि किसी प्रिन्सिपल का अनुसरण नहीं किया गया है। अगर प्रिन्सिपल का अनुसरण करते तो ठीक था। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि इन्होंने एक असन्तोष की लहर फैला दी। इन्होंने एक नींव डाली जो गलत मालुम होती है। जो अभिनवीकरण समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की वह १९६०–६१ के मूल्यों के आधार पर और यह कहा कि हमने अर्थशास्त्रियों से यह जानकारी प्राप्त कर ली है कि १९६०–६१ के मूल्य स्थिर होंगे। दोनों चीजें सामने रखें। एक तो केन्द्रीय सरकार की यह घोषणा है कि अपने कर्मचारियों के लिये हम यह नहीं मानते कि १९६०–६१ के मूल्य स्थिर रहेंगे क्योंकि यह उन्होंने कह दिया कि जब जब ये मूल्य बढ़ेंगे उसी के अनुसार हमारे मंहगाई भत्ते बढ़ेंगे। जब यह समिति बनी तो ऐसा हुआ कि इनको कोई रास्ता नहीं था तो केन्द्रीय सरकार के दिखये हुए मार्ग पर चलते और वही मार्ग डी० ए० के बारे में अपनाते और यह भी छूट दे देते कि ज्यों मंहगाई बढ़ती जायेगी त्यों त्यों हम तनख्वाह और भत्ता बढ़ायेंगे और कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स से इसको जोड़ देंगे। लेकिन सरकार ने बढ़ते हुए कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स का खयाल नहीं किया। इन्होंने जो १९६०–६१ के मूल्यों पर अपनी सिफारिश आधारित कर दी उसमें तीन अर्थशास्त्रियों ने राय दी। दो ने यह राय दी कि ये मूल्य स्थित नहीं हो सकते और यही मान करके कि मूल्य स्थिर नहीं होंगे केन्द्रीय सरकार ने कहा था कि ज्यों ज्यों लिविंग इंडेक्स बढ़ेगा त्यों मंहगाई भत्ता बढ़ायेंगे। लेकिन यह होते हुए भी एक अर्थशास्त्री ने न मालुम किस कारण से उनको दोष तो नहीं देता लेकिन उन्होंने यह राय दी कि ६०–६१ के मूल्य स्थिर होने जा रहे, जो कदापि नहीं होने जा रहे हैं। किस प्रकार से उन्होंने कहा मेरी समझ में नहीं आता। मैंने प्रोफेसर शिनोय का एक आर्टिकल पढ़ा था उन्होंने यही लिखा कि कोई भी संकेत नहीं है कि ६०–६१ के मूल्य स्थिर होंगे। वे बढ़ते ही जायेंगे क्योंकि फारेन एक्सचेंज की कमी है इनफ्लेशन जरूर बढ़ेगा प्रोडक्शन कम है और हमारे डेवलपमेन्ट के कार्य बढ़ेंगे। इसलिये कोई कारण ऐसा नहीं है कि ६०–६१ के मूल्य स्थिर हों। तो यह होते हुए भी जो बेसिक चीज हुई हमारी समिति की रिपोर्ट वह वहीं गलत है, वह आधार ही गलत हो गया।

एक चीज आपको और बता दूं कि यह सूचकांक १९६०–६१ का ४७८ था १९६५–६६ में ६५१ था और १९६६ में ७१४ था। यानी १९६६ में वृद्धि निरंतर होती गई। किस आधार पर उन्होंने कहा कि मूल्य स्थिर होने जा रहे हैं। कोई कारण नहीं है। जो प्रिन्सिपल इस समिति ने अपनाया उसको भी हमारे सामने नहीं रखा और जो प्रिन्सिपल रखा वह भी लचर है। हमारी पार्टी का यह सिद्धान्त था कि कम से कम तनख्वाह १०० रु० हो और अधिक से अधिक २००० रु० हो। यह उन वर्षों में था जब कि मूल्य इतने बढ़े हुए नहीं थे। आजकल

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

के बढ़ते हुए मूल्यों के अनुसार तो न्यूनतम और अधिकतम वेतन बढ़ सकता है। हमारे दल ने १९६३ में एक गैर सरकारी प्रस्ताव रखा और यह सुझाव सरकार के सामने रखा कि एक परमानेन्ट वेज बोर्ड बने उसका काम यह हो कि जैसे जैसे प्राइसेस बदलती जायें जिस जिस तरह से वेतन-क्रम में परिवर्तन की आवश्यकता हो वेतन मानों में परिवर्तन की आवश्यकता हो मंहगाई भत्ता तथा अन्य सुविधायें को देने की आवश्यकता हो वैसे वैसे पुनरीक्षण करके वेज बोर्ड विचार करे। लेकिन कुछ दिनों बाद सरकार ने वेतन अभिनवीकरण समिति के गठन का एनाउन्समेन्ट कर दिया। पहले एक रायल कमीशन वर्धाचारी कमेटी आदि बनी जिससे विवरण में नहीं जाना चाहता, तो १९४७ से बनी हुई कमेटी को आपके सामने रखना चाहता हूं। १९४७ में एक कमेटी बनी और यह कहूंगा कि जब वह कमेटी बनी तो ऐसा लगता था कि लोगों के मन में सन्तोष है। क्योंकि जब कमेटी बनती है तो हम सोचते हैं कि कमेटी जिस कार्य के लिये बनी है उसमें जो व्यक्ति हैं वह कैसा है क्या वह इस समस्या को समझ सकता है क्या वह इस समस्या के सम्पर्क में है क्या इस समस्या के प्रति उसकी रुचि है क्या वह निष्पक्ष है क्या वह जीवन के हर पहलू का यह विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करता है मैं समझता हूं कि इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये। चुनाचें जब १९४७ में पे कमेटी गठित हुई तो इसके अध्यक्ष जहां तक मेरी जानकारी है डाक्टर संपूर्णनन्द थे जो उस समय में वित्त मंत्री थे और उसमें दोनों सदनों के सदस्यगण थे। सदन को उस वक्त भी सरकार ने अपने विश्वास में लिया और अधिकारियों ने जिसको चाहा उससे परामर्श लिया, आर्थिक स्थिति के संबंध में राय ली और इसके बाद किसी उचित नतीजे पर पहुंचे। उसके सेक्रेटरी थे श्री डी० के० जोशी जो सेक्रेटेरिएट के एक अनुभवी व्यक्ति थे।

उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। मेरी समझ में वह कमेटी ऐसी थी जिसमें कोई दाग नहीं लगा सकता था। मैं यह नहीं कहता कि कोई कमेटी ऐसी हो तो एक विशेष रुचि रखती हो या किसी विशेष विचार से अपने विचार को प्रकट करे। उस कमेटी ने लड़ाई के बाद की परिस्थिति को लड़ाई के बाद ही मंहगाई को और लड़ाई के पहले की मंहगाई को निरन्तर अपने ध्यान में रखा और उस वक्त की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अपना निर्णय दिया। यह निर्णय जैसा कि मैंने कहा—आधारित था युद्ध पूर्व और युद्ध पश्चात की परिस्थितियों के ऊपर। मुझे याद है कि उस वक्त से आज तक १८ वर्ष के बाद भी वह रिपोर्ट किसी न किसी रूप में चलती रही और इस दृष्टि से परिस्थिति आयी जब कि वेतन क्रम के पुनरीक्षण का अवसर आया और उस अवसर में कुछ परिवर्तन हुआ लेकिन उस परिवर्तन में भी किसी प्रकार में बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार इतना असन्तोष नहीं था जितना असन्तोष आज इस वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट से हो गया है। आज मैं उस चीज को दोहराना चाहता हूं। सरकार चाहती है कि विकास कार्य हो सरकार चाहती है कि हमारे अधिकारी अपने कर्त्तव्यों का पालन करें लेकिन यह किन परिस्थितियों में होता है? यह उन परिस्थितियों में होता है जब कि छोटे से छोटे वर्ग का पेट भरा रहे। छोटे से छोटे वर्ग को अपने कर्त्तव्यों को करते समय दूसरी चीजों की चिन्ता न रहे। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि कहां तक हम उस आदर्श पर पहुंच सके हैं। साथ ही जो अधिकारी वर्ग हैं उनमें भी आपस में विकरिंग न हो कोई हृदय की जलन न हो सबके साथ समानता का व्यवहार हो समान कार्य के लिये समान वेतन दिया जाय समान उत्तरदायित्व के लिये समान वेतन दिया जाय सबको वही सुख सुविधा हो सब अपनी योग्यता के अनुसार ही आगे बढता जाय।

इसके पहले कि इस संबंध में और कोई विवरण दूं इस समिति के गठन संबंधी ही उदाहरण देना चाहता हूं। जैसा कि मैंने कहा था कि इस सरकार ने किसी को अपने विश्वास में नहीं लिया इस सदन के एक भी व्यक्ति को नहीं लिया और लेजिस्लेटिव कौंसिल के भी किसी व्यक्ति को अपने विश्वास में नहीं लिया जो जन प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस जनता से पैसा

लेकर सरकार अपने अधिकारियों को पैसा देती है और इस सरकार के अधिकारी अपने कर्त्तव्यों का पालन करते हैं तथा जिस जनता के जन कल्याण की बात सरकार करती है उसी के प्रतिनिधियों को सरकार ने अपने विश्वास में नहीं लिया। सरकार ने अपने विश्वास में उन्हीं को लिया जिन पर हम यहां सदन में निरन्तर प्रहार करते रहते हैं। हमारी किसी से कोई व्यक्तिगत विद्वेष की भावना नहीं है लेकिन मेरा कहना यह है कि जहां हमारी सर्विसेज का पकड़ाव है और जिससे जनता का सही प्रतिनिधित्व हो सकता है इस समिति का गठन करते समय इन सारी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस समिति के मेम्बर थे सर्व श्री बी० मुकर्जी, राम अधार मिश्र, अच्युत पटवर्धन, आर० बी० दास, आर० पी० भार्गव, बी० बी० लाल, वी० एम० भिडे, इसके सेक्रेटरी थे श्री पी० सी० जैन। अधिकतर इसके सदय आई० सी० एस० थे जो अपनी ही विचार धारा से छुटकारा नहीं पाते हैं। वेतन अभिनवीकरण के नाम से सारे कर्मचारियों में संतोष फैला था और लोगों ने सोचा था कि कुछ रद्दोबदल होगा, उनका कल्याण होगा लेकिन इसके सदस्यों को देख कर कर्मचारियों को जो निराशा पहले से ही थी वह ठीक निकली। आज वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट पर विचार न हो। जनता की यह सरकार जो अपने को जन कल्याणकारी सरकार कहती है, कर्मचारियों में मस्तिष्क में जो असंतोष की लहर फैली हुई है, जितने कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, जितने आर्टिकिल्स निकले हैं, जितनी असंगतियां हुई हैं जिसके कारण कैबिनेट की एनोमली कमेटी बनानी पड़ी इस सब को दृष्टि में रखकर नयी पे कमेटी नियुक्त की जाय जिसमें दोनों सदन के सदस्य हों, वित्त मंत्री हों, मुख्य मंत्री हों और ऐसे व्यक्ति हों जिनकी स्वयं की कोई दिलचस्पी न हो। क्या आज इतना पर्याप्त नहीं है कि इस पर सरकार का ध्यान जाय कि सर्विसेज अगर इतनी विस्फोटक स्थिति में आ जायेगीं तो प्रदेश का क्या होगा? इस तथ्य को छिपाना नहीं चाहिये कि असंतोष की लहर को ले कर, असंगतियों तथा असमानता को लेकर अनिच्छापूर्वक अगर कर्मचारी कार्य करता है तो वेतन अभिनवीकरण समिति के सदस्य अपनी करतूत पर स्वयं लज्जित होते होंगे कि उन्होंने रिपोर्ट की और उनकी रिपोर्ट की बदौलत तीन तीन कमेटियां कायम हो गयीं। बड़े जोर का जैसे लेबर पेन हो इतने दिन के बाद अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट किसी प्रकार निकली। मुझे ऐसा लगता है वित्त मंत्री जी माफ करेंगे, जो स्वस्थ नहीं रहते, अगर पूछा जाय तो पता लगेगा शायद ही मंत्री जी ने इसे पढ़ने का कष्ट उठाया हो और कदाचित ही वह इसके डिटेल्स बतला सकेंगे। सरकारी कर्मचारियों के भाग्य का निर्णय ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया गया जिनसे पहले से ही उनको आशंका थी। दो, तीन व्यक्ति बाहरी हैं लेकिन उनको जानकारी नहीं थी। मैं कोई दोष नहीं लगाता उन पर। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कारण था कि इस वेतन अभिनववीकरण रिपोर्ट से निराशा उत्पन्न होने के कारण हाहाकार मचा और तब एक दूसरी एनामली कमेटी गठित करने की आवश्यकता पड़ी। फिर इस सदन को विश्वास में नहीं लिया गया और जिन आई० सी० एस० तथा आई० ए० एस० आफिसर्स से कर्मचारियों को कुछ असंतोष था और उनके असंतोष को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिये। तो आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, अनोमली कमेटी बनायी, उसमें भी हमको नहीं रखा। हम जानना चाहते हैं कि एनामली कमेटी बनायी गयी उसमें सदन के किसी व्यक्ति को विश्वास में न ले कर आपने कौन-सा भलाई का कार्य किया। एनामली कमेटी तो बनी मगर यह कई लाख कर्मचारियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किस प्रकार की जा रही है। इस एनामली कमेटी ने भी अनेक एनामलीज कर दीं। उस एनामली कमेटी की रिपोर्ट के बाद जब फिर हाहाकार मचा तब कैबिनेट की एक सब कमेटी कायम हुई। अभी देखिये कितनी कायम होती हैं। वही बृटिश काल के ढांचे का एक नमूना है कि कमेटी पर कमेटी कायम कर दी जाय, अन्त में सब थक कर चुप हो जायेंगे और जो हम चाहेंगे वही करेंगे। इस कैबिनेट सब–कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। वह रिपोर्ट भी न देती लेकिन चूंकि बड़ा घोर प्रदर्शन चलता रहा इसलिये उसने रिपोर्ट दी। उस सब-कमेटी के संयोग से वित्त मंत्री, न्याय मंत्री और विकास मंत्री सदस्य थे। मुझे माफ करेंगे, न्याय मंत्री जी तो कदाचित् उस समय बाहर रहे। इस कमेटी की मीटिंग्स हीं हीं हो पायीं। हुई भी तो आजकल हमारे मंत्री जी अनेक कारणों से पूरी तरह से उस पर विचार नहीं कर पाये क्योंकि उनके भी विचार करने के बाद

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

ऐसी त्रुटियां क्यों रह गयीं। आखिर कौन वह समिति होगी जो कि अन्तिम निर्णय पर पहुंचे तो जिसमें अगर सब त्रुटियां दूर नहीं हो सकें तो त्रुटियों की संख्या कम से कम तो हो। जब हम किसी करप्शन, किसी गलती के बारे में बात करते हैं तो प्रयास यह करते हैं कि "दि मिस्टेक्स शुड बि रेड्यूस्ड टु दे मिनिमम"। जितनी न्यूनतम गलतियां हो सकें उतनी हों। कैबिनेट सब-कमेटी के देखने के बाद भी अनेक गलतियां रह गयीं। मुझे ऐसा ख्याल है कि उसने जल्दी में रिपोर्ट गलत दी और कहा कि जो कुछ होगा देखा जायगा, सरकार बहुमत में है, चाहे किसी को सुने या न सुने, यह उसके दिल दर्द पर है कि वह कहां तक सहानुभूति रखती है। दो महीने के बाद इस सब-कमेटी ने रिपोर्ट दी। इसमें हजारों वेतन-क्रम घटाये।

अभी माननीय चरणसिंह जी यह कह रहे थे कि विरोधी पक्ष के लोग कहते हैं कि टैक्स भी न लगायें और सरकारी नौकरों की तनख्वाह भी बढ़ायें, यह कैसे हो सकता, दोनों असंगत बातें हैं। लेकिन बहुत-सी चीजें सरकार भूल जाती है। पहली बात तो हम यह कहें कि केन्द्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकार एक ही शरीर के जुज हैं। यह प्रदेशीय सरकार का जिम्मेदारी है कि दुख दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार को एप्रोच करे। आज हमारे प्रान्त के एक व्यक्ति पर ३१ लाख रुपया टैक्स का माफ कर देते हैं तो दर्द नहीं होता लेकिन जब हम कहते हैं कि चपरासी, माली, या किसी भी गार्ड की कम से कम सौ रुपये तनख्वाह कर दी जाय ताकि वह भी इस तथाकथित सोशलिस्ट राज्य में अपने बच्चों का पोषण कर सके तो दर्द नहीं होता। लेकिन वहां दर्द होगा जिसके पास एक मोटर से अनेक मोटरें होंगी। उसका ३१ लाख रुपया माफ कर दिया। आज उस बात को इस संदर्भ में ला कर मेरा कोई राजनीतिक खिलवाड़ करने की मन्शा नहीं है लेकिन जिस वक्त आप यह सलाह देने लगते हैं तो इस कठोर सत्य को क्यों पीछे रख लेते हैं जब हम कहते हैं अपने विचार व्यक्त करते समय कि जहां तक संभव हो सके आप अपने खर्चे में एकोनामी करिये—तेरे पांव पसरिये जेती लम्बी सौर—इसे आप क्यों नहीं ध्यान में रखते? क्या बेजा हम कहते हैं? उस समय आप कहते हैं कि टैक्स न बढ़ाइये और तनख्वाह भी बढ़ाइये। यह कैसे हो सकता है? आप इस तथ्य को क्यों भूल जाते हैं। आपने यह क्यों कहा कि आप इलेक्शन के लिये एक करोड़ रुपया अपनी पार्टी के लिये रेज करना चाहते हैं? यह आप रेज कहां से करेंगे? इसके लिये आप सर्विसेज का यूज करेंगे और महाजनों को यूज करेंगे और जो यह ३१ लाख रुपया माफ किया गया है इसका कुछ अंश अवश्य आपको मिलेगा। जितने ऐसे धन हैं जो मुनासिब तरीके से वसूल करके सरकारी खजाने में जमा हो सकते थे उनका कुछ अंश अवश्य मिलेगा। निम्न-वर्ग के जो कर्मचारी हैं जिनको आप यहां सफेद कपड़े पहने देखते हैं उनकी बीबी घर में एक ही कपड़ा पहनती होगी। इसका भी कभी आपने ध्यान किया है? इस पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया है।

आपने आज सारे शासन को महंगा कर दिया है। आपने दवा महंगी कर दी है, शिक्षा प्रणाली महंगी कर दी, कपड़े महंगे कर दिये, भोजन महंगा कर दिया यानी जीवन की हर चीज महंगी कर दी और यहां तक कि नमक भी महंगा कर दिया है। अगर उन पर खर्च कर दिया जाये तो जो विकास कार्य को आगे बढ़ायेंगे तो सरकार को दर्द हो रहा है। सरकार के तनख्वाह न बढ़ाने के क्या कारण हैं? मैंने तो पतीली के एक दो चावल की ही बात कही है। कितना एक्साइज टैक्स का बाकी है, कितना लोगों के जिम्मे बाकी है, कितना क्षमा किया जाता है, किन को लाइसेंस और परमिट देते हैं और कितना लास आप अपने दल के लिये उठाते हैं। यदि जन कल्याण का मामला आपके सामने होता तो आप सोचते कि हम अगले इलेक्शन में आयें या न आयें लेकिन दुनिया के सामने आदर्श रख कर जायेंगे जिससे जन समाज हम को सदैव याद करेगा, कर्मचारी याद करेंगे और बाहर लोग हमें टोकेंगे यदि हमने नहीं किया। आप जन समाज का कल्याण नहीं कर रहे हैं। आपने समाज के अन्दर क्रान्ति पैदा कर दी लेकिन सर्विसेज में पैदा नहीं की। अगर बड़े-बड़े नट्ट ढीले कर दिये जायं तो पकचर हो सकता है। आप एक नियम पालन कीजिये कि समानता लाइये और अनियमितता दूर कीजिये, नीचे के वर्ग को ऊपर उठाइये और जो

विद्वेष का कारण है उसको दूर कीजिये। आप ऐसा काम कीजिये जिससे सर्विसेज में बिकरिंग न हो।

मैंने इसलिये यह सब कहा कि तीन तीन कमेटियों की रिपोर्ट को लेकर वही पुरानी पद्धति अपनाई जाती है। जैसे किसी मामले को भुलाया जाय तो उसको कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाता है। आपका ख्याल है कि इन कमेटियों की रिपोर्टें नहीं आयेंगी और इसी बीच में जनरल इलेक्शन आ जायेंगे। आपके कर्मचारी कहां जायेंगे, जो पा रहे हैं वह पाते रहेंगे और बिकरिंग करते रहेंगे और एक दिन सब भूल जाते हैं। इसी तरह से विरोधी लोग भी चले जायेंगे। लेकिन संसार में कोई नैतिक फोर्स है जो जिन्दा नहीं रहने देता है आदमी को और किसी न किसी परिस्थिति में वह फोड़ा बनकर फूटता है। मैं नहीं कहता कि इसको बढ़ाइये। लेकिन छोटे स्तर वालों को ऊपर उठाइये और ऊपर के वर्ग की असमानता दूर कीजिये। इसलिये मुझे इतना कहना पड़ा कि इस समिति ने जहर फैला दिया है। यदि इसने निष्पक्षता बरती होती तो मुझे यह न कहना पड़ता। इन परिस्थितियों के कारण और इन तथ्यों से मैं आपके सामने साबित करता हूं कि आप दूसरी कमेटी बनाइये जो इस समिति की रिपोर्ट का पुनरीक्षण करे। लेकिन यह आपका अंतिम निर्णय न हो। आपने जो अंतिम कमेटी बनायी उसने भी क्या किया। उसने हजारों वेतनक्रम घटाये।

एक गजट मेरे पास है। यह २८ फरवरी, १९६६ का है। इससे मंत्री जी को मालूम होगा, मैं जागते हुये को क्या जगाऊं? लेकिन समाज जाने इसलिये कहता हूं। एक इसमें स्टटिस्टिकल असिस्टेन्ट का है। पहले उसका स्केल १२०–२५० था। पी०आर०सी० ने १६०–२८० कर दिया और सब कमेटी ने १२०–२५० कर दिया। इसी तरह सेनटरी इंस्पक्टर्स हैं। अनेक सर्विसेज हैं जिसमें उन्होंने पी०आर०सी० की रिपोर्ट में उससे घटा दिया। आपने ४५ जिलों में एक नयी सर्विस डी० पी० ओ० की कायम की, फर्स्ट ग्रेड में कर दिया। उसका वेतन ६००–१२०० कर दिया। लिखते समय यह लिखा कि उन्हीं जिलों में ये होंगे जिनकी संख्या ४५ हजार से ऊपर हो। शायद इस भुलावे में रखना चाहते थे कि सर्विसेज की संख्या कम होगी। उनके मस्तिष्क में हिल डिस्ट्रिक्ट्स थे, बाकी ४५ जिलों का ध्यान नहीं था। ४५ जिलों में फर्स्ट ग्रेड का सर्जन किया। इसका क्या सिद्धान्त है? एक दफा घटाते हैं, दूसरी दफा बढ़ाते हैं? यह तो मैंने एक मिसाल दी बढ़ोत्तरी की।

आपने वेतन अभिनवीकरण समिति के सामने जो विचारणीय विषय रखे थे उसमें लिखा था कि वेतन मानों की संख्या कम करेंगे। टेकिनकली कह दिया कि ३४३ से घटा कर ५२ वेतन मान कर दिये। लेकिन दरअसल क्या किया? कितने वेतन मान बढ़ गये। मेरी जानकारी के अनुसार एक जगह वेतनमान घटा कर ३४८ से ४९ कर दिये और दूसरी जगह सचिवालय में ९ के १२ कर दिये। यह स्टेप-मदरली ट्रीटमेंट है जो मैं कह रहा था। क्यों साहब, एक जगह बढ़ाया और दूसरी जगह घटाया? इंडस्ट्रीज डिपार्टमेन्टस् में चार गजेटेड पोस्ट्स थीं। अब ९ गजटेड पोस्ट्स हैं। दो स्केल्स हो गये। वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट जैसी कि सरकार द्वारा स्वीकृत हुई उसमें यह हुआ कि लोगों को यह आप्शन दिया गया कि चाहे वह नया स्केल आप्ट करें या पुराना। बहुत से लोग जान बूझ कर पुराने वेतनमानों में ही रहना चाहते हैं। तो क्या नतीजा हुआ? एक पुराना वेतन मान चल रहा है और एक नया क्रियेट कर दिया। आप ऐसा करते जिससे घर बैठे आदमी समझ जाता कि यह वेतन मान है, मैं इसके अन्दर जाता हूं। लेकिन नहीं, आप स्वयं अपने मस्तिष्क में निश्चित नहीं थे और आज भी नहीं हैं। क्योंकि आपने परिश्रम इस बारे में नहीं किया इसलिये आपको जानकारी नहीं है। आपको मुझ से भी कम जानकारी है, मैं यह नहीं कहता कि मुझे बहुत जानकारी है, फिर भी मैंने बहुत कुछ अध्ययन किया है और मुझे जानकारी है। यदि इसमें कोई परीक्षा हो तो आपको मुझसे कहीं कम नम्बर मिलेंगे, तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों? आपके सरकारी कर्मचारी आपसे बड़ी आशा लगाये

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

बैठे थे—"आइ हैं फेर बसन्त ऋतु, इन डारन वे फूल" उन्हें आशा थी कि हमारी सरकार है और उससे हमारा लाभ होगा। लेकिन उनकी आशाओं पर तुषारापात हो गया है। कलेक्टरेट के स्टाफ का जो एक मुख्य स्केल १२०–२८० रुपये का था, उसे सब कमेटी ने घटाकर ११० से २४० कर दिया है। मुझे जो सूचना दी गयी है, मैं उसके आधार पर कह रहा हूं, यदि मेरी सूचना कहीं गलत हो तो माननीय मंत्री जी यह न समझें कि मैं अपने तर्कों को पुष्ट करने के लिये असत्य कह रहा हूं। आपके इस निर्णय से ३० हजार कर्मचारी प्रभावित होते हैं। सेक्रेटरिएट के टाइपिस्ट, टेलीफून आपरेटर और केयर टेकर सभी के संबंध में आपने यही किया है, जो इसमें आयेंगे उस प्राविजो के साथ लगभग ५० हजार कर्मचारी आते हैं जो डाउन ग्रेडेड हुए। जो पी० आर० सी० कमेटी ने उनके बारे में सिफारिश की थी आपने उसको भी नहीं माना।

सेनेटरी इंस्पेक्टर का स्केल १२० से २५० रुपये का था, उसे घटा दिया गया और उनका ग्रेड बराबर कर दिया गया वी० एल० डब्लू० के। जब कि यह विलेज लेवेल वर्कर्स एक नहीं कई कई सेनेटरी इंस्पेक्टर के मातहती में काम करते हैं। इस प्रकार से आपने मातहत और मालिक दोनों को समान स्तर पर ला दिया है, इससे उनके कार्य में क्षमता कैसे आ सकती है। नीचे से बढ़ाया जाय इसमें मुझे कोई कुछ नहीं कहना है, लेकिन इस प्रकार की असंगतियां न होने पायें, इसका भी ध्यान रखा जाय और ऐसा क्यों किय गया यह लिखना चाहिये था। केन्द्रीय सचिवालय में सेक्शन अफिसर ग्रेड एक और दो को एक कर दिया गया है, वह यहां भी होना चाहिये। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं किया गया है। यहां पर भी यह आवश्यक है कि कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिये विभागों को छोटा करके वे सेक्शन अफिसर के अधीन किये जायें और सहायक अधीक्षक और अधीक्षक के बीच की विषमता दूर करके एक ही वेतन मान में सेक्शन अफसर के पद का सृजन किया जाय। तो आखिर ऐसा क्यों किया गया कि उनमें असन्तोष फैले। सर्विसेज में मुनासिब कम्पेन्सेशन दिया जाय। यदि कोई एक रूल में समान कार्य करते हैं और उनका समान उत्तरदायित्व है तो दोनों में भेद क्यों है, इसे दूर किया जाना चाहिये। समाजवाद का यह भी एक बड़ा लक्ष्य है।

कैबिनेट ने कहा कि हजार या उससे अधिक सेलरी पाने वालों का पुनरीक्षण नहीं होगा, न हो, उससे इंजीनियर, डाक्टर सभी प्रभावित हुये। सबके साथ समानता बरती जाय तो उसमें कोई गुरेज की बात नहीं है। लेकिन जब दुखः समान नहीं होता है, उसमें भी पक्षपात कर लिया जाता है तो अवश्य दुखः होता है और उसे कोई बरदाश्त नहीं कर पाता है। कमेटी ने एक और निर्णय लिया कि जिनका टोटल एमालूमेंट एक हजार है या उससे ज्यादा है वे पे फिक्सेशन का लाभ नहीं पा सकते हैं, यानि एडवांस इन्क्रीमेंट नहीं पा सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने जो एमालूमेंट की परिभाषा की वह इन इस तरह से की कि उसमें स्पेशल पे शामिल नहीं की गयी और जो कुछ खास अधिकारी थे वह एडवांस एन्क्रीमेंट पायेंगे और पाते रहेंगे। लेकिन जो स्पेशल पे नहीं पाते हैं वे उसके अधिकारी नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि यहां के सेक्रेटेरियेट के हों या लेजिस्लेचर के हों उनका केस खराब हो गया, उनके साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया गया है।

पी० सी० एस० और पुलिस समान वेतन पाते थे, कुछ असंगतियां थीं, उनको आपने बीच में समाप्त कर दिया। लेकिन राशनल इजेशन कमेटी के हिसाब से आपने जो अप्रूव्ल किया तो आपने उस रूल के आधार पर उनको आज ३५० का स्टार्ट दिया तो इनको २२५ का ही रखा। इससे भी असंतोष हुआ। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में आपने लगभग १ सौ अधिकारियों को डाउन ग्रेड किया। समान अधिकारियों को समान कार्य, समान कर्तव्य, समान उत्तरदायित्व के लिये समान उपलब्धियां हों, इसका उल्लंघन हर जगह हुआ है। इनको २५०–८५० से से घटाकर २५०–७५० कर दिया।

एक बात और, रेशनलाइजेशन का नाम, लेकिन किया क्या आपने? चाहे सेक्रेटरियेट के, चाहे असेम्बली सेक्रेटरियेट के, सब जगह समान आदमियों को समान वेतन वाली बात नहीं है। एक उदाहरण लीजिये, एग्रीकल्चरल और फारेस्ट डिपार्टमेंट के हेड्स आफ डिपार्टमेंट्स के वेतनों में १७ प्वाइंट कुछ की बढ़ोतरी हुई लेकिन पी० डब्लू० डी० और इर्रीगेशन डिपार्टमेंट में जो बढ़ोतरी हुई वह १२.५ प्रतिशत ही है। हम आपसे चुपके गपके वाला रीजन सुनना नहीं चाहते, स्पष्ट बात चाहते हैं। फिर आप उत्तर देते हैं कि लोग घूस लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं। मैं उनका ब्रीफ होल्डर नहीं हूं, लेकिन आप इस बात को उनकी तनख्वाह कम करते समय लिख दीजिये कि चूंकि ये लोग घूस लेते हैं इसलिये हमने उनकी तनख्वाहों को घटाया है, यह लिख दीजिये कि अमुक वेतन क्रम वाले घूस लेते हैं इसलिये हम इनका नहीं बढ़ाना चाहते ताकि दुनिया देखे कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे लोग हैं जिसके कारण आपको शासन में अब अधिक दिनों तक नहीं रहना चाहिये।

दूसरी बात पुलिस और सिविल सर्विस के सेलेक्शन ग्रेड की है। उसमें आपने अन्तर कर दिया। आपने अभिनवीकरण समिति में यह अन्तर रखा है। मैं डिटेल्स कहां तक गिनाऊं।

तीसरी बात यह है कि आपने फिजूल की पोस्ट्स क्रियेट कर दी है, उनको एबालिश करने के बारे में कितनी बार चर्चा हुई। लेकिन आपने क्रियेट कर दी और पदोन्नति करके अपने लोगों को बैठाया। उनको ३ सौ या ५ सौ पया उनके वेतन क्रम में अधिक देकर उनका पद सृजित किया। एग्रीकल्चर में अनेक डाइरेक्टरेट हो गये। श्री गेंदासिंह जी बैठे थे कुछ उनसे प्रश्न का अवसर नहीं मिलेगा लेकिन मैं पूछता कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का पया कंट्रीब्यूशन है, उनके रिसर्च डिपार्टमेंट ने कौनसी चीज जनता के सामने रखी अधिक उत्पादन के लिये, अधिक फल पैदा करने के लिये कौनसी अद्भुत और अनोखी चीज निकाली। लेकिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आज असिस्टेन्ट डाइरेक्टर, ज्वाइंट डाइरेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर के लिये अनेक पोस्ट्स क्रियेट किये गये और उनको डाइरेक्टर की तनख्वाह दी गयी और उनको २ सौ, ३ सौ बढ़ा दिये गये, अर्दली के नहीं बढ़ाये गये, मामूली क्लर्कों की तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई जिनकी हालत माफ कीजिये अइलाह है कि उनकी औरतें घर में फटा पेटीकोट पहनती हैं और जब कोई आ जाता है तो धोती पहन लेती हैं। मेरे भी एकाध रिश्तेदार हैं जिनके यहां मैंने खुद देखा है उनके बारे में सरकार चुप है लेकिन जो फिजूल की पोस्ट्स हैं ज्वाइंट डाइरेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर, इंजीनियर इन चीफ उनकी पोस्ट्स बढ़ाई गई जैसे एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कमिश्नर बनाये जाते हैं। ये पोस्ट्स क्रियेट की जाती हैं इन बड़ी बड़ी सर्विसेज को खुश करने के लिये, अपने राज्य का संचालन करने के लिये लेकिन इन पर ध्यान कभी नहीं दिया जाता है। इस पर क्यों ध्यान नहीं दिया गया। अब इसके बाद एक बात और यदि मैं न कहूं तो अन्याय होगा.....

श्री अधिष्ठाता—

आप कितना समय और लेंगे ?

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

बोलने दीजिये ! १ घंटा और दीजिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं आधे घंटे में समाप्त कर दूंगा।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है, बोलिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं समझता हूं कि मैं पेरेनलाइजेशन कमेटी के हर पहलू को आप के सामने नहीं रख सकता। उसे मैं इतना पढ़ भी नहीं पाया हूं, इसलिये दूसरे सदस्य भी बोलें। तो मैं कह रहा था कि रोचक विसंगति होती है कि पेरेनल रिकंस्ट्रक्शन करने वाला कितना सर्विस में है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिये। अध्यापकों की कुछ शिकायतें मेरे पास आयी हैं कि उन के साथ अन्याय हुआ है। उसमें से एक आध बात मैं बतला दूं। प्रसार अध्यापकों की मांग है कि शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों के लिये १२०-३०० का जो वेतन क्रम था उसे बढ़ा कर १५०-३५० कर दिया गया लेकिन जो प्रसार अध्यापक थे उन का वेतन १८०-२८० ही रहने दिया गया। मैं उन की वकालत नहीं करता लेकिन आप उसका कारण बतलाइये। इस के अतिरिक्त अर्द्धसरकारी वेतन-क्रम में मामूली शिक्षक को १२०-२५० का वेतन-क्रम दिया गया जब कि शिल्प अध्यापकों को १२०-२२० का वेतन-क्रम दिया गया। पहले एस० डी० आई० के लिये पी० आर० सी० ने १५०-३०० का वेतन स्वीकार किया था चाहे वह जे० टी० सी० हों अथवा उनकी क्वालीफिकेशन कुछ भी हो, लेकिन अब उस में भिन्न-भिन्न ग्रेड कर दिये गये। १००-१८० जे० टी० सी० के लिये और २५० तक सी० टी० के लिये कर दिया गया। आप कहेंगे कि आप आलोचना भी करते हैं और यह भी कहते हैं, इस के लिये मेरा उत्तर है कि आप भी अपने मस्तिष्क में साफ नहीं हैं और न यह कमेटी ही साफ है और इसलिये इस पर पुनर्विचार करना बहुत आवश्यक है।

दूसरी बात मैं डी० ए० के बारे में कहना चाहता हूं। इस संबंध में सरकार ने १९६१ और १९६५ के मूल्यों के आधार पर डी० ए० फिक्स कर दिया है। अन्य सरकारों ने, मद्रास ने, महाराष्ट्र ने, केरल ने ऐसा फिक्स नहीं किया। पता नहीं हमारी सरकार ने किस आधार पर फिक्स कर दिया लेकिन दूसरी सरकारों ने उसे इस आधार पर फिक्स नहीं किया कि विशेष परिस्थितियों में कीमतें बढ़ सकती हैं? जो गरीब थे उन पर सरकार के इस निर्णय का प्रभाव पड़ा है। हमारे यहां आई० ए० एस० और आई० सी० एस० के योग्य अधिकारी हैं.....

(श्री बनारसीदास के उठ कर लाबी की तरफ जाने पर)

श्री केदारप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

सदन में श्रीमन्, न कोई मिनिस्टर है और न कोरम ही है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस समय यहां कोई मिनिस्टर नहीं बैठा है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अधिष्ठाता—

मैं समझता हूं कि जब माननीय मंत्री जी को सदन छोड़ना हो तो वे किसी अन्य मंत्री को बिठाकर जाया करें, किसी मंत्री को यहां होना चाहिये।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

मैं केवल एक मिनट के लिये चला गया था, वैसे मैं तो यहां उपस्थित था।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मैं डियरनेस अलाउन्स की ओर संकेत कर रहा था। यह एक ऐसी चीज है कि जो विशेष परिस्थितियों में उनको मीट करने के लिये दिया जाता है, इस आधार पर कि अगर कीमतें बढ़ेंगी तो वह भी बढ़ा दिया जायेगा और कीमतें घटेंगी तो उसको कम कर दिया जायेगा। जो जितना पाने का अधिकारी है उसको उतना दिया जायेगा। पूर्व इसके कि मैं

कुछ और कहूं, श्रीमन्, सरकार का रुख इस संबंध में बड़ा ही निर्दयी रहा है। पिछले दिनों कर्मचारियों का प्रदर्शन हुआ था, उसमें बहुत-सी स्त्रियों ने भी भाग लिया था। मैं नहीं जानता था कि उसमें स्त्रियां भी भाग लेंगी। उस समय दूसरी संस्थाओं के लोग अनशन भी कर रहे थे। उन स्त्रियों से मिलने की आशा थी कि माननीया मुख्य मंत्री आयेंगी, मगर सुनने में यह आया है कि उनका व्यवहार ऐसा रहा जिसको सुन कर मुझे बड़ा दुख हुआ। श्रीमन्, "सिविलिटी कास्ट नथिंग बट अन्सं लाट"। जीवन की यह साधारण-सी चीज है। जो व्यक्ति बहुत ऊंचे पद पर हों चाहें मुख्य मंत्री हों, मंत्री हों उन्हें नम्र होना चाहिये। लेकिन ये साधारण संस्कृति का अपना व्यवहार भूल जाते हैं कि अगर वृक्ष पर फल लगते हैं तो वे नम्र हो जाते हैं– भवन्ति नम्रास्तरवः फलादिभिर्नवाम्बुभिर्दूरविलम्बिनो घना अनुद्धताःसत्यपुरुषाःसमृद्धिभिः.. तो वे ये आशा लेकर आते हैं कि हम नम्रता का व्यवहार करें। हमें मुख्य मंत्री से ऐसी आशा नहीं थी। मैं समझता था कि वे चाहे दें या न दें परन्तु कुछ मधुर भाषण तो करेंगी ही। उन्हें इतने ऊंचे पद पर रहते हुए इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिये था क्योंकि वे भी स्त्री थीं। हो सकता है कि किसी जीवन पद्धति में स्त्रियां स्त्रियों के साथ अच्छा व्यवहार न करें। परन्तु मैं समझता हूं कि स्त्रियां अच्छे ही व्यवहार की पात्र हैं।

डीअरनेस अलाउन्स के लिये मैं यह कह रहा था कि इन्होंने कोई सिद्धान्त नहीं रक्खा। किसी न किसी शक्ल में स्थिति क्या है कि आई० ए० एस०, आई० सी० एस० आदमी जो २,२५० तक पाते हैं वे १०० रुपये प्रतिमाह पायेंगे। इसी प्रकार डिप्टी सैक्रेटरी आई० ए० एस० के हों या ज्वाइन्ट सैक्रेटरी हों वे भी १०० रुपया प्रतिमाह पायेंगे। छोटे वर्ग को जो डी० ए० मिलता है वह २ रुपये या तीन रुपये। आप कहें कि ज्यादा तनख्वाह मिलती है तो उनको मिलना चाहिये। लेकिन २,२५० रु० पाने वाला आदमी ढाई परिवार के यूनिट के आधार पर समझा जानेवाला आदमी उतने ही डीअरनेस अलाउन्स का अधिकारी नहीं जितना कि मामूली क्लार्क जिसके कई परिवार हैं और आजकल की बढ़ती हुई महंगाई में और कीमतों में भोजन के लिये भी जिसका वेतन पर्याप्त नहीं है। तो क्या उतनी ही उसी आफिस की तनख्वाह पाने वाला आदमी उसको पाने का अधिकारी नहीं, समान कार्य करता है, समान उत्तरदायित्व है, समान स्तर पर इस तरह रहता है कि किसी माने में उत्तरदायित्व कम नहीं निभाता। मैं कारण जानना चाहता हूं कि ३०० रुपये हाउस एलाउन्स आई० ए० एस० आफिसर को मिलता है। इसे मैं ज्यादा समझता हूं क्यों? इसलिये नहीं कि मुझे द्वेष है। मैं जानना चाहता हूं कि उनके लिये हमारी सरकार की आर्थिक कठिनाईयां उनके दिमाग में टंकार नहीं करतीं लेकिन जब गरीब को रुपया देना पड़ता है तो इनके दिमाग में आर्थिक परिस्थितियों की बात आ जाती है। इसके अलावा कहते हैं कि आई० ए० एस० आफिसर पर हमारा अधिकार नहीं है। ये सर्विसेज केन्द्र की हैं। हम कहते हैं कि अगर आपको इनके ऐसे आफिसर यहीं मिल जाते हैं तो उन्हें लीजिये। कम से कम ये १०० रु० आप बन्द कर सकते हैं। ३०० रु० बन्द कर सकते हैं। क्या आप इसको नहीं कर सकते। आप इस पर विचार करिये। उसी जगह पर काम करने के लिये दूसरा उपयुक्त व्यक्ति भी मिल सकता है। मैं समझता हूं कि ऐसी दशा में अपरोक्ष रूप में वेन्स-डाउन होना चाहिये। वे क्यों इतना कार्य करें। इन परिस्थितियों में उनसे कैसे आप आशा कर सकते हैं। "भूखे भजन न होहिं गोपाला"।

एमरजेन्सी पीरियड में आपने २,५०० से ३,००० रुपये किया। पैसे की कमी है हमारी सरकार को लेकिन पांच एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर कर दिये गये हैं। उनको कहीं खपाना था, हमारे मुख्य सचिव का कोई विशेष क्या रहा होगा। वे उस बूढ़ेवाले चरखी के आरबिट हैं यानी केन्द्र बिन्दु हैं जिनका अपना अलग क्लास है। कितने विचार बड़े बड़े मंत्रियों ने और प्रशासकों ने व्यक्त किये हैं इस भेद–भाव को मिटाने के लिये। इसलिये मैं कहता हूं कि आज की परिस्थिति में ५ पोस्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स की क्रियेट करने की क्या जरूरत थी जबकि आप छोटे

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर विचार नहीं करने के लिये तैयार हैं ? मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं करना चाहता हूं ; हमारे यहां के चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी शायद देशभर में सबसे ज्यादा तनख्वाह पाते हैं। यद्यपि ५०० रुपया उन्होंने छोड़ दिया है तो भी ३०० रुपये उन्हें अधिक मिलते हैं। हमसे अच्छी तरह इसे नवलकिशोर जी समझा सकेंगे। मैं व्यंग नहीं कस रहा हूं। मीठी लगे या न लगे मैं उनके ऊपर विश्वास रखता हूं इसलिये ऐसा कह रहा हूं। इन बड़ी-बड़ी तनख्वाह पानेवालों के बारे में विचार हो और छोटी तनख्वाह पाने वालों के बारे में विचार न हो इनके लिये कुछ न किया जाय यह उचित नहीं है। पहले छोटी तनख्वाह पानेवालों के लिये विचार होना चाहिये। इनका परिवार बड़ा होता है बड़ी तनख्वाह पानेवालों के परिवार से, इनके परिवारों को खाने के लिये अधिक चाहिये।

जहां मैंने आई० ए० एस० और आई० सी० एस० की बात कही वहां कुछ बात चपरासियों की भी कहना चाहता हूं। इनको पहले पे०, डी० ए० एडहाक मिलता था जो ५ रुपये था और शहर का कम्पेंसेटरी अलाउंस मिलता था। अब वेतन अभिनवीकरण समिति ने जो इनके मुंह में मधु चुवाया है वह यह है कि उनकी कुछ पे और डी० ए० शामिल कर दिया और उनका इन्क्रीमेंट क्या है ? १ रुपया महीने का। क्या कमाल किया है। क्या १ रुपये का इन्क्रीमेंट दुनिया के परदे पर कहीं है ? इससे भी निकृष्ट या छोटी कोई नौकरी चाहे क्यों न हो कहीं भी ऐसा नाममात्र का इन्क्रीमेन्ट नहीं है। आज की परिस्थिति में नीचे वाले को ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर जीवनस्तर से कोई संबंधित चीज है कास्ट आफ लिविंग से संबंधित कोई चीज है, अपना कर्त्तव्य ठीक ढंग से करने के लिये कर्मचारियों को दूसरी चिन्ताओं से मुक्त करने की बात है तो उनको सन्तुष्ट करना होगा। वे कहते हैं कि सरकार ने हमको अच्छा चरका दिया पे रैशनालाइजेशन कमेटी के आधार पर।

एक और बड़ी रिडीकुलस बात है। यहां बहुत से बड़े-बड़े अधिकारी जो आई० ए० एस० और आई० सी० एस० और पी० सी० एस० हैं वे ३५, ५० और १०० रुपये माहवार के कारपोरेशन के या सरकारी मकानों में रहते होंगे। अगर नहीं हैं तो मैं वापिस लेता हूं। लेकिन चपरासी की जरा हालत सुनिये। कवाल टाउन्स में रहता है तो ९ रुपये का फायदा है, ४।।) रुपये वह मिलता है और ५ रुपया हाउस अलाउंस का मिलता है अगर सरकारी घर में नहीं रहता है तो। उसकी छुट्टी की तनख्वाह भी घटा दी गई है। जो कुछ और सुविधायें दी हैं एजूकेशन, दवाई इत्यादि के बारे में वे भी बड़ी रिडीकुलस हैं। हमारे अन्य साथी इसके बारे में अधिक विस्तार से कहेंगे।

एक बात और है कि सरकार ने पुलिस कर्मचारियों को इसमें नहीं रखा है। उनको इसमें शामिल नहीं किया। पुलिस कांस्टेबिल्स इत्यादि को अलहदा रखा है। इस पर भी विचार करना चाहिये। उनके साथ इस रवैये के हम विरोधी हैं यद्यपि बहुत बदनाम वह डिपार्टमेन्ट है। लेकिन साथ-ही-साथ हम यह कहे बिना भी नहीं रह सकते कि उनकी तनख्वाह बहुत कम है। जहां हम चाहते हैं कि वे करप्शन से ऊपर उठें हम यह भी कहते हैं कि उनको भोजन तथा जीवन की तमाम सुख-सुविधायें मिलनी चाहिये। लेकिन उन्होंने उनकी वही स्थिति करदी जो चपरासियों की का है। सर्किल इंसपेक्टर वगैरह की आज तक सब बातें वैसी ही चली आती हैं। पहले उनको तहसीलदार के ग्रेड में किया था। तहसीलदार का ग्रेड तो बढ़ गया लेकिन उनका नहीं बढ़ा। आप इस पर भी विचार करें।

मैंने कुछ बातों को दोहराते हुए बल दिया कि उन पर हमारी सरकार को तुरन्त विचार करना चाहिये। आज हमारा देश और प्रदेश बड़ी कठिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहा है। हमको अपने सिटीजन्स में विश्वास करना चाहिये और है। लेकिन इसके लिये कि यह सरकार हमारी है यह प्रशासन हमारा है यह विश्वास सरकारी कर्मचारियों में पैदा हो इसके लिये उन्हें सन्तुष्ट करना बहुत आवश्यक है। उनमें यह भावना जागृत करने की जरूरत है कि ये सारे डेवलपमेंट के कार्य हमारे लिये हैं इनमें हमें पूरा-पूरा योगदान देना है।

सेवा भाव की प्रेरणा उनके अन्दर पैदा करने की जरूरत है। लेकिन जैसा असन्तोष आज सर्विसेज में व्याप्त है यह बड़ा विस्फोटक है जो किसी समय इससे भी अधिक खतरनाक रूप धारण कर सकता है अगर सरकार ने उनके लिये कुछ नहीं किया। इसलिये सरकार को चाहिये कि इस स्थिति का मुकाबला करे और जो अनियमिततायें, असंगतियां और असमानतायें इस वेतन अभिनवीकरण कमेटी द्वारा या एनामली कमेटी द्वारा हुई हैं उनके ऊपर फिर से विचार करे।

(इस समय २ बजकर २४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुए।)

मेरा सुझाव है कि सरकार एक पे कमेटी फिर से गठित करे और उसमें दोनों सदनों के माननीय सदस्य जिन पर इनका विश्वास हो जिनकी योग्यता पर उन्हें भरोसा हो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहें या सरकार के और मंत्री या व्यक्ति रहें जो कराहते हुए कर्मचारि–वर्ग की मात्रा बढ़ती जा रही है उन्हें संतोष दिलावें और सचमुच उन्हें इस योग्य बनावें कि वे कुशलता और ईमानदारी से कार्य करें। यदि आपने इनके दुखों को दूर नहीं किया तो आप इनसे क्षमता और ईमानदारी की आशा नहीं कर सकते।

इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं और इतना सरकार से फिर निवेदन करता हूं कि वह इन सब बातों पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैंने माननीय त्रिपाठी जी के भाषण को बड़े ध्यान से सुना। मैं बहुत सुनता था कि वह बड़े योग्य वकील हैं यद्यपि किसी अदालत में मुझे उनकी बहस सुनने का मौका नहीं मिला। आज मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने केस को बहुत अच्छी तरह से पुट अप किया। केस की ही बात नहीं है बहुत कुछ उन्होंने वस्तु–स्थिति भी हमारे सामने रखी। इसमें शक नहीं कि चाहे जनतन्त्र हो या प्रशासन का कोई भी ढांचा हो, अगर सरकारी कर्मचारी असन्तुष्ट हैं, उनमें सन्तोष नहीं है तो यह सही बात है कि सरकार का काम अच्छे ढंग से नहीं चल सकता है। और जनतंत्र में वह इसलिये और भी आवश्यक माना जाता है क्योंकि कर्मचारिवर्ग की शाखायें तमाम समाज में फैली हुई हैं। इसलिये अगर उनमें कोई असंतोष है तो वह जनता में काफी दूर तक चला जाता है। अगर यह असंतोष बढ़ता गया तो एक विप्लव का रूप धारण कर सकता है और इससे केवल सरकार का ही हानि न होगी बल्कि सारे समाज को ही हानि होगी। इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं त्रिपाठी जी ने कहा कि कर्मचारियों में असंतोष है इसमें कोई शक नहीं है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि कर्मचारियों की कितनी ही तनख्वाह बढ़ाई जायं केवल तनख्वाह बढ़ाने से ही संतोष नहीं हो सकता। यह ऐसा विशेष सर्किल है कि इसका अन्त होने वाला नहीं है। उन्होंने यह कहा कि अंग्रेजों के जमाने में हर १०–१५ साल के बाद पे के बारे में विचार किया जाता था। उन्होंने कहा कि इस प्रदेश में ४७–४८ में पे कमेटी बैठी थी और उस कमेटी की करीब करीब सभी सिफारिशों को सरकार ने मान लिया था। उसके बाद मंहगाई बढ़ी और दोनों तरफ के माननीय सदस्यों की ओर से दुबारा पे कमेटी बैठाने के बारे में मांग हुई ताकि महंगाई को देखते हुये कर्मचारियों की तनख्वाहों को निर्धारित किया जा सके। केन्द्र में ऐसी कमेटियां बैठीं और आखिर में प्रदेशीय सरकार ने भी इस मांग को माना और पे रेशनलाइजेशन कमेटी बनायी गयी। यह खुशी की बात ही हुई। त्रिपाठी जी ने शिकायत की कि उसके गठन में सदन को विश्वास में नहीं लिया गया। मैं भी चाहता हूं कि अच्छा होता दोनों सदनों का कम से कम एक एक सदस्य उसमें होता तो अच्छा होता। क्योंकि आखिर हम लोग जनता के डेढ़ डेढ़ लाख के नुमाइन्दे उनकी भावनाओं को लेकर यहां आते हैं, उन सदस्यों से अगर छानबीन की जाती तो ३–४ ऐसे लोग अवश्य निकल आते जो उन लोगों के बौद्धिक स्तर से कम साबित न होते, जिनको आपने इस कमेटी का सदस्य बनाया था। अगर ऐसा किया होता तो जनता के अन्दर जो इसकी प्रतिक्रिया

[श्री नवलकिशोर]

थी या जो उसकी भावनायें थीं वह कमेटी के सामने आ जातीं। अच्छा होता अगर उसके गठन में इस बात का ध्यान रखा जाता। अगर मैं भूलता नहीं हूं, सन् ४७–४८ में जो कमेटी बनी थी, उसमें इस बात का ध्यान रखा गया था। मगर मान्यवर, आहिस्ता आहिस्ता मुझको भी यह महसूस होने लगा है कि सरकार का विश्वास जन प्रतिनिधियों के मुकाबले में नौकरशाही पर ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसका कारण चाहे कुछ भी हो लेकिन यह जनतंत्र को मजबूत करने वाला नहीं है।

अब उस कमेटी की सिफारिशें आपके सामने आयीं और ६०–६१ में जो कीमतें थीं उनको आधार बना कर वे सिफारिशें की गयीं, यह त्रिपाठी जी ने कहा। फिर उन्होंने कहा कि इन सिफारिशों से डिसपेरिटी और अधिक हो गयी। मैंने उस किताब को बड़े गौर से पढ़ा है, मैं यह नहीं कहता कि त्रिपाठी जी ने उसको गौर से नहीं पढ़ा, लेकिन मेरा ख्याल है कि डिसपेरिटी बढ़ी नहीं है, कम हुई है। ४७–४८ में बेसिक पे २५ रुपया थी, जब कि मेक्सीमम २,००० रुपया था यानी १:८० का अनुपात था। अब मिनीमम पे ५५ प्लस १५.७० रुपया है और उसने यह भी माना है कि १ हजार से ऊपर वालों की तनख्वाहों में कोई तब्दीली नहीं की जायगी। इसके माने यह हुये उनको आपने दो हजार तक उच्चतम में रख दिया, मैं स्टेट की बात कहता हूं। इसके माने हुये कि यह १:८० से घट कर १:३० की रेशियो हो गई। इस तरह से डिसपेरिटी हाईएस्ट और लोएस्ट की डिसपेरिटी में कमी हुई है। वेतन क्रमों में एनामलीज आज भी हैं लेकिन डिसपेरिटी के बारे में यह मानना चाहिये कि जो सिफारिशें इस रिपोर्ट में की गई हैं उनसे यह डिसपेरिटी कम होकर १:८० से १:३० पर आ गई है। उन्होंने कहा कि १०० रुपये और दो हजार के अन्तर का बेसिस हम मानते हैं। लेकिन हम तो उससे भी एक कदम और आगे बढ़े हैं।

श्रीमन्, आप हमारे पुराने नेता हैं और आज भी आप हमारे नेता हैं आप जानते हैं कि हमने यह कोशिश की कि देश में किसी का वेतन सौ रुपये से कम न हो और बड़े से बड़ा वेतन १००० से अधिक न हो। लेकिन दिक्कत यह है कि केन्द्रीय सरकार की नीतियां जो होती हैं उन का बहुत बड़ा असर, प्रदेशीय सरकारों की नीतियों पर पड़ता है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इस बात का कि एक ही काम और क्वालिफिकेशन के लिये स्टेट में वेतन दूसरा हो और उसी काम और क्वालिफिकेशन के लिये केन्द्र में दूसरा वेतन हो, यहां डी० ए० एक हो और वहां कुछ और हो, यह मैं मान सकता हूं कि छोटे बड़े शहरों के हिसाब से कुछ डियरनेस अलाउन्स घट बढ़ सकता है लेकिन काम के हिसाब से अन्तर नहीं होना चाहिये। अगर हमारे यहां यूनिटरी सिस्टम आफ गवर्नमेंट होता तब तो केन्द्र पर सारी जिम्मेदारी होती और सारे देश को सर्विसेज का एक ही वेतनक्रम होता। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है। यदि प्रदेशीय सरकारों की आर्थिक स्थिति इतनी ठोस नहीं है कि वह इतना बड़ा वेतन का बोझ उठा सकें तो केन्द्रीय सरकार का यह मारल ड्यूटी है कि वह वेतनों और डी० ए० के लिये प्रदेशीय सरकारों को सबसिडाइज करे और उन के द्वारा नाममात्र ऐसा कुछ शायद किया भी जाता है लेकिन दिक्कत यह है कि आई० ए० एस० वगैरह के जो आल इंडिया केडर हैं उन के वेतन का निर्धारण केन्द्र से होता है। मुझे यह पसन्द नहीं है कि छोटे लोगों का वेतन बढ़ता है ५ रुपया और कमिश्नर साहब का वेतन बढ़ा दिया पहले ५०० रुपया और फिर सौ रुपया और इस तरह से ६०० रुपया बढ़ा दिया। स्टेट गवर्नमेंट की मजबूरी यह है जिसे कि आप नजरअन्दाज करते हैं कि केन्द्र पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, मैं तो इस मत का हूं कि या तो केन्द्रीय सरकार अपने यहां और वेतन वृद्धि न करे जैसे कि अभी आपकी पे कमेटी की रिपोर्ट आई तो उन्होंने अपने यहां और बढ़ा दिया डी० ए० और उससे यहां और असन्तोष पैदा हुआ। इस तरह से एक प्रकार की और भी घुड़दौड़ लगी है और आये दिन मांग होती है कि फारेस्ट का, इंजीनियर्स का, एजूकेशन का आल इंडिया केडर अलग अलग बनाया जाय। इस तरह के अलग-अलग आल इंडिया केडर्स बनने के मैं खिलाफ हूं और यह गलत चीज है। अमरीका में मुझे नहीं मालूम कि कोई वहां आल अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती हो। उनके यहां तमाम सर्विसेज

का कामन पूल होता है। जो सीनियर लोग होते हैं, उनको आर्डर में फेडरल गवर्नमेंट में भेज दिया जाता है। जब केन्द्रीय सरकार एक बार ऊंचा सर्विसेज में स्केल बढ़ाता है तो यह मानी हुई बात है कि स्टेट्स में जो ऐसी सर्विसेज हैं, उन पर जरूर असर पड़ता है।

एक शिकायत माननीय त्रिपाठी जी ने यहां पर यह कही कि इस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद एक एनामली कमेटी बनायी गयी और वह कैबिनेट की कमेटी बनायी गयी। इसके लिये तो सरकार को धन्यवाद देने की बात है कि जब पी०आर०सी० ने अपनी रिपोर्ट पेश की तो उस समय उसने ३४३ स्केल्स को घटा कर उनको केवल ५२ कर दिया। जब वे उन्हें ५२ पर ले आयी तो कहीं न कहीं पर सामंजस्य नहीं हुआ। कुछ स्केल्स बढ़े और कुछ नहीं बढ़े। तो उनमें कुछ एनोमालीज पैदा हो गयी। यह मुनासिब बात नहीं थी इसलिये उन एनोमालीज को दूर करने के लिये एक एनोमाली कमेटी बनायी गयी। कितनी एनोमालीज उसने दूर की, कितनी नहीं की, यह बात तो बाद में देखने की है। तो अगर उन्होंने कोई एनोमालीज कमेटी बनायी तो वे काबिले तारीफ हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मेरा तो कहना केवल इतना था कि इस एनोमाली कमेटी में इस सदन के सदस्यों को रखना चाहिये था।

श्री नवल किशोर—

जब उन्होंने पे कमेटी में नहीं लिया तो एनोमाली कमेटी में भी उन्होंने नहीं लिया। लेकिन यह अच्छी बात होती कि अगर इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों को भी लिया होता तो उससे सुधार ही होता।

एक शिकायत यहां की असेम्बली सेक्रेटेरियेट के स्टाफ की पे के बारे में की गयी। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने इसके सम्बन्ध में एक समिति बनायी थी। वह रिपोर्ट पेश हो गयी है, वह डिस्कस होगी लेकिन इतनी बात मैं कह सकता हूं क्योंकि इससे मेरी थोड़ी जानकारी रही है। मान्यवर, मैं यह जानता हूं कि अगर कोई सही काम, अच्छा काम किया जाय तो उसकी तारीफ करनी चाहिये तो एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे सेक्रेटेरियेट का जो ढांचा है वह कुछ अजीब सा ढांचा है।

एक कान्फिडेंशियल रिपोर्ट है जिसे श्री मिट्ठन लाल जी ने पेश किया था। कान्फिडेंशियल इसलिये कहता हूं कि वह आज तक हाउस की मेज पर नहीं रखी गयी। उसके अन्दर एक नया पद सैक्रेटरी जनरल का पैदा किया गया और दो पोस्ट्स डिप्टी सैक्रेट्रीज की बनाई गई। बाद में ये सैक्रेट्री की हो गयीं लेकिन उनका स्केल डिप्टी सैक्रेटरी के बराबर ही माना गया है क्योंकि सैक्रेटरी जनरल के पद को सैक्रेटरी के बराबर माना गया है। मान्यवर, पूरे का पूरा ढांचा सामने आयेगा तभी इस पर उपयोगिता और संजीदगी के साथ बातें कर सकते हैं और करनी चाहिए।

इस रिपोर्ट में एक बड़े मजे की बात है। इसमें एक चैप्टर इन्जीनियर साहबानों के ऊपर लिखा गया है। हो सकता है कि उनसे ज्यादा मुहब्बत रही हो। इस चैप्टर में केवल इस बात की कोशिश की गई है और जस्टीफिकेशन किया गया है कि उनकी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़नी चाहिए। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए था। अब तो अनकांशंशली या कांशंशली एक स्ट्रगिल पैदा हो गया है ब्यूरोक्रेट्स में और टैक्नोक्रेट्स में। मेरा तो निश्चित मत है कि बैकवर्ड एकोनामी में किसी भी देश या प्रदेश में आपके टैक्नोक्रेट्स की सैटिसफाई करना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेट्स उत्पादन नहीं बढ़ाते हैं, देश और प्रदेश में। जितना भी आप का सिस्टम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन है आज चीफ इंजीनियर यह महसूस करता है, कुछ ऐसे भी हमारे इंजीनियर्स हैं जिन पर देश को नाज करना चाहिये, जिस समय उन को ५, ७ साल की सर्विस का

[श्री नवलकिशोर]

डिप्टी सेक्रेटरी बास करने की कोशिश करता है तो चीफ इंजीनियर आपने आप को इन्सल्टेड फील करता है। वहां सवाल ऐडमिनिस्ट्रेटिव सेट अप का है। तो एक तो आप अपने तरीके को बदलिये। मैं ज्यादा बहस में नहीं जाता कि टेक्निकल आदमी सेक्रेटरी हो या नान टेक्निकल हो, हर कंट्री में आम तौर से कम्युनिस्ट कंट्रीज को छोड़ कर नान-टेक्निकल आदमी ही सेक्रेटरी होते हैं। लेकिन टेक्निकल्स के साथ जो व्यवहार होता है, जो उनके दिल में एक टीस है वह दूर होनी चाहिये। मैं एक इंजीनियर लड़के को जानता हूं जो आल इंडिया में सेकेण्ड आया, वह आई० ए० एस० में भी बैठा है, मैंने पूछा कि क्यों बैठ रहे हो तो उसने कहा कि आई० ए० एस० को बेटर ट्रीटमेंट, डिगनिटी, स्टेट्स मिलता है। इसलिये मैं आई० ए० एस० बनना चाहता हूं। जब कि देश को जरूरत इंजीनियर्स की है। तो आप को टेक्नोक्रेट्स को पे ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स से हमेशा ज्यादा रखनी चाहिये और भी देशों में वह ज्यादा रक्खी गई है।

कुछ बातें त्रिपाठी जी ने कहीं कि ५ ऐडमिनिस्ट्रेटर्स बढ़ा दिये गये। कुछ कमिश्नर्स बढ़ा दिये गये, उनको कमिश्नर का ग्रेड दे दिया। तो जैसा मैंने शुरू में संकेत किया सरकार के पास एक ही जवाब है और है नहीं, और वह यह कि जो लोग सीनियर हो जाते हैं अगर हम उनको कमिश्नर का ग्रेड दे कर अकोमोडेट न करें तो वह गवर्नमेंट आफ इंडिया चले जायेंगे मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी अगर वे तशरीफ ले जायें। लेकिन यह सही है, और शुरू से मेरा मत रहा है कि कमिश्नर की पोस्ट सुपरफ्लुअस है, रिडन्डेंट है। लेकिन वह तो थी ही अब तो हर जगह सेक्रेटरी-कम-कमिश्नर बन गये हैं और १५ और नये बनने वाले हैं। शायद ही कोई ऐसा आई० ए० एस० अफसर होगा जिसको स्पेशल पे किसी न किसी बहाने से मिलती हो। कुछ लोगों को कमपेन्सेटरी अलाउन्स मिलता था, एक जमाना था जब सड़कें खराब थीं, उस जमाने से कुछ अलाउन्सेज चले आते हैं लेकिन उनको आज तक बन्द नहीं किया गया। ये कुछ चीजें जरूर ऐसी हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

कुछ बातें माननीय त्रिपाठी जी ने पढ़ी होंगी, जहां आप ने बहुत सी बातें कहीं, कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन के लिये पी० आर० सी० की तारीफ करनी चाहिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

भूल गया पेन्शन वाली बात, मैं माफी चाहता हूं। हम पेंशन वाले मामले में साथ हैं।

श्री नवल किशोर--

उन्होंने एक तो यह किया कि स्टेनोज के १० ग्रेड्स थे उन को घटा कर दो पर ले आये। एक ग्रेड है १२० से २५० रु० और दूसरा है १६० से ३०० रु० का। मोटर ड्राइवर्स के लिये ५ और ६ ग्रेड्स थे उन को भी घटा कर दो कर दिये गये हैं, एक तो हैवी गाड़ियों के लिये और एक लाइट गाड़ियों का। रूटीन क्लर्क्स और टाइपिस्ट वगैरह के १० ग्रेड्स थे इन को घटा कर एक कर दिया गया १०० से १८० रु० का। एडिशनल और असिस्टेंट कैशियर और ट्रेजरार के जहां पहले कई ग्रेड्स थे उनको हटा कर दो सेक्रेटेरियट में और दो सेक्रेटेरियट के बाहर कर दिये गये हैं। उनको स्पेशल पे वगैरह जो पहले डिफरेंट डिफरेंट थे उनका एक यूनिफाई रेट कर दिया गया है, जैसी सिक्योरिटी डिपोजिट होगी, उसी तरह से लोगों को ज्यादा से ज्यादा दिया जायगा। इस कमेटी ने एक अच्छा काम किया है जिसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिये।

पहले यह भी होता था कि टेम्पोरेरी और परमानेंट सर्विस में जो होते थे उनकी तनख्वाहों में अन्तर होता था, उसको सरकार ने समाप्त कर दिया है। इसी तरीके से जो आफिस सुपरिन्टेंडेंट्स वगैरह हैं, उनमें भी समिति ने काफी सामंजस्य पैदा किया है। जो स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट है उसमें पहले बीसों ग्रेड्स थे, उसको भी घटा कर कम कर दिया गया है। एक बात और की गई है कि पहले हायर स्केल में स्पेशल पे वगैरह दी जाती थी लेकिन

समिति की सिफारिश को सरकार ने मान लिया है या मान लेगी कि हायर स्केल वालों को स्पेशल पे देने के बजाय उनकी पे स्केल ही बढ़ाई जाय।

आपने एक बात और कही कि साढ़े १२ परसेंट इंजीनियर्स का जहां बढ़ाया वहां फारेस्ट वालों का १७ परसेंट कर दिया गया है। अब यह तो एनामली कमेटी के देखने की बात थी और शायद उन्होंने इसे देखा भी होगा।

एक बात और कमेटी ने जो अच्छी की है वह यह कि सिटी कम्पेनसेटरी एलाउन्स ५०० रु० माहवार पाने वाले कर्मचारियों के लिये ५ परसेंट कर दिया है और मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अच्छी चीज है। मकानों की बहुत दिक्कत है, अब सरकार १० परसेंट के ऊपर साढ़े ७ परसेंट तक किराये के लिये सबसिडाइज करेगी। मैं समझता हूं कि यह भी एक अच्छी चीज है। टी० ए० वगैरह तथा पेंशन की फैसिलिटीज में भी काफी सुधार करने की कोशिश की गयी है। कम पे पाने वालों के लिये मेडिकल व एजूकेशनल फैसिलिटीज देने के लिये भी कमेटी ने रिकमेंड किया है और मुझे उम्मीद है कि सरकार उसे मान लेगी।

एक काम एफिशिएंसी बार लगाने का किया गया है ताकि एफिशिएंसी के हिसाब से ही लोगों को प्रोमोशन दिया जा सके। मैं समझता हूं कि यह भी अपनी जगह पर एक अच्छी चीज है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

अगर हेड आफ दि डिपार्टमेंट उसका दुरुपयोग न करें।

श्री नवलकिशोर—

यह तो ह्यूमन नेचर पर डिपेंड करता है लेकिन मुझे उम्मीद है कि उसमें न्याय और इंसाफ किया जायगा।

एक बात और है। उनका यह भी कहना है कि जिस आदमी ने नये स्केल्स के लिये आप्शन किया है या जिसने नहीं भी किया है, उसके किसी हित के विरुद्ध कोई काम नहीं किया जायगा। कम्पेनसेटरी एलाउन्स व पेंशन सम्बन्धी जितनी फैसिलिटीज हैं वे सब उनको दी जायेंगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

इसका क्लेरिफिकेशन हो जाय तो अच्छा है क्योंकि जी० ओ० दूसरी तरह का गया है, जितना कि मैंने पढ़ा है।

श्री नवलकिशोर—

एक बात मुझे और कहनी है कि सरकार ने इस बात की घोषणा की कि १ हजार से ऊपर पाने वालों के स्केल में कोई चेंज नहीं किया जायगा। पन्त जी के जमाने की बात है, जब उनसे १ हजार से ऊपर पाने वालों की तनख्वाह कम करने पर जोर दिया गया तो पंतजी ने कहा कि अगर आप की बात मानली जाय तो ५ लाख की बचत होगी। और साढ़े ३ करोड़ रुपया खर्च बढ़ जायेगा। क्योंकि यदि आप आंकड़े देखें तब उत्तर प्रदेश में १ हजार से ऊपर पाने वाले आदमियों की संख्या ०.१२ परसेंट है यानी इसका मतलब यह हुआ कि १० हजार में १२। गवर्नमेन्ट आफ इंडिया में यह .३ परसेंट है। वेस्ट बंगाल में .२६ परसेंट है और महाराष्ट्र में .१७ परसेंट है। इस तरह से उत्तर प्रदेश में १ हजार से ज्यादा पाने वालों की संख्या बहुत कम है।

ढाई यूनिट की बात जो उन्होंने एक परिवार की कर रखी है और उसके लिये मिनिमम ग्रेड ५५ प्लस १५–७० रुपया का रखा है, और भर्ती की उम्र १८ साल है इसके माने यह हुए कि १८ साल तक या तो शादी होगी ही नहीं और यदि होगी भी केवल शादी ही हो पाएगी।

[श्री नवलकिशोर]

और हमारे त्रिपाठी जी की अभी तक शादी नहीं हुई है, इसके माने यह हुए कि १८ साल के कम का कोई आदमी आम तौर से शादी नहीं करेगा। कम से कम इतनी बात तो मानेंगे ही। इस पर वह तैयार हों तो आज शाम को इन्तजाम करा सकता हूं और कोई दिक्कत नहीं होगी और जो वायदा मैं कर रहा हूं उसे निभाऊंगा। उम्मीद यह की जाती है कि १८ साल से कम में शादी नहीं होगी। बहुत जल्दी की तो एक आध बच्चा होगा। यह जो ढाई यूनिट का आधार है बहुत ही साइंटिफिक है, इकोनामिस्ट से पूछ कर रक्खा गया है। कानपुर में जो वर्किंग क्लास का इंडेक्स ४६–४७ में था वह ३३८.३३ था। और कम से कम तनख्वाह २५ रुपया थी। सन् १९६५ में यह इंडेक्स ६६३ हो गया और तनख्वाह ७० रुपया हो गई। अक्तूबर, १९६५ में ७४२ हो गया और फरवरी १९६६ में ७०८ हो गया। इस कमी बढ़ी के लिये यह किया गया है कि जो डीएरनेस एलाउन्स है वह जैसे प्राइस इंडेक्स बढ़ता जाय उसी प्रकार डीयरनेस एलाउन्स के एडजस्टमेंट की बात उसमें है।

एक बात और भी स्टडी करके मैंने देखी कि जो मिनिमम पे है वह और स्टेट्स के मुकाबले में एक आध को छोड़ कर काफी मुनासिब है। डीयरनेस की बात छोड़ दी जाय। उससे स्टेट्स और सेंटर में बहुत अन्तर है, वैसे यू० पी० का सेक्रेटेरियेट हाइयेस्ट पेड सेक्रेटेरियेट है। जो पिछली कमेटी बैठी थी उसने सेक्रेटेरियेट को ज्यादा फायदा पहुंचाया था बमुकाबले उनके जो जिलों में काम करते हैं। और फिर इसका नाम भी आप देखें पे रेशनलाइजेशन कमेटी है, कुछ को बढ़ायेगी और कुछ को घटायेगी। उस दृष्टि से देखेंगे तो उन्होंने काम ठीक ही किया है।

एक बात माधव प्रसाद जी ने कही कि कारपोरेशन के मकान ३०, ३५ रुपये किराये के आई० ए० एस० आफिसर्स को दिये गये हैं। मुझे पता नहीं दिये गये हैं या नहीं. . . .

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैंने कहा कि ऐसा पता चला कि कम किराये पर कारपोरेशन से दिये गये हैं।

श्री नवल किशोर—

अगर कम किराये के मकान दिये गये हैं तो उस नीति को मैं हर्गिज स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। जो कम तनख्वाह के कर्मचारी हैं उनको पहले मिलना चाहिये लेकिन ऐसा हो जाता है कि कुछ न कुछ फेसिलिटीज इन लोगों को मिल ही जाती हैं।

एक चर्चा हुई थी फियेट गाड़ियों की सदन में। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। मैं जानता हूं कि ऐसे हमारे यहां सीनियर आफिसर्स हैं जिन्होंने अपने पुराने माडल्स ऊंची कीमतों पर बेच दिये और नई फीयट ले लीं और इस तरह की चीजें जाने या अनजाने होती हैं और उसका लोग फायदा उठा लेते हैं मगर उसके लिये यह सदन बैठा हुआ है चेकिंग करने के लिये, सरकार को यह सब देखना चाहिये।

जहां तक यह प्रश्न है कि पे कमेटी और गठित की जाय, मैं त्रिपाठी जी के सुझाव से कतई सहमत नहीं हूं। एक बला खत्म नहीं हुई कि एक बला और थोप दी जाये। २३ करोड़ का खर्चा इससे इस साल पड़ने वाला है और अगले ५ साल में ११७ करोड़ का एडीशनल खर्चा बैठेगा जिसमें से ८३ करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार देगी और ३४ करोड़ का खर्चा आगे चलकर हमको उठाना है। तो यह खर्चा कहीं न कहीं से तो आयेगा। उसके लिये आपको टैक्सेशन करना पड़ेगा क्योंकि हजार से ऊपर वालों को आप काटेंगे भी तो .१२ परसेंट से कुछ ज्यादा आप काट नहीं पायेंगे। और जब टैक्सेशन बढ़ेगा तो भाई त्रिपाठी जी उसका डट कर विरोध करेंगे। तो दो बातें हैं। आप चाहते हैं कि लोगों की तनख्वाह बढ़े, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपको एक इंटीग्रेटेड पिक्चर सामने रखनी पड़ेगी, प्रदेश की साढ़े ७ करोड़ जनता की पिक्चर सामने रखनी पड़ेगी। यह भी याद रखना पड़ेगा कि जो किसान और मजदूर खेत और फैक्टरी में काम करते हैं, जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं, जो टीचर

हैं, इन सबको जब तक आपके सामने इंटीग्रेटेड पिक्चर नहीं होगी तब तक केवल एक वर्ग की आप तनख्वाह बढ़ाते चले जायं उससे हित होने वाला नहीं है । जो तीन प्लान्स हमारे प्रदेश में चली उनकी इवैलुएशन कमेटी की रिपोर्ट्स से यह मालूम हुआ कि हमने प्रोडक्टिव चीजों के मुकाबले अनप्रोडक्टिव चीजों में ज्यादा खर्च किया और जिन प्रोडक्टिव चीजों में भी खर्च किया वह उन चीजों में किया जिसका इमीडियेट रिटर्न नहीं मिला । इसका नतीजा यह हुआ कि इन्फ्लेशन बढ़ गया और जो हमारा रुपया था उसकी कीमत घटती चली गयी । मगर मैं इससे इत्तफाक करता हूं कि इन तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी जो न्यायसंगत बातें कर्मचारियों की हों उनकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये । मैं यह भी महसूस करता हूं कि सेक्रेटेरियेट के कर्मचारी वर्ग के अन्दर जो अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है उसकी तरफ भी हमारा और विरोधी पक्ष का ध्यान जाना चाहिये । अगर हम हर चीज को राजनीति की ही दृष्टि से देखेंगे तो हो सकता है कि उससे इमीडियेटली कुछ फायदा पहुंच जाय लेकिन उससे हम राजनीति को कुछ फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं । ये जो बड़े बड़े डेमान्स्ट्रेशन होते हैं ये जहां इस बात का सबूत हैं कि लोगों में असन्तोष है वहां यह भी सही है कि इन डेमान्स्ट्रेशनस को कुछ पार्टीज की तरफ से हवा मिलती है और वह कुछ प्रोत्साहन भी देते हैं । मैं सौ फी सदी उन साथियों के साथ हूं जो महंगाई के अन्दर कराहते हैं मगर यह भी चाहता हूं कि उनको अपनी मांगों को पेश करते हुये जो प्रदेश की वास्तविक स्थिति है उसको भी अपने ध्यान में रखना चाहिये तभी हम शायद कुछ कर पायेंगे ।

मुझे और ज्यादा नहीं कहना है । इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं ।

*श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, वेतन अभिनवीकरण समिति की रपट आने के बाद सरकारी कर्मचारियों में एक असन्तोष की लहर दौड़ गयी है । उसके सबूत में उनके प्रदर्शन, अनशन और पर्चों का बंटवारा काफी प्रमाण हैं । उनके असन्तोष का कारण बहुत बड़ा है । जो यह कमेटी बनी थी उसको देखने से यह साबित हो जाता है कि निश्चित तौर पर ये लोग असन्तोषकारी रपट ही दे सकते हैं । आप देखेंगे कि इसमें एक आदमी तो ऐसा है जो जीवन से निराश है । उनका नाम है अच्युत पटवर्धन । वह अपने इस जीवन से ही निराश हैं । वह दुनिया के कार्यकलाप को छोड़कर सन्यासी बन बैठे हैं । वह बीबी बच्चों में रहने वालों के बारे में क्या सोच सकते हैं । जो इस कमेटी के चेयरमैन हैं वह गया के भिखारी हैं, अवकाश प्राप्त जज हैं । उनकी तो यही ख्वाहिश रहती है कि किसी आयोग में ले लिये जायं ।

श्री उपाध्यक्ष—

जो उसके मेम्बर हैं वे यहां सदन में तो हैं नहीं कि अपने को डिफेन्ड करें, इसलिये उनकी आलोचना न करें ।

श्री चन्द्रबली सिंह—

मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं । आलोचना कर रहा हूं आयोग बनाने के पीछे जो मनोवृत्ति है उसकी । इस प्रवृत्ति से जो आयोग बना उससे निश्चित तौर पर असन्तोषकारी प्रवृत्ति ही आ सकती थी । सचिवालय को चले जाइये । छोटे कर्मचारी उन पाखाने और पेशाबघरों में नहीं जा सकते हैं जिनमें बड़े अधिकारी जाते हैं । अधिकारियों के लिये पाखाने और पेशाबघर अलग होते हैं और छोटे छोटे कर्मचारियों के लिये अलग होते हैं । जिनकी ऐसी मनोवृत्ति है वह अच्छी रिपोर्ट नहीं दे सकते थे और उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते थे । होम गार्ड्स के जो सिपाही हैं उनकी तनख्वाह ३०–१–४५ से ६०–१–८० कर दी गई है । अगर ८० रुपये इन अधिकारियों को दे दिये जायं तो इनकी बिटिया तक का खाना नहीं चल सकता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चन्द्रबली सिंह]

है । वह अच्छी रिपोर्ट दे सकते थे अगर परिस्थिति दूसरी होती, अगर दो तरह के प्राइमरी स्कूल न होते तो यह अच्छी रिपोर्ट दे सकते थे । आज अधिकारियों के लड़के दूसरे स्कूलों में जाते हैं और छोटे कर्मचारियों के दूसरे स्कूलों में जाते हैं । अगर दोनों के बच्चे एक ही स्कूल में जाते तो कभी उनकी बिटिया से उनके किसी बच्चे से मुहब्बत होती और उसके दौरान में वे उसके घर जाते तो उनकी गरीबी का इजहार उनके सामने होता और उनके ऊपर असर पड़ता । इसीलिये यह रिपोर्ट अच्छी नहीं है ।

आजकल तनख्वाहें तो बढ़ रही हैं गधे की चाल से और महंगाई बढ़ रही है घोड़े की चाल से जिसका कोई मेल नहीं है । वेतन अभिनवीकरण समिति को महंगाई को भी ध्यान में रखना चाहिये था । जब इसकी रिपोर्ट बनी उस समय यदि दाम का सवाल भी उसके सामने रहता तो नतीजा अच्छा निकलता । जब यह समिति बनी तो गांव के लोग घबरा गये क्योंकि उपभोक्ताओं को अन्न सस्ती कीमत पर मिलता है और दूसरी चीजों के दाम बहुत ज्यादा हैं यानी ज्यादा महंगी मिलेंगी । ऐसी सूरत में रिपोर्ट आयेगी तो छोटे कर्मचारियों को अच्छी तनख्वाह नहीं मिल सकती है ।

जहां तक वेतनमानों के कम करने का सवाल है आप देखेंगे कि जैसे लेखपाल, ग्रामसेवक कामदार और पंचायत सेक्रेटरी वगैरा हैं उनकी तनख्वाह समानता में लाये जाने की कोशिश की जाती तो काम अच्छा होता । लेकिन पंचायत सेक्रेटरी का कहीं कोई जिक्र नहीं है । न वह सरकारी कर्मचारी है और न गैर सरकारी कर्मचारी है । ग्राम सेवक एक भी रजिस्टर नहीं लिखता है जब कि पंचायत सेक्रेटरी ३६ रजिस्टर्स लिखता है । एक एक पंचायत सेक्रेटरी को १०--१० गांव मिले हुये हैं । वह आज भी अस्थायी कर्मचारी है । इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है जो सरकार के विकास कार्यों की असली बुनियाद है । वेतन समिति की रिपोर्ट में बड़ा गड़बड़झाला हुआ है । एक महकमा विकास को ले लीजिये । यह महकमा इस रिपोर्ट से ओझापायर हो गया है । उपाध्यक्ष महोदय, शायद आप इस शब्द को समझे नहीं होंगे । जैसे एक लता फैली हुई है उसकी जड़ को रहने दिया जाय लेकिन एक दूसरे में उलझा दिया जाय । इसी तरह से विकास विभाग में हो गया है । आप देख लीजिये कि तीन तरह के कर्मचारी हैं । एक तो सैनीटरी इंस्पेक्टर है । दूसरा है पशुपालन विभाग का ए० डी० ओ० और तीसरा प्रगति सहायक । इन तीनों का वेतन ग्राम सेवक के बराबर कर दिया गया है दूसरी तरफ अधिकारी जैसा दरजा भी है । जब आप समाजवाद की बात न करते हों साथ ही अधिकारियों की तनख्वाह छोटे अधिकारियों के बराबर कर दें और उससे आप विकास चाहते हों, यह कैसे सम्भव हो सकता है ? पशुपालन विभाग के ए० डी० ओ० दो तरह के हैं । एक की तनख्वाह १२०–२५० पहले थी अब १६०–२८० पायेगा । एक की ७५–१२० थी । उसका अधिक से अधिक २२० रह गया है । इस तरह से एक ही काम करने वालों को दो तरह के अधिकारी बना रहे हैं जिसका नतीजा यह है कि पशुपालन विभाग जिसकी तरफ माननीय कृषि मंत्री और खाद्य मंत्री, सभी का ध्यान है, उसमें गड़बड़ियां हो रही हैं और उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है । साथ ही प्रगति सहायक को आपने कह दिया है कि छटी छटाई रिपोर्ट दो । गलत रिपोर्ट आ रही हैं । एक कुआं खोदा गया । दस विभागों ने उसी की रिपोर्ट दे दी दस कुएं हो गये । उसी तरह से एक खाद का गड्ढा खोदा गया, उसकी दस विभागों ने रिपोर्ट दे दी दस कुयें हो गये । प्रगति सहायक इसलिये रखा गया है कि वह सही रिपोर्ट दे ताकि विकास की सही सूचना सरकार को मिले । उसको ग्राम सेवक के नीचे दाब दिया है । सैनिटरी इन्सपेक्टर और प्रगति सहायक जहां से पैदा होते हैं वहीं मर जाते हैं । दोनों को कोई तरक्की नहीं है । जिस वेतन अभिनवीकरण समिति ने इस मुहकमे को इस तरह से छोड़ दिया है कि जिसके मन में प्रगति की आशा न हो वह कैसे ठीक काम कर सकता है ? औरों को छोड़ दीजिये हमारे मार्शल साहब को ही इस समिति ने उड़ा दिया है । मार्शल साहब विशेष वेतन पाते हैं । उनका विशेष वेतन ही काट दिया गया । दूसरे विशेष वेतन क्यों नहीं काटे गये ? पता नहीं उन्होंने क्या गुनाह कर दिया ।

आपका वह काम करते हैं। हम बड़ी गड़बड़ करते हैं तो हमारी काटते। लेकिन वह आप का काम करें और उनका ४० रुपये का विशेष वेतन काट दिया।

मैं आज खास तौर से कर्मचारियों से भी कहता हूं कि क्या अलग अलग असोशियेशन बना रखी है। पूरे कर्मचारियों का एक गोल बनाओ। बाहर भी जनता है। जो जीवन की जरूरी चीजें उनका दाम सरकार चार पांच गुना ले रही है उसका नतीजा है कि तनख्वाहों में गड़बड़ियां हैं। आज सबसे जरूरी है कि दाम के सवाल पर विचार करो। कड़ुवा तेल, मिट्टी का तेल, चीनी, गल्ला, यह जो जीवन की जरूरी चीजें हैं इनका दाम लागत के ड्योढ़े से ज्यादा न हो। यह नीति बनायी जाय तब जाकर अपने वर्तमान वेतनों में उनका काम चल सकता है। लेकिन आज उसका उल्टा हो रहा है। बड़े बड़े घरानों के लोगों की बीबियां और लड़कियां जो रेशमी कपड़ा पहनती हैं और पहनकर चलती हैं उनका दाम कम रखा गया है और मोटे कपड़े का दाम जो मध्यम और गरीब वर्ग के लोग पहनते हैं, ज्यादा रखा गया है, उनका दाम बढ़ा है। वेतन अभिनवीकरण समिति ने जो रिपोर्ट दी है वह ऐसे ही लोगों की ऐश और इशरत को देख कर उसने अपनी रिपोर्ट दी है और गरीबों की तरफ उसने कोई ध्यान नहीं दिया है। बड़ी बड़ी तनख्वाह पाने वालों का अधिक लाभ पहुंचाया गया है और कम वेतन पाने वालों को नाम मात्र का लाभ पहुंचा है। यही नहीं कितनों का और कम कर दिया गया है। जो लोग ऐश इशरत का इस्तेमाल करते हैं उनकी जरूरियातों को ध्यान में रख कर कमेटी ने अपनी सिफारिश दी है। क्योंकि जो जरूरियात की चीजें है अनाज, कपड़ा, ईंधन आदि उसके मूल्य समाज के सभी वर्गों के लिये बढ़े हैं, केवल एक अफसर तबके के लोगों के लिये नहीं। सब उल्टा हो रहा है—अन्धा बांटे रेवड़ी फिर फिर आपन को दे। वही कहावत चरितार्थ हो रही है, क्योंकि कमेटी में अफसर लोग ही थे, जनता के लोग नहीं, मध्यम वर्ग के लोग नहीं। कहने को तो बनारसीदास जी राज कर रहे हैं, लेकिन यह तो नाम को हैं। राज्य कर रहे हैं दास साहब और उन्हीं के लोगों ने अपने लोगों के लाभ के लिये सिफारिश की है।

एक आफिसर भी इसमें मारा जा रहा है। और वह है पुलिस लाइन का इन्सपेक्टर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लाइन इन्सपेक्टर को अच्छे अच्छे बंगले पहले से ही मिलते चले आ रहे हैं। इसका कारण है उसकी जिम्मेदारी और उसका काम। लेकिन जब जब कर्मचारियों के सम्बन्ध में विचार किया गया वह छोड़ दिया गया है और वही इस बार भी हुआ है। पता नहीं लाइन पर और एक किनारे पड़े रहने के कारण ऐसा होता रहा है। मैं समझता हूं कि ड्यूटी लगाने का जो उनका कार्य है, उस कार्य में इससे बाधा पैदा हो सकती है, उन्हें सन्तुष्ट रखा जाना चाहिये, उनकी अवहेलना नहीं होनी चाहिये। पुलिस कप्तान के ऊपर भी उनका अधिकार है, लेकिन पुलिस कप्तान घूस, रिश्वत और डकैती डलवाकर अपना फायदा कर लेते हैं, लेकिन वह जो रचनात्मक काम में लगा रहता है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। श्रीमन्, एक कर्मचारी और छूट गया—सेंध का जो रखवाला है यानी चौकीदार उसकी तनख्वाह अब भी पांच रुपया ही रखी गयी है और जो कलम से रक्षा करने वाला केवल काम करता है—आई० जी० उसकी तनख्वाह हजारों रुपये है। कलम से रक्षा करने की तनख्वाह हजार रुपये और मौके पर कष्ट उठाकर रक्षा करने वाले की तनख्वाह पांच रुपये, तो इस तरह से कैसे जनता के जान माल की रक्षा हो सकती है?

तो यह सारी सिफारिशें कर्मचारियों के असन्तोष को बनाये रखने के लिये प्रर्याप्त हैं, सारे कर्मचारियों को चाहिये कि वे एक साथ इकट्ठा हों और सरकार के खिलाफ बवेला करें और यदि वे नहीं कर सकते हैं तो वे अपनी बीबियों के सुपुर्द यह काम करें, वे इसे करें।

वेतन अभिनवीकरण समिति का एक नया आयोग स्थापित किया जाए और उसमें इस सदन के लोग हों तथा समाज के चारों वर्गों के लोगों के बीच से हर वर्ग का एक एक प्रतिनिधि भी उसमें रहे और वह आयोग आवश्यक वस्तुओं के दाम भी निश्चित करे। माननीय उपाध्यक्ष

[श्री चन्द्रबली सिंह]

महोदय, अभी नवलकिशोर जी ने कहा कि तनख्वाहें बढ़ाने के मार्ग में हमारी आमदनी का सवाल आ जाता है। इसी पैसे से हो जायगा। प्राथमरी स्कूल का हेडमास्टर जो मैनेजर भी है उसकी और मास्टरों की तनख्वाह में ४ और ५ रुपये का अन्तर है उसी प्रकार छोटे कर्मचारियों और बड़े-बड़े अधिकारियों की तनख्वाहों में थोड़ा सा अन्तर रखा जाय तो इतने ही पैसे में सब कुछ हो जायगा। ओहदा ही क्या कम है आपको मिला हुआ है। गांधी जी के तो आप वारिस हैं। गांधी जी ने कहा था जो झाड़ू देने वाले का और कलेक्टर का काम एक है। झाड़ू देने वाला अपना काम छोड़ दे तो समाज कैसे चलेगा, और कलेक्टर अपना काम छोड़ दे तो समाज के कामों में व्यतिरेक हो जायगा इसलिये दोनों का काम एक है एक दूसरे के पूरक हैं, भगवान में अपार निष्ठा से काम करें तो फिर उनमें कोई अन्तर नहीं है। तो पहले तो यही क्या कम है कि आपको ओहदा मिला हुआ है ? मैं कहता हूं इन अधिकारियों के बारे में कि आप और हम माननीय सदस्य इन रास्तों से चले जाय कोई चपरासी उठ कर नहीं खड़ा होगा लेकिन मैंने एक दिन देखा कि एक स्त्री उधर से निकली तो सब चपरासी उठकर खड़े हो गये। पूछा तो पता चला कि वह छोटकंथा सेक्रेटरी हैं। तो इस प्रकार के आदेश--यह क्या असभ्यता है। होना तो यह चाहिये था कि कोई उस रास्ते से चला जाय तो अपना अपना काम करें लेकिन क्या असभ्यता का प्रदर्शन इस सचिवालय में हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

इस समिति की रिपोर्ट में तो वेतन की बात है, चपरासी के खड़े होने न होने से क्या सम्बन्ध है ?

श्री चन्द्रबली सिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस विचारधारा के सम्बन्ध में निवेदन कर रहा हूं जिसके कारण यह सब कष्ट है। यह सब बातें रोब रुआब से ताल्लुक रखती हैं। रोब रुआब के कारण ही आपने चौकीदार को छोड़ दिया है, ग्रामसेवक को तो खैर आप समझने लगे हैं कि वोट में काम आयेंगे इसलिये अब उनको थोड़ा सा पुश करने लगे हैं लेकिन जो छोटे-छोटे कर्मचारी हैं उनको बैक आउट कर दिया है। मैं जनता से कहूंगा कि बगावत करने के लिये खड़े हो जाओ। इस सरकार से किसी का कोई लाभ हो नहीं सकता। जब तक कल्याणकारी दाम नहीं तय होंगे तब तक ये सरकारी कर्मचारी अनशन तो करते रहेंगे लेकिन अनशन का नतीजा तभी निकलेगा जब एक साथ--बारी-बारी से नहीं उठकर खड़े होंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे कि वह ठीक रास्ते पर आ जाये। साथ ही सरकार से कहता हूं कि एक नयी वेतन अभिनवीकरण समिति का संतठन करो जिसमें कर्मचारियों के चार विभागों के लिये चार प्रतिनिधि हों और इस सदन की वह कमेटी हो, वहां साक्ष्य हो और निर्णय का पूर्ण अधिकार इस सदन को हो तब वास्तव में समजवादी दिशा में हम प्रगति करेंगे। इन शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करने के पूर्व मैं यह कहता हूं कि सेनिटरी इंस्पेक्टरों और प्रगति सहायकों के बारे में जो वेतन अभिनवीकरण समिति ने रखा है उसे तो मान लीजिये, उसको आपने छोड़ दिया है, वह ठीक कीजिये। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

(श्री ब्रजभूषण शरण का नाम पुकारे जाने पर)

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)--

यह क्या, आप गरीब आदमियों के प्रतिनिधियों को तो बुलाते नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जाइये हरीसिंह जी।

श्री बृजभूषण शरण (जिला देहरादून) —

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत थोड़ा समय लूंगा, बाकी समय आप किसी को दीजियेगा। इस वेतन अभिनवीकरण समिति के प्रतिवेदन पर आज जो चर्चा हो रही है उस पर मैंने माननीय सदस्यों के भाषण को बड़े गौर से सुना सबसे पहले तो मुझे 'अभिनवीकरण' शब्द से कुछ समझ में नहीं आया। अंग्रेजी में इस कमेटी का नाम पे रेशनलाइजेशन कमेटी रखा गया था। इस वेतन अभिनवीकरण में रेशनलाइजेशन क्या हुआ? इतनी बड़ी पुस्तिका हम लोगों को पढ़ने के लिये दी गयी। इसमें तो केवल पे रवीजन हुआ है। अगर रेशनलाइजेशन हुआ होता तो यह विचार सामने आता कि कर्मचारियों के चार वर्ग हैं और हर वर्ग के लिये यह वेतन निर्धारित है। चतुर्थ वर्ग के लिये ६०–१२० का वेतन रहता, द्वितीय के लिये १२०–२६०, तृतीय वर्ग के लिये २६०–५०० और प्रथम वर्ग के लिये ५००–१२५० का ग्रेड नियत होता। इस पुस्तिका को पढ़ने से तो मालूम होता है कि विभिन्न कर्मचारियों के लिये वेतन निर्धारित किया गया है और इसलिये इसे पे फिक्सेशन या पे रिवीजन कमेटी कहना चाहिये। रेशनलाइजेशन तो जब होता जब प्राविंशियल सर्विस के हर कर्मचारी के लिये एक ही वेतत नियत हो जाता भले ही वह मैजिस्ट्रेट होता अथवा पुलिस अधिकारी। लेकिन इसमें तो एक-एक इंडिविजुअल कैटेगेरी को लेकर उसका वेतन निर्धारित किया गया है। तो मेरा निवेदन यह है कि इसमें पे रेशनलाइजेशन का कोई काम नहीं हुआ है।

कुछ ऐसे निर्णय भी हुए हैं जिनके बारे में श्री चन्द्रबलीसिंह तथा माननीय नेता विरोधी दल ने भी कहा जिनसे कुछ अजीब उलट पलट हो गया है। एक सेनीटरी इंस्पेक्टर की मिसाल दूं। उसका काम इतनी जिम्मेवारी का है कि अभी सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने एक विधेयक पास किया है जिसके अनुसार उसके चालान करने पर ६ महीने से कम की सजा न होगी लेकिन उन लोगों को रखा गया है चपरासियों की कैटेगरी में। पहले जो विलेज लेविल वर्कर थे जिनका काम अच्छा था उनको सेनीटरी इंस्पेक्टर बना दिया गया था और अब उनकी तनख्वाह दोनों की बराबर कर दी गयी है। तो उसे तरक्की करने का नतीजा क्या मिला? पे रेशनलाइजेशन कमेटी ने उनके बारे में कुछ और किया था। उन्होंने आवेदन-पत्र दिया था कि उनकी तनख्वाह बढ़ायी जानी चाहिये लेकिन एनामली कमेटी ने तो बिलकुल ही चौपट कर दिया। पता नहीं शायद वह उनसे कुछ नाराज थी कि जो उनको विलेज लेविल वर्कर के लेविल पर ले आयी, इसके साथ ही यह भी है कि वे दस विलेज लेबिल वर्कर्स के काम को सुपरवाइज करेंगे। जब उनका ग्रेड एक ही है तो उनकी बात सुनेगा कौन? इस तरह की बातें कई माननीय सदस्यों ने कही हैं और मैं महसूस करता हूं कि कुछ लोगों के साथ बेहद ज्यादती हो गई है। पुलिस के लिये एक रिआर्गनाइजेशन कमीशन कुछ दिन पहले मुकर्रर हुआ था लेकिन उसने कुछ लोगों के मामलों पर गौर नहीं किया और उनके मामले इस पे रेशनलाइजेशन कमेटी ने भी नहीं लिये। पब्लिक प्रासीक्यूटर्स का मामला ऐसा ही है। रोज यहां गृह मंत्री जी पर दोषारोपण होते हैं कि आपके चालान कामयाब नहीं होते। वह काम बड़ी जिम्मेवारी का है लेकिन पुलिस रिआर्गनाइजेशन कमीशन ने उनका कोई पे रिवीजन नहीं किया और न कोई पे रेशनालाइजेशन कमेटी द्वारा किया गया। वह ऐसी रही जैसे दो मामों के बीच में कोई भाँजा रहता है, एक समझता है उसने खिला दिया होगा, दूसरा समझता है उसने खिला दिया होगा। मैं समझता हूं इसके लिये दूसरा कमीशन नियुक्त होना चाहिये जो इन सब बातों की जांच करे जो वास्तव में रेशनालाइजेशन का काम करे। डेढ़ साल तक इस कमेटी ने मेहनत की मगर उससे कोई फायदा न हो सका। इस कमेटी ने तो हर कर्मचारी का एक पे स्केल मुकर्रर कर दिया। उससे कर्मचारियों को बड़ा असन्तोष है। मैं कहता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी ऐसे रूप में उन कर्मचारियों के बीच में जायं कि पहचाने न जा सकें तो उनको मालूम होगा कि आज जगह जगह सरकार का क्रीटीसिज्म हो रहा है। इन्जीनियरों के लिये कहा जता है कि वे देश के निर्माता हैं मगर जब वेतन देने का समय आता है तो उनके साथ दूसरा ही व्यवहार किया जाता है, उनके ऊपर नान टेक्नीकल आदमी को बैठा दिया जाता है।

[श्री बृजभूषण शरण]

यही नहीं, मान्यवर, जुडीशियल विभाग में भी बड़ा असन्तोष लोगों को है। उनके साथ सौतेले बच्चों जैसा व्यवहार किया गया है। कलेक्टोरेट के कर्मचारी आज कहते हैं कि साहब अगर हम रिश्वत न लें तो इतने में कैसे गुजारा करें। उपाध्यक्ष महोदय, आज महंगाई बेहद बढ़ गयी है। यह भी सही है कि सरकार के पास साधनों की कमी है। मैं यह नहीं कहता कि सब की तनख्वाह ५०० रुपये या हजार रुपये कर दी जाय। यह भी सही है कि आज टैक्स अपनी चरमसीमा पर पहुंच गये हैं। वह नहीं बढ़ाये जा सकते। मगर इस सब का एक हल उपाध्यक्ष महोदय है। मानव जाति जब से पैदा हुई है उसमें यह गुण रहा है कि वह एक दूसरे से मुकाबला करती है। दो आदमी हैं, दोनों के पास बराबर की जमीन है, दोनों ही अपनी अपनी जमीन में झोपड़ी डाले हुये हैं। अब अगर सरकार एक की जमीन पर पक्का मकान बना दे और दूसरे के साथ कुछ न करे तो दूसरे को उससे असन्तोष होगा ही। दूसरे के साथ यह अन्याय होगा। आज आप एक वर्ग विशेष के साथ बहुत ज्यादा फेवर करते हैं, हर तरह की रिआयतें देते हैं जब कि दूसरे वर्ग को बिलकुल नजरन्दाज किये हुये हैं। इसी से कर्मचारियों में असन्तोष की भावना पैदा होती है। सरकारी कर्मचारी नासमझ नहीं हैं मगर जब इस तरह की बातें देखते हैं तो उनमें असन्तोष होता है। जिनको सचमुच एक बार मुश्किल से खाना मिलता है उनकी ओर आज आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनके लिये जब भी प्रश्न आता है सरकार कहती है फाइनेन्सेस नहीं हैं। इसका इलाज यही था कि आप एक ऐसी कमेटी बनाते जिसमें द्वितीय और तृतीय श्रेणी के लोगों का भी कोई प्रतिनिधि होता। आपने जो कमेटी बनायी उसमें उनका कोई प्रतिनिधि नहीं रखा। मैं सरकार से बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि जो कुछ हो गया वह तो हो गया कर्मचारी वर्ग में असन्तोष और आगे न बढ़ने पाये उनको सन्तोष दिलाने के लिये और उनके साथ न्याय करने के लिये आप एक ऐसे कमीशन की नियुक्ति करें जो दुबारा इन सब बातों पर विचार करे और सचमुच में सर्विसेज को रेशनालाइज करके सर्विसेज को ४ भागों में बांट दे।

आज हर आदमी पहले आई० ए० एस० में जाने की कोशिश करता है, पी० सी० एस० में जाने की कोशिश करता है, जब उसमें नहीं आता तब वह इंजीनियरिंग आदि की ओर बढ़ता है। क्योंकि इस समय शासन में केवल आई० ए० एस०, पी० सी० एस० का ही बोलबाला है। यदि चार श्रेणी हो, जायंगी तो जो सेन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना चाहें वहां जायं या दूसरी सेन्ट्रल सर्विस पसन्द करें वहां जायं इसी तरह से प्राविंशियल में जो मेडिकल में जाना चाहेगा वह मेडिकल में जायेगा, जो डिप्टी कलेक्टर बनना चाहेगा वह डिप्टी कलेक्टर बनेगा। मगर आज यह है कि कोई आदमी जब आखिरी मौका रह जाता है तो आई० ए० एस०, फिर आई० पी० एस० के न मिलने पर फिर इंजीनियरिंग में बैठने की कोशिश करता है। अगर चार श्रेणियों में विभाजित कर देंगे तो टेलेन्ट का डिस्बर्सल बराबर हो जायेगा। मेरा निवेदन यह है कि यह माननीय सदन सरकार को यह सलाह दे कि दुबारा से पे रेशनेलाइजेशन कमेटी बनाई जाय जिसमें सचमुच पे रेशनेलाईजेशन का काम किया जाय।

*श्री रियाजत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, जब इस सदन के अन्दर इस पे कमेटी के लिये यह कहा जा रहा था कि पे कमीशन मुकर्रर किया जाय ताकि उत्तर प्रदेश के सारे कर्मचारियों के बारे में दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रख कर उनकी तनख्वाहों को बढ़ाने का मसला गौर किया जाय और उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जायं, उनके अलाउन्स चाहे वे हाउस अलाउन्स हों, ट्रेवलिंग अलाउन्स हों, इन सारी चीजों को ध्यान में रख कर इस सदन में एक दफा बहस हुई थी। तो बजाय पे कमीशन के पे कमेटी मुकर्रर हुई। तो ऐसी स्थिति में कि इस पे कमेटी के फैसले के बाद उधर दूसरी तरफ भुवनेश्वर के अन्दर कांग्रेस ने एक रेजोलूशन पास किया जिससे यह मालूम हुआ कि कांग्रेस समाजवाद की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तरफ और तेजी से बढ़ना चाहती है। उस रेजोलूशन से हमने सोचा कि उत्तर प्रदेश में एक पे कमेटी भी मुकर्रर की गई है जो वहां के कर्मचारियों की तनख्वाहों के बारे में कुछ गौर करेगी। तो आशा बंधी कि अब यहां के कर्मचारिवर्ग को कुछ न कुछ मिलेगा। मैं समझता था कि यहां इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं होगा जिसको एक सौ रुपये से कम तनख्वाह मिले और कोई कर्मचारी ऐसा नहीं होगा जिसको एक हजार से अधिक तनख्वाह मिले। लेकिन जब इसके क्लासिफिकेशन को देखा तब यह देखने में आया कि अब भी बहुत बड़ी तादाद ऐसे कर्मचारियों की है जिनकी तनख्वाह ६०, ८० और सौ रुपये से कम की हैं। मुझे अफसोस हुआ यह देख कर जब इस कमेटी के अन्दर चार क्लासेज की गई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एण्ड फोर्थ—तो क्यों नहीं उन ग्रेडों को १०० से कम कोई कर्मचारी न रख कर १०० से २५० तक एक, २५० से ५०० तक दूसरा, २५० से ७५० तक तीसरा और ७५० से ऊपर वालों को चाहे कितने ही तक ले जाते, हमें शिकायत नहीं होती। हमारे सामने मसला यह है कि एक गरीब कर्मचारी जिसे सौ या सौ से कम तनख्वाह मिलती है उस पर दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई का क्या असर हो रहा है और उसके खाने के लिये अनाज की कीमत, गल्ले की कीमत और जो आवश्यक जीवन की चीजें हैं, उनकी कीमत कितनी बढ़ती चली जा रही हैं। जब उसको सामने रखते हैं तो महसूस होता है कि आज इस बढ़ती हुई महंगाई का असर उस कर्मचारी पर पड़ता है जिसकी तनख्वाह चार सौ या पांच सौ से नीचे है। मैं यह सफाई से कहना चाहता हूं कि जिस आदमी को एक हजार या बारह सौ तनख्वाह मिलती है उसके घर करीब सौ या १५० रुपये का राशन आता है। इस महंगाई की वजह से करीब तीन सौ रुपये का राशन मंगाने लगे होंगे। तो उसको चाहे अपनी लक्जरीज में कम करना पड़ जाय—यह तो हो सकता है कि महीने में वे चार सिनेमा देखने के बजाय दो सिनेमा देखें। कुशन्स में कमी कर दें, कपड़े बनाने में साल में दस पांच टैरीलीन में से दो एक कम बनायें लेकिन जो जिन्दगी की जरूरी चीजें हैं उनमें कोई कमी या परेशानी नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ जिस कर्मचारी को २५० रुपया या सौ रुपया आप देंगे उस पर सारी कठिनाई पड़ जायेगी। उसके अन्दर सब्र नहीं हो सकता कि वह मौजूदा बढ़ती हुई महंगाई को सामने रख कर गल्ले को खरीद सके। इसके साथ ही साथ यह भी अफसोस की बात हुई कि ३४३ से घटा कर ५२ ग्रेड कर दिये गये। लेकिन यह बात समझ में नहीं आयी कि जिन लोगों का महंगाई के कारण ग्रेड ऊपर जाना चाहिये था, जो लोग थोड़ी तनख्वाह पाने वाले थे, उनका ग्रेड नहीं बढ़ा लेकिन बदकिस्मती है कि जिन लोगों को पहले ही अच्छी तनख्वाहें मिलती थीं, उनका ग्रेड नीचे को आना चाहिये, उनका तो ऊपर को गया है और जिन लोगों को ऊपर को जाना चाहिये था उनका ऊपर को नहीं गया है।

आप इर्रीगेशन विभाग को ही लें। उसमें दो विभाग हैं—इर्रीगेशन रेवेन्यू और इर्रीगेशन टेकनीकल। इर्रीगेशन रेवेन्यू में एक अमीन होता है उसको ५० रुपया तनख्वाह, ५ रुपया एडहाक, ४० रुपया डीअरनेस, १० इन्टेरिम रिलीफ, इस प्रकार से १०५ रुपया मिलता था लेकिन उसका नया ग्रेड ८० प्लस १५–९५ कर दिया गया है। इसी प्रकार मुंशी को भी १०५ रुपये मिलते थे उसको भी ९० में रख दिया गया है। हैडमुंशी को सब मिलाकर १३५ रुपया मिलते थे अब उसका ग्रेड ९५ कर दिया गया है। जब कि ये वे लोग हैं जो ४ थी श्रेणी में आते हैं। एक ओर पब्लिसिटी असिस्टेंट है जिसको फील्ड में काम करना पड़ता है और प्लानिंग का काम करता है। उसको फिजीकल वर्क बहुत करना होता है। उस प्रोजेक्ट आपरेटर को पहले ७५—१२० का ग्रेड दिया गया था जब कि अब उसका ग्रेड १००—१६० कर दिया गया है। लेकिन उसी ग्रेड का जो वी० एल० डब्ल्यू० था उसका ग्रेड १२०—२२० कर दिया गया है। जब कि एक आपरेटर को जिस एरिया में वर्क करना पड़ता है वह वी० एल० डब्लू० के एरिया से १० गुना होता है। इन दोनों को बराबर में रखना चाहिये था।

इसी प्रकार से एग्रीकल्चर विभाग में ट्रेक्टर ड्रायवर होता है जिसको वेहिकिल ड्रायवर के साथ जोड़ दिया गया है। उसको बिना शेड वाले ट्रेक्टर के ऊपर गरमी और बरसात में काम करना होता है। उसको पहले कुल मिला कर १७५ रुपया मिलता था लेकिन रिवीजन में

[श्री रियासत हुसैन]

उसका ग्रेड १६५ रुपये का कर दिया गया है। इसलिये कि उसको हैवी मोटर ड्रायवरों के साथ जोड़ दिया गया है। माननीय त्रिपाठी जी और सरन साहब ने सेनीटरी इन्सपेक्टर के मामले को भी सदन के सामने रखा। उन्होंने कहा कि वी० एल० डब्लू० और सेनीटरी इन्सपेक्टरों को मिला दिया गया। अब उनकी क्या हालत होगी ?

अब आप क्लास २ और क्लास १ की हालत को देखिये। क्लास टू में जितने भी आपके आफिसर हैं, उन सबको अपग्रेड किया गया है। इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर इनफार्मेशन, असिस्टेंट डायरेक्टर इनटेलिजेंस, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर, डायरेक्टर सूचना विभाग, जनरल मैनेजर, रोडवेज, यह सब अपग्रेड हो गये। लेकिन आप उद्योग विभाग में देखें कि सेकिन्ड ग्रेड के इंडस्ट्रीयल आफिसर को २५० से ७५० रुपये के ग्रेड में कर दिया जब कि कमेटी ने २५० से ८५० के ग्रेड को ३००—९०० का कर दिया। इस तरह से उन को और डिग्रेड किया गया है जो कि इंडस्ट्रीज आफिसर थे। जब कि हम समझते हैं कि देश की तरक्की उद्योग की तरक्की पर मुनस्सिर है तो इस तरह से इन लोगों को और क्लास टू सर्विसेज के मुकाबले में डिग्रेड करना उचित नहीं है।

इसी तरह से फर्स्ट ग्रेड में भी डिप्टी ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर, असिस्टेंट ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर, डायरेक्टर आयुर्वेद, चीफ डेयरी डेवलपमेंट आफिसर का ग्रेड ५००—१२०० का था, उसको बढ़ा कर ७५०—१४०० किया गया है लेकिन उद्योग विभाग में जो फर्स्ट ग्रेड के आफिसर थे उन को भी डिग्रेड किया गया है। लेकिन इस रिपोर्ट में उद्योग विभाग के फर्स्ट ग्रेड आफिसर्स का ग्रेड घटा कर ४०० से १००० कर दिया गया है और डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्रीज का भी ५००—१२०० के बजाय ४००—१००० कर दिया गया है। जब इस तरह का व्यवहार उद्योग विभाग के साथ होगा तो मुल्क की तरक्की कैसे हो सकता है ? इस तरह से जो उद्योग विभाग के फर्स्ट क्लास व सेकिन्ड क्लास आफिसर्स को डिग्रेड किया गया है, यह बहुत गलत चीज है और इससे उनको नुकसान पहुंचाया गया है।

इसी तरह से आप इस सचिवालय में देखें कि यहां पर ट्रान्सलेटर्स और अपर डिवीजन क्लर्क्स का एक ही काम है और एक ही उनकी क्वालिफिकेशन हैं, दोनों का सेलेक्शन पब्लिक सर्विस कमीशन से होता है लेकिन इस रिपोर्ट के आधार पर ट्रान्सलेटर्स का वेतन ४०० रुपये पर खत्म कर दिया गया है और अपर डिवीजन क्लर्क्स को ४५० तक रखा गया है। इस तरह से ट्रान्सलेटर्स को ५० रुपये का नुकसान पहुंचाया गया है।

इसी तरह से पुलिस विभाग में डी० आई० जी० के जितने भी रेन्जेज थे उन में स्टेनोज का ग्रेड १६०—३२० का है लेकिन सी० आई० डी० के डी० आई० जी० के स्टेनो का ग्रेड १३०—२५० कर दिया गया है। इन दोनों का काम एक ही है बल्कि सी० आई० डी० के स्टेनोज का काम और भी ज्यादा जिम्मेदारी का और कांफिडेंशियल नेचर का है। उनको भी १६०—३२० का ग्रेड देना चाहिये था।

भाषा की बात भी आप देखें कि रिपोर्ट के पेज ३२५ पर जो एक ही क्वालिफिकेशन के असिस्टेंट मास्टर्स हैं, जैसे असिस्टेंट मास्टर संस्कृत, शिक्षा प्रचार अधिकारी हैं, असिस्टेंट मास्टर उर्दू हैं, इन सब का ग्रेड २५० से ५५० रखा गया है, लेकिन जो असिस्टेंट मास्टर परशियन हैं उनका ग्रेड १५०—३५० रख दिया गया है जब कि संस्कृत की तरह ही परशियन भी एक क्लासिकल भाषा है। तो इसके लिए इस किस्म की क्या जरूरत थी ? मैं यह चाहता हूं कि इस कमेटी के कौन्सटीट्यूशन में ऐसा होना चाहिए था कि सदन का भी रिप्रेजेन्टेशन होता, एसोशियेशन का भी रिप्रेजेन्टेशन होता। हमारी यह भी राय थी कि एक पे कमीशन मुकर्रर किया जाय मगर ऐसा न होकर पे कमेटी बनायी गयी और उसने भी १ १/४ या १ १/२ साल के बाद एक इतनी मोटी किताब पेश की और उससे भी किसी किस्म का कोई सेटिसफेक्शन नहीं हो पाया। हम भी इन कर्मचारियों को नहीं कह सकते कि तुम्हें कुछ मिल गया। लेकिन दिन प्रति दिन डिस—सेटिसफैक्शन बढ़ रहा है। इन सारी चीजों को देख कर ऐसा मालूम पड़ता है कि डिस्सेटिस्फैक्शन बढ़ा ही है,

कम नहीं हो रहा है। आखिर में मेरा सुझाव है कि आप एक कमीशन ऐसा बैठाइये या एक ऐसी समिति बैठाइये जो इन सब चीजों पर अज सरे नौ गौर करे और उसमें सब का रिप्रेजेन्टेशन आप रखें। आप ऐसा कीजिए तभी आपके कर्मचारियों में कुछ असन्तोष कम हो सकेगा।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय नेता, विरोधी दल और अन्य माननीय सदस्यों के भाषणों को सुना। मैं भी इस प्रतिवेदन से पूर्णतः सहमत नहीं हूं परन्तु जितने भी माननीय सदस्यों के भाषणों को मैंने सुना, उनसे मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि जो यहां पर टीका टिप्पणी हुयी है, वह रिपोर्ट के ऊपर नहीं हुयी बल्कि वह केवल राजनीति आधार पर ही हुयी है। पहले मैं इतना बता दूं कि मैं किन किन बातों पर सहमत नहीं हूं। इस समिति को किसी सामयिक चीज के लिए नहीं बनाया गया था। इसके समक्ष ४ विषय विचारणीय थे उसमें हमने योजना के संचालन का भी समावेश किया था। समान सेवाओं के लिए समान पारिश्रमिक दिया जाय। इसमें एक चीज का ध्यान नहीं रखा गया है और वह यह है कि समाजवादी समाज हम बनाने जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य यह था कि हमारे देश में समाजवाद आये इसलिए वेतन निर्धारित करने के लिए हमें एक मापदंड निर्धारित करना होगा। इस प्रतिवेदन में एक जगह दिया हुआ है कि छोटे जो हमारे कर्मचारी हैं उनका ६१ प्रतिशत पारिश्रमिक जो उन्हें मिलता है वह खाद्यान्न पर व्यय हो जाता है। तो हमारे सोचने का तरीका यह होना चाहिए कि हमारा जो कुछ आवश्यक आवश्यकताएं हैं जैसे खाना, कपड़ा, मकान, बच्चों की शिक्षा आदि, उन सब को समान दीजिए अगर हम सब को समान स्तर देना चाहते हैं। अगर एक छोटा कर्मचारी अपनी परिलब्धियों में से ६१ प्रतिशत खाने पर खर्च कर देता है और आगे कपड़ा, आवास आदि में व्यय करता है तो उसके बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा और केवल थोड़े से लोगों को ही अवसर मिलेगा कि वे अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकें। यह एक मौलिक सवाल है लेकिन यह हो सकता है कि सरकार के सामने कुछ दिक्कतें हों और वास्तव में आर्थिक कठिनाइयां हैं भी, लेकिन भले ही हम उन सबको भी पूरा न कर पाते। लेकिन हमें उन पर विचार तो अवश्य करना चाहिए था। "Not failure but low aim is a crime" जहां तक प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्हों ने जो इसके बनाने में परिश्रम किया है, वह वास्तव में सराहनीय है। माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि इससे हर व्यक्ति असन्तुष्ट हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि १९४७ में जो कमेटी बनी थी उससे इतना असन्तोष नहीं बढ़ा था जितना आज बढ़ा है। लेकिन मैं तो यहां तक कहता हूं कि सन् १९७२ में या आस पास भी जब एक कमेटी बनेगी उससे भी असन्तोष और ज्यादा बढ़ेगा। क्या आप कह सकते हैं कि १०० से १२५ करने पर असन्तोष नहीं होगा या १५० करने पर नहीं होगा? अगर आप लगातार उसे प्रोत्साहन देंगे तो असन्तोष बढ़ता ही रहेगा। कल समाचारपत्र में मैंने देखा ९ जगह वेतन वृद्धि की ही बात थी। माननीय नेता विरोधी दल से यह आशा की जाती थी कि वे कोई ऐसा सुझाव देंगे कि अगर कल उनकी सरकार बन जाय तो वे उनको मानकर चलेंगे। वे बड़े विद्वान आदमी हैं परन्तु बड़े गौर से सुनने के बाद भी एक भी सुझाव ऐसा नहीं मिला कि अगर वे कल को अपनी सरकार बनावें तो उनको कार्यान्वित करा सकें। लेकिन अगर आपके सोचने का तरीका यह ही है कि सरकार नहीं बनानी है और टिप्पणी (criticism) ही करनी है, तो ठीक है।

श्रीमन्, पहले क्वालिफिकेशन की शैक्षिक योग्यता का जैसे बी० ए० पास है या एम० ए० पास है आधार था, आज वह आधार नहीं रखा है क्योंकि बी० ए० पास करना तो हर नागरिक के लिए आवश्यक हो गया है। अब आधार यह है कि सेवा की उपयोगिता के ऊपर मापदण्ड रहे। यह जो कमीशन ने दिया है वह ठीक है लेकिन एक बात और कि सेवा की उपयोगिता और कार्यभार के ऊपर होना चाहिये। इस प्रतिवेदन में एक जिक्र यह भी आया है और ठीक है कि हर आदमी से उसकी शक्ति के अनुसार कार्य लिया जाय और उसकी आवश्यकतानुसार उसे दे दिया जाय।

[श्री जगदीश प्रसाद]

लेकिन आज की परिस्थिति यह है कि ११ बजे से ५ बजे तक दफ्तर गये। १ बजे से ३ बजे तक लंच पर रहे। पौन बजे के करीब विभाग में यह आ गया कि १ बजे लंच पर जाना है और ३ बजे लंच से चले और सवा तीन बजे दफ्तर में आये। श्रीमन्, एक बार मैं सफर कर रहा था। रेल में एक इंजीनियर महोदय भी थे। उनकी बीबी भी उनके साथ थी जो एक उच्च शिक्षिता महिला हैं जो कह रही थीं कि ये अब एक बजे घर आ जाते हैं, पहले ये कभी नहीं आते थे। तो उन्होंने कहा कि क्या करें जब सब चले जायें तो मैं ही वहां पर क्या करूं? इस प्रकार कार्यालय के कार्य पर यह नेता विरोधी दल ने कुछ नहीं कहा पर नवलकिशोर जी ने तो कुछ कहा। यदि हमारे कार्य का यही हाल रहा तो कांग्रेस ही नहीं कोई सरकार सफल नहीं हो सकेगी। श्रीमन्, हमें आज यह देखना है कि आज जो किसी कर्मचारी को मिल रहा है क्या कल उसको कम मलेगा। अगर वास्तव में कम मिलेगा तो वास्तव में कुछ ऐसी बात हो सकती है कि जिस पर हमें सोचना पड़ेगा लेकिन यह जो प्रतिवेदन है इसमें औपशन दिया है कि अपने पुराने स्केल को ले लें या नये को ले लें, अब तो कोई कमी नहीं रही। इसमें यह भी था कि पेन्शन, छुट्टी आदि के सम्बन्ध में जो नये स्केल औप्ट नहीं करेंगे, उनको वे सुविधा नहीं मिलेगी, पेंशन की, छुट्टी की लेकिन सरकार ने जो २८ फरवरी, १९६६ का जो संकल्प निकाला है इसमें स्पष्ट कर दिया है कि छुट्टी तथा सेवा निवृत्ति के लाभ, जो उत्तर प्रदेश वेतन अभिनवीकरण समिति द्वारा की गयी सिफारिशों के फलस्वरूप स्वीकृत किये गये हैं, वे सभी सरकारी कर्मचारियों को दिये जायेंगे, चाहे वे अपने वर्तमान वेतनमानों में बने रहें या नये वेतन मानों को चुनें। इसमें ये सुविधायें ऐसी हैं कि जिनसे किसी की कोई हानि नहीं हुयी है। श्रीमन्, इसका अर्थ यह हुआ कि प्रदेश में इस प्रतिवेदन से हानि किसी कर्मचारी को नहीं है, और हरेक कर्मचारी को कुछ न कुछ लाभ हुआ।

माननीय सरन साहब ने कहा कि यह क्या रेशनलाइजेशन हुआ है। ४ ग्रेड कर देते तो रेशनलाइजेशन हो जाता। ३४३ स्केलों फ ५२ स्केल वेतन अभिनवीकरण समिति ने कर दिए तो रेशनालाइजेशन नहीं हुआ लेकिन अगर ४ कर दिए जाते तो रेशनालाइजेशन हो जाता। इतने कम किये, एकदम ४ घटने कैसे सम्भव थे?

जहां तक मंहगाई का सम्बन्ध है, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ९०० रुपये से अधिक पाने वाले को मंहगाई भत्ता नहीं होगा। अन्य सुविधाओं के संबंध में मैं अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा परन्तु यात्रा, चिकित्सा आवास आदि की सुविधायें महत्वपूर्ण हैं। यात्रा भत्ता में अब सीधे चार वर्ग कर दिये गये चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को, वास्तव में बहुत कम दैनिक भत्ता मिलता था। अब उनका तीन वर्ग के नगरों में १.५० रुपये, १.७५ रुपये और २ रुपये का तीन वर्ग कर दिया गया है पहले ६२ पैसे तक था। इस तरह से जितनी सीमा तक वे बढ़ा सकते थे उतनी सीमा तक बढ़ा दिया है। पहले यात्रा भत्ते में हिसाब लगाने में दिक्कत थी अब सीधा कर दिया गया है।

चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं को बढ़ाने की जहां तक बात है, चिकित्सा सम्बन्धी जो असुविधायें सरकार के सामने आयीं उन सब का निराकरण उसमें कर दिया गया है। जितनी सीमा तक जाना उनका सम्भव था, वहां तक सुविधायें दी गयी हैं। घर पर देखने का भी प्राविधान अब कर दिया गया है। अगर डाक्टर किसी के घर पर किसी रोगी को देखने जायगा तो उसे एक रुपया प्रति फेरा सरकार की तरफ से दिया जायगा। दवाओं के लिये भी सिफारिश की गयी है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार के किसी व्यक्ति का इलाज बाहर भी करावे तो उसको उतनी ही सुविधा मिलेगी जितनी कि अस्पताल में मिलती है। श्रीमन् मेरी सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों से बात होती थीं, जो शिकायत थीं वह ठीक कर दी गई हैं।

आवास सम्बन्धी सुविधायें भी दी गयी हैं। १ लाख से ५ लाखतक की आबादी वाले नगरों में छोटे कर्मचारियों को ५ परसेंट, तथा ५ लाख की अधिक आबादी वाले नगरों में साढ़े ७ परसेंट सरकार की तरफ से देने का प्राविधान किया गया है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को ५.३ रु० दिये गये हैं वह भी उसके वेतन का इतना ०/० ही पड़ता है। इस सम्बन्ध में मेरा नैनीताल

और मंसूरी जैसे नगरों के लिये वह सुझाव है कि वहां की आबादी भले ही कम है। लेकिन वहां के रहने वाले कर्मचारियों को रहने के लिये काफी खर्च करना पड़ता है, तो ऐसी सूरत में कम आबादी होते हुये भी उनको अधिक पैसे मिलने चाहिये। श्रीमन्, जब हम इस बात को सोचें कि ज्यादा हुआ या कम हुआ तो एकएक बात पर अवश्य विचार करना चाहिये कि हमारे प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या ५ लाख के करीब है जो कि मैं समझता हूं कि हमारे वहां की जन संख्या का १ प्रतिशत भी नहीं है एक प्रतिशत से कम ही बैठेगी। मैं इस रिपोर्ट का एक उद्धरण आपके सामने पढ़ता चाहता हूं जो इस प्रकार है :—

"दूसरी ओर एक मत यह है कि सरकार सार्वजनिक धन की ट्रस्टी (न्यासी) है, और भुगतान करने की क्षमता पर हमें अवश्य ही ध्यान देना चाहिये। एक महत्वपूर्ण सरकारी साक्षी ने हमारे सामने यह राय प्रकट की कि जनता के एक छोटे से वर्ग का, जो सरकारी कर्मचारियों का है, शेष जन संख्या पर बोझ डाल कर केवल इस आधार पर कल्याण करना उचित नहीं है कि हम ऐसा कर सकने की प्रशासनिक शक्ति रखते हैं। ऐसा करना न तो देश के लिये और न राज्य के लिये ही उचित होगा।"

जरा यह सोचने की बात है और देखने की बात है कि सरकारी कर्मचारी की एक मान्यता होती है, उसका स्थायित्व होता है और उसे कुछ सुविधायें होती हैं और यह आवश्यक है कि उनकी सामाजिक और शिक्षा सम्बन्धी जो आवश्यकतायें हैं वे अच्छे आधार पर पूरी हो जाय। इस प्रतिवेदन में यह दिया है कि उसके पारिश्रमिक ऐसे भी हों जो प्रतिभाशाली युवक आकर्षित हो सकें यह ठीक है परन्तु अब यह भी सोचने की बात है कि जितने प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं वे सभी सरकारी सर्विस में सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर आ जायं तो यह भी कोई अच्छी बात नहीं है। अगर उद्योग में, कृषि में, प्राइवेट बिजनेस में प्रतिभाशाली व्यक्ति न रहें और सब के सब सरकारी सर्विस में आ जाय तो यह भी देश और प्रदेश के लिये कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी।

एक परिवर्तन यह देखने में आया कि हमारे माननीय सदस्यों को इसके विरोध में कुछ कहने को नहीं मिला। जब यह सवाल हमारे सामने आता है तो माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि मैं किससे कहूं और शिकायत क्या की जाय, खर्चा कम कीजिये। खर्च को कहां तक कम किया जाय? किसी के वेतन में एक रुपये की कमी न हो, किसी विभाग में दो आदमियों की छटनी न हो। अगर कहीं छटनी होगी तो कहने लगेंगे कि छटनी न हो, एक जगह भी कम न हो बचत का केवल एक ही सुझाव माननीय नेता विरोधी दल ने दिया कि पूंजीपतियों पर जो बकाया है वह वसूल की जाय। ये सुनते सुनते तो मुझे बहुत साल हो गये। माननीय ऊदल जी भी यही कह रहे थे कि पूंजीपतियों के पास जो रुपया है, बकाया है, उसे वसूल कर लिया जाय मेरा भी यही विचार रहा है। लेकिन एक बात मैं साफ कह दूं कि उनके इस सजेशन को मानना मैं अभी यह सोच रहा था ठीक नहीं है क्योंकि इसके बाद फिर विरोधी दल के पास बचत का सजेशन देने को रह ही क्या जायेगा, इनको तो सजेशन देने को और कुछ रहेगा ही नहीं। इतना कहने के बाद मैं इस रिपोर्ट के तैयार करने वालों को हृदय से बधाई देता हूं कि उन्होंने वास्तव में परिश्रम करके हमारे प्रदेश के सामने ऐसा नक्शा रखा है जिससे वास्तव में प्रदेश के हर एक कर्मचारी को कुछ सुविधा मिलेगी और काम करने में उनकी सुविधा होगी।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में सबसे पहले सन ४७ में ये कमेटी घटित की गयी थी जिसके अध्यक्ष डाक्टर सम्पूर्णानन्द थे और उसके सदस्य विधान सभा तथा विधान परिषद् के सदस्य मनोनीत किये गये थे। इसके अतिरिक्त जहां तक मेरी जानकारी है उसमें सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाले जज लिये गये थे। करीब १८ वर्ष तक इस सूबे में वह रिपोर्ट लागू रही लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट के प्रकाशित होते ही सारे प्रदेश के अन्दर हलचल मच गयी, चारों तरफ प्रदर्शन और अनशन शुरू होने लगे। इस प्रदेश में जब तक चीजों के दाम नहीं घटते तब तक

[श्री लखपतराम शर्मा]

इस प्रदेश के कर्मचारियों को कोई सुख सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती। तनख्वाह बढ़ा देने से ही समस्या हल होने वाली नहीं है लेकिन यह सरकार स्वराज्य होने के बाद कीमतों को घटाने में और बलवे को रोकने में पूर्ण असफल रही है।

एक तरफ महंगाई, बेरोजगारी और तरह तरह की बेईमानी की शिकायतें कदम कदम पर बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ आशा यह थी कि कमेटी की रिपोर्ट शाया होने पर उससे लोगों को कुछ न कुछ राहत अवश्य मिलेगी। आपके सामने मैं यह जरूर ला देना चाहता हूं कि जब जब किसी देश में क्रान्ति हुई है उसका प्रमुख कारण यही था कि जनता का प्रजातन्त्र पर से विश्वास हट गया, जुडीशियरी पर से विश्वास हट गया और वहां पर मिलिटरी रूल हो गया। आप देखें कि यहां डी० पी० ओ० का वेतन ६५० से १२५० रखने की सिफारिश की गयी है और उसके अन्दर जोड़ दिया गया है कि यह नियम वहीं लाग होगा जहां पर कि जनसंख्या ४५ हजार से कम न हो। ५, ६ जिलों को छोड़ कर पूरे सूबे में शायद ही ऐसा कोई स्थान होगा जहां पर सख्या ४५ हजार से कम हो। इन सारी सहूलियतों का मिलने का मेन कारण यही है कि इस प्रदेश का सारा शासन पी० सी० एस० तथा आई० सी० एस० के हाथ में आ गया है और उन्हीं की छत्र छाया में यह सरकार जीवित है और जनता के विश्वास पर जीवित नहीं है।

इसी तरह से जुडीशियल मैजिस्ट्रेट तथा मुंसिफ पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास करके आते हैं लेकिन जुडीशियल मैजिस्ट्रेट की तनख्वाह मुन्सिफ के मुकाबिले में कम कर दी गयी है। इस प्रदेश के अन्दर जुडीशियरी का भी विश्वास इस प्रकार शासन पर से उठ जायगा जुडीशियल मैजिस्ट्रेट के सामने डी० एस० पी० पुलिस को खड़ा होना पड़ता है। जुडीशियल मैजिस्ट्रेट का सीधा सम्बन्ध ए० डी० एम० जे० से होता है तथा एडीशनल कमिश्नर से जुडीशियल मैजिस्ट्रेटों में से ही ए० डी० एम० जे० बनाये जाते रहे हैं और ए० डी० एम० ई० जो कलेक्टर की सहायता के लिये होता है उसका वेतन ६५०–१२५० तक रख दिया गया है, लेकिन ए० डी० एम० जे० की तनख्वाह तथा जुडीशियल मैजिस्ट्रेटों की तनख्वाहों का स्केल घटा दिया गया है जो ए० डी० एम० ई० के मुकाबले में बढ़ाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इसी प्रकार प्रदेश के कर्मचारियों को मकानों के किराये में जो सुविधा साढ़े ७ प्रतिशत बताई गयी है वह इसलिये बेकार है चूंकि मकान मालिक अधिक किराया लेकर कम की रसीद अथवा रसीद ही नहीं देते।

जहां तक कार्य का सवाल है, ए० डी० एम० (जे०) कलेक्टर की सहायता के लिये बनाया जाता है और उसके कैरेक्टर रोल में कुछ लिखने का अधिकार कलेक्टर को है। जुडीशियल आफिसर के मामले में पावर सिर्फ कमिश्नर को थी। उसको सिर्फ एक ही लालच था कि अगर वह अपने कार्य को सुचारू रूप से करेगा तो ए० डी० एम० (जे०) बन जायगा और ज्यादा सीनियर होने पर एडिशनल कमिश्नर बना दिया जायगा। लेकिन उनकी तनख्वाह इस हद तक कम कर दी गयी कि एक पुलिस अफसर उनसे ज्यादा तनख्वाह पाये तो मैं समझता हूं कि लोगों को जुडिशरी के ऊपर से विश्वास खत्म होगा और इसीलिये सब लोग बार बार कहते रहे हैं कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग-अलग कर दिया जाय। श्री पी० सी० जैन, जो इस कमेटी के सेक्रेटरी थे उनको मैं हजार बार मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रदेश के अन्दर बहैसियत एक सेक्रेटरी के ऐसी हालत पैदा कर दी है कि अब यह हुकूमत ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। उन्होंने वह पोजीशन पैदा कर दी है कि सन् ६७ के लिये इस हुकूमत की कब्र खोद दी है।

सैनीटरी इंस्पेक्टर की बात मेरे साथियों ने रखी। सन् ४७ में जो पे कमेटी बनी थी तो उनको वेतन क्रम १२० से २१०, पुलिस सब इंस्पेक्टर का का १२०–२००, नायब तहसीलदार

का १२०–२००, वी० एल० डब्लू० का ७५–१२०, हैल्थ विजिस्टर का ७५–१२०, सहायक विकास अधिकारी का १२०–२५० और हैड क्लर्क जो केवल हाई स्कूल होता था का १००–१७० निश्चित किया गया था। अब सैनीटरी इंस्पेक्टर का १२०–२२०, पुलिस सब–इंस्पेक्टर का १६०–२८०, नायब तहसीलदार का १६०–२८०, वी० एल० डब्लू० का १२०–२२०, हैल्थ विजिटर का १२०–२५०, सहायक विकास अधिकारी का १६०–२८० और हैड क्लर्क का १५०–२६० वेतन क्रम नियत किया गया है। आवश्यकता इस बात की थी कि छोटे कर्मचारियों को राहत मिले लेकिन यहां उल्टा हुआ। इसप्रकार सैनेटरी इंस्पक्टरों के भी मिट्टी पलीद कर दी गई जब कि उन के कार्य भी विशेष है, छोटे कर्मचारियों की तनखाह घटाई गयी और बड़े कर्मचारियों की बढ़ाई गयी। पी० सी० एस० और आई० सी० एस० को सब से ज्यादा लाभ हुआ। आपने स्वयं देखा किहर सदस्य ने इस पर एतराज किया और कोई भी इस रिपोर्ट से सतुष्ट नहीं है। जिस कमेटी पर लाखों रुपये खर्च किये जांय उसकी रिपोर्ट एक विस्फोट की शक्ल में प्रदेश के सामने आये तो मैं समझता हू कि सिर्फ दूसरी पे कमेटी बनाने से ही काम नहीं चलेगा बल्कि ऐसी कमेटी जिसने इस तरह का पक्षपात किया हो उसके दोषी अधिकारियों के खिलाफ खुली अदालत में मुकदमा चलाया जाना चाहिये अगर आप ऐसा करेंगे तो जनता की भावना की कद्र करेंगे और फिर वे अधिकारी यह महसूस करेंगे कि प्रदेश की ८ करोड़ जनता के प्रति उनके कर्त्तव्य क्या थे और उसको पूरा करने में अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

अगर आप मुकाबला करें तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और मुन्सिफ के कार्य में कोई बड़ा अन्तर नहीं है लेकिन दोनों में अन्तर कर दिया गया है। इसलिये किया गया हैकि उस कमेटी के अन्दर जैसा कि नवलकिशोर जी ने कहा कि जनता का कोई नुमायन्दा नहीं था। सरकार जन प्रतिनिधियों पर विश्वास न कर के सिर्फ अधिकारियों पर ही विश्वास करती है। तीन, चार दिन हुये पी० डब्लू० डी० के एक अधिकारी से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि इस प्रदेश के एक डिप्टी मिनिस्टर को पी० डब्लू० डी० विभाग का चार्ज लेने का मौका मिला। तो उन्होंने चीफ इंजीनियर से कहा कि हम मस्टर रोल देखना चाहते हैं उसमें बड़ी शिकायतें हैं। डिप्टी मिनिस्टर साहब को पता नहीं था कि मस्टर रोल ओवरसियर के पास होता है। वह समझते थे कि मस्टर रोल चीफ इंजीनियर की जेब में रखा हुआ है। अगर पार्टी के बल पर डिप्टी मिनिस्टर बना दिये जांय और उनको पता न हो कि बन्दूक में कारतूस कैसे डाला जाता है, या इंजेक्शन में दवा कैसे भरी जाती है तो नौकरशाही के हाथ में मजबूरन वह खेलेंगे।

इसी प्रकार सिंचाई अनुसंधान संस्था, रुड़की के माडल असिस्टेंट का स्केल पहले ६०–३–९०–४–११० था। नये वेतन क्रम में अब उसको ९५ रुपये दिये जायेंगे। लाखों रुपया खर्च करने के बाद अगर आप अपने कर्मचारियों को संतुष्ट नहीं रख सकते, उनको रोटी, कपड़ा और रिहायश के लिये मकान नहीं दे सकते, उनके बच्चों को दवा नहीं दे सकते तो आपको हुकूमत करने का अधिकार किस कानून की मातहत है? अब एक और चीज रखना चाहता हूं। जो समिति की रिपोर्ट आयी है उसमें उन्होंने खास तौर से कहा है कि १९६०–६१ की कीमतों के स्तर पर इस रिपोर्ट को आधारित कर रहे हैं। मैं पूछता हूं कि आज हिन्दुस्तान के अन्दर ४६–४७ करोड़ जनता के अन्दर कोई भी कहने को तैयार है कि १९६०–६१ में जो मार्केट रेट्स थे क्या वह भाव वापस आ सकते हैं? आपने कभी इस पर गौर किया? आज हिन्दुस्तान के अवाम की हालत क्या है? आप को ताज्जुब होगा कि आज हिन्दुस्तान का इंसान कर्ज के अन्दर इस कदर जकड़ा हुआ है कि मैं साबित कर सकता हूं कि ४८ रुपया विदेशों का कर्जा हर एक देश के नागरिक पर हो चुका है। आप आज व्याज नहीं दे सकते। आपने देश के रहने वालों को विदेशियों के हाथों गिरों कर दिया है। और जब कि महंगाई इतनी बढ़ गयी है, उसको फिर भी १९६०–६१ के भाव पर लाते हैं। १९६०–६१ के भाव कभी लौट कर नहीं आ सकते। १९६०–६१ में दर ४७८ थी। जून, १९६५ में ६५१ थी और फरवरी, १९६६ में ७१४ थी। अगर ७१४ में ६५१ घटा दिया जाय तो ६३

[श्री लखपतराम शर्मा]

बचता है। तो ६३ आज महंगायी ज्यादा बढ़ी है। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है और आप फिर भी कर्मचारियों को राहत नहीं दे सके। इस हालत के अन्दर आपके जितने कर्मचारी हैं, सारे के सारे परेशान हैं। ३४८ स्केल के जितने लोग भिन्न भिन्न जगह काम करते थे, उसे ४९ टुकड़ों में बांट दिया गया है। साथ में पी० सी० एस० और आई० सी० एस० अधिकारियों को ध्यान में रखकर उनकी पे बढ़ा दी गयी है और उनके हाथों में आप अपनी शासन सत्ता देते चले जा रहे हैं इससे बुरा वक्त इस हुकूमत के लिये क्या हो सकता है कि जो आपकी कुर्सी नहीं चाहते हैं, शासन नहीं चाहते हैं मोटर और बंगला नहीं चाहते हैं, केवल अपनी रोटी रोजी चाहते हैं, और अपनी मांगों के लिये संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आप उनका कोई खयाल नहीं कर रहे हैं। उनके असन्तोष को आप शान्त नहीं कर पा रहे हैं। आप विश्वास करें या न करें किन्तु यह सत्य है कि जिनकी घर की मां, बीवी और बहिनों ने अशान्त और परेशान होकर घर से बाहर आकर अपने घरेलू बन्धनों को छोड़कर विधान सभा के सामने प्रदर्शन करने के लिये विवश हुई हैं, उनके असन्तोष की भभकती हुई ज्वाला आपको सन् ६७ के चुनाव में जलाकर भस्म कर देगी, क्षार क्षार कर देगी और आपका कहीं कोई अस्तित्व शेष नहीं रह जाएगा।

यह आपका कहना ठीक है कि आलोचना करने से सरकार का भला नहीं हो सकता, समाज का कोई फायदा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने सरकारी विभागों का संगठन ठीक प्रकार कर दिया होता, उनका संगठन छोटे रूप में कर दिया होता और उस छोटी इकाई के कामों को एक सेक्शन आफिसर के सुपुर्द कर दिया होता तो उनकी कार्य क्षमता अवश्य आज से अधिक हो जाती और काम में भी आसानी होती तथा जनता को भी काफी उससे सुविधाएं हो जातीं। आज सारे प्रदेश की जनता जरूरत से ज्यादा परेशान है, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप जनता की जोरदार मांग फिर से एक नई कमेटी का गठन करें वह प्रदेश के साढ़े पांच लाख कर्मचारी राहत की सांस ले सकेंगे और उसमें विधान सभा और विधान परिषद् के प्रतिनिधि लिये जाएं। इससे असन्तोष कम होगा मैं नहीं कहता हूं कि उसमें इधर के प्रतिनिधि हों या उधर के या कितने कितने हों, लेकिन यह निश्चित मत मेरा है कि जनता के प्रतिनिधि उसमें अनिवार्य रूप से रहने चाहिये। इसके अतिरिक्त उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक कार्यरत जज भी शामिल किया जाना चाहिये। इस कमेटी में हाईकोर्ट का जो एक रिटायर्ड जज शामिल किया गया थी, उनके बारे में यदि देखा जाए, तो उनकी सदा से यह इच्छा रही है कि उनको किसी न किसी कमेटी में अवश्य रख लिया जाए।

मेरा आपसे निवेदन है कि जो ज्वाला रोटी के लिये भड़क रही है, उसे आप सान्त्वना दीजिये। आप घोषणा करें कि हम जल्द से जल्द एक नई कमेटी का गठन करने जा रहे हैं जो समाजवाद की ओर एक क्रान्तिकारी कदम होगा और उससे गरीबों को राहत मिलेगी, जिससे लोगों में फैला हुआ असन्तोष कम हो सके।

*श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर आपने दिया। मान्यवर, मैं सवेरे से इस बहस में जो लोग भाग ले रहे हैं, उनके विचारों को सुन रहा हूं और मुझे ऐसा लगा कि उधर के माननीय सदस्यों ने अपने जितने भी विचार रखे वे असली समस्या को छोड़कर कुछ राजनीतिक समस्या की ओर चले गये हैं और उन्होंने एक अजीब हवा बनाने की कोशिश की। त्रिपाठी जी ने तो सभी कर्मचारियों के बारे में कहा। शायद उन्होंने अगले एलेक्शन का ध्यान रखा होगा। इस समिति की रिपोर्ट में जो अच्छाइयां हैं उनकी तरफ त्रिपाठी जी का ध्यान नहीं गया। प्रदेश

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में ३४३ ग्रेड थे जिन को इस समिति ने घटा कर कुल ५२ कर दिया है। इस प्रदेश में अनेक नेचर के काम हैं और उन को इतना कम करने के लिये वे निश्चय ही बधाई के पात्र हैं। इस संकटकालीन स्थिति में जब चौथी योजना चल रही है, उस के लिये हमें साधन भी जुटाने हैं, उस समय इस समिति की सिफारिश पर इस को २३ करोड़ रुपया खर्च करना पड़ रहा है इस पर भी उन लोगों को विचार करना चाहिये था।

कुछ लोगों ने कहा कि मूल्य बढ़ गये। यह सही बात है। भारत में महंगाई हो गयी है और इससे भी असंतोष की भावना व्याप्त है। लेकिन यह असंतोष इस समिति की रिपोर्ट के कारण नहीं है। यह बात ठीक है कि उसमें कुछ अनामोलीज रह गयी हैं, लेकिन उन की आड़ में अच्छी बातों की तरफ ध्यान न देना मैं उचित नहीं समझता। मेडिकल फेसिलिटीज के बारेमें समिति ने महत्वपूर्ण सिफारिश की है। पेंशन के बारेमें की गयी सिफारिशों की तारीफ तो त्रिपाठी जीने भी की। इन बातों की तरफ सदन का ध्यान जाना चाहिये। इस समय विस मंत्री जो विराजमान हैं। मैं उन का ध्यान दिलाना चाहता हूं सेनीटरी इंस्पेक्टर्स की तरफ। वे प्रदेश में १५०० के लगभग हैं। पिछली वेतन समिति ने उनका ग्रेड १२०–२१० नियत किया था। उनके समकक्ष जो काम करने वाले कर्मचारी थे उनमें सबइंस्पेक्टर पुलिस को १२०–२२०, नायब तहसीलदार को १२०–२२०, एनीमल हस्बेंड्री के इंस्पेक्टर और पंचायतीराज इंस्पेक्टर को १२०–२२०, पशु चिकित्सक को १२०–२२०, ओवरसियर को १२०–२५०, हेल्थ विजिटर को १५०–२२० आदि का ग्रेड रखा गया था। सेनीटरी इंस्पेक्टर के वेतन में जो कटौती की गयी है, वह ठीक नहीं है। शोचनीय है। उस पर काफी जिम्मेदारी है। गांवों में संक्रामक रोगों को रोकने के लिये वह जिम्मेदार है, सेनीटेशन उसकी जिम्मेदारी है, फैमली प्लानिंग के काम की उसकी जिम्मेदारी है। अन्य स्वास्थ्य के संबंध में जो समस्यायें है उसके लिये वह जिम्मेदार है, लेकिन उस का वेतन १२०–२२० रखा गया है। पुरानी पे कमेटी ने तथा इस कमेटी ने भी उस की सर्विसेज की अहमियत को समझा है। पृष्ठ ४६ पर उन्होंने लिखा है कि उनका वेतन १५०–२६० होना चाहिये और चूंकि उनके लिये पदोन्नति का दरवाजा बंद है इसलिये उन को दस परसेंट सर्विसेज को सेलेक्शन ग्रेड मिलना चाहिये। लेकिन कैबिनेट रैंक का जो एनोमलीज कमेटी बैठी थी उसने उस सिफारिश को मान्यता प्रदान नहीं की और १२०–२१० के वेतन क्रम को १२०–२२० कर दिया। यानी कुल १० रुपये की वृद्धि हुई। सेलेक्शनवाली ग्रेड की बात भी समाप्त, पी० आर० सी० की रिपोर्ट की बात भी समाप्त। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब सेनिटरी इंस्पेक्टरों का काम इस तरह का है और उनका उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण है और जब उनकी तनख्वाह के बारे में पी० आर० सी० ने सिफारिश भी की है तब आपको उनकी मांगों को अवश्य स्वीकार करना चाहिये।

ग्रामसेवकों को प्रोमोट करके सैनिटरी इंस्पेक्टर बनाया जाता है। ५ साल तक वह कर चुके होते हैं और १ साल अपने खर्च पर स्पेशल ट्रेनिंग करते हैं तब भी उनकी हालत क्या होती है। उन्हें असंतोष होना स्वाभाविक है। इसीतरह पर ब्लाक स्तर पर ए० डी० ओ० और पंचायत सेक्रेटरी हैं उनके बारे में कोई भी सदस्य यह नहीं कह सकता कि उनके काम कम महत्वपूर्ण हैं। लेकिन आज पंचायत सेक्रेटरी ग्राम सेवक के बराबर भी तनख्वाह नहीं पाता। उनकी क्वालिफिकेशन एक है। वह भी हाई स्कूल और ग्राम सेवक भी हाई स्कूल, लेकिन तनख्वाह कम। इस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

अधिक न कहकर यह कहता हूं कि जैसा माननीय नवल किशोर जी और जगदीश प्रसाद जी ने भी कहा कि अगर कोई कमेटी बनाई जाय और ७० या ८० में उसकी रिपोर्ट आवे तब भी असंतोष तो रहेगा ही, तो पे रेशनलाईजेशन कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसकी अनामलीज ठीककर के चलने देना ही ठीक होगा। इन शब्दों के साथ में पे रेशनलाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट का समर्थन करना चाहता हूं।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)--

उपाध्यक्ष महोदय, वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट जिस पर आज बहस हो रही है करीब दो ढाई महीने हुई सदन की मेज पर रखी गयी थी और उस समय विरोधीपक्ष की ओर से मांग की गयी थी कि इस पर बहस की जाय। मान्यवर, आपने उस मांग को स्वीकार करके इसपर बहस की अनुमति दी और आश्वासन दिया था कि समय दिया जायगा और उसी के आधार पर आज हम बहस कर रहे हैं। लेकिन मान्यवर, जब मैं सोचता हूं तो मेरा निश्चित मत बनता है कि इस बहस का कोई परिणाम भी होगा, कुछ नहीं। रिपोर्ट को सरकार ने मंजूर कर लिया, अनामली कमेटी बैठी, उसने डिटेल्स तय कर दिये, रिपोर्ट लागू कर दी गयी, जी० ओ० ईशू हो गये, नयी तनख्वाह भी मिलने लगीं, एरियर्स कुछ बट गये, कुछ बंट रहे हैं, कुछ बाकी हैं। जो होना था वह हो गया, अब बहस का क्या नतीजा होगा? अब इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। माननीय नवलकिशोर जी ने साबित कर दिया कि आज की बहस निरर्थक है। क्योंकि अगर दूसरी पे कमेटी बैठाई जाय तो एक रिपोर्ट के झंझट से अभी छुट्टी मिली नहीं है दुसरी कमेटी का झंझट सरकार मोल लेने को तैयार नहीं है। तो दूसरी वेतन समिति नियुक्त होने नहीं जा रही है और इस रिपोर्ट में कोई रद्दोबदल होने वाला नहीं है क्योंकि सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया है। तो अब यह रस्म अदाई सी है और उसी के नाते मैं भी चन्द सुझाव रखना चाहता हूं। माननीय जगदीश प्रसाद जी ने कहा कि १९४७ की पे कमीशन की रिपोर्ट पर काफी असन्तोष था और इस कमेटी की रिपोर्ट पर उससे ज्यादा असन्तोष है और उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की कि अगर १० साल के बाद भी कमेटी बैठायी जाय तो उससे और ज्यादा असंतोष होगा। मैं माननीय जगदीश प्रसाद जी की इस बात से सहमत हूं कि कितनी ही कमेटीज आप बिठायें असंतोष और बढ़ता जायेगा। उसकी जिम्मेदारी इस सरकार पर ही है। जब मैं सरकार का नाम लेता हूं तो मेरा मतलब प्रदेशीय सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनो से है क्योंकि केन्द्र में भी इसी पार्टी की सरकार है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज तक केन्द्रीय सरकार ने या प्रदेशीय सरकार ने कौन सी नीति इस संबंध में निधारित की है? आज तक केन्द्रीय सरकार ने कोई राष्ट्रीय नीति इस संबंध में निर्धारित नहीं की है। जब तक यह नहीं होगा असंतोष बढ़ता जायेगा। जो यहां प्रदेशीय सरकार में कर्मचारी काम करते हैं, क्लर्क, स्टेनोग्राफर, प्यून्स, चौकीदार, सेक्रेटरी आदि वही सब वहां केन्द्रीय सरकार में भी काम करते हैं। उनकी भी वही योग्यतायें होती हैं जो यहां के कर्मचारियों की है। फिर क्या कारण है कि जो एक कर्मचारी उसी काम को यहां करें उसको कम वेतन मिले, और वही काम उसी जगह पर अगर केंद्रीय सरकार का कर्मचारी करे तो उसको ज्यादा वेतन मिले?

आज प्रदेशीय और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में कोई समानता नहीं है। जब तक यह असमानता रहेगी असन्तोष बढ़ता जायेगा। आपने वेतन अभिनवीकरण समिति बनायी, उसने कुछ वेतन निर्धारित किये, उसके बाद फिर केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया और असंतोष फिर बढ़ा। जिस तरह से पहले जब किसान प्रदर्शन किया करते थे और यह बाबू लोग उनको देख कर पागल कहा करते थे, आज वे खुद प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके घरों की औरतें प्रदर्शन करने लग गयी हैं। यह असंतोष किसने बढ़ाया? यह इसलिये बढ़ा है क्योंकि सरकार की कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है कि समान कार्य के लिये समान वेतन मिले। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उसको केन्द्रीय सरकार से इस बात के लिये जोर देना चाहिये कि वह ऐसी कोई नीति निर्धारित करे जिससे समान कार्य के लिये सब को समान वेतन मिल सके। मैं समझता हूं कि अगर हमारी सरकार ने इस तरह के सुझाव केन्द्रीय सरकार को दिया होता तो अवश्य अबतक कोई रास्ता निकलता और यह असंतोष दूर होता और यह बात विरोधी दल ने कोई अपनी तरफ से या कोई नई मांग नहीं उठाई। यह उसी कांग्रेस सरकार की घोषणा के आधार पर उठाई कि कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर जो सरकार बनने से पहिले घोषणा की थी कि किसी भी कर्मचारी की तनख्वाह सौ रुपये से कम नहीं होगी और किसी को एक हजार से अधिक वेतन नहीं होगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि

क्यों नहीं उस पर अमल किया जाता ? माननीय नवल किशोर जी वकालत करते हैं कि जो अधिकारी लोग एक हजार से अधिक तनख्वाह पाते हैं अगर उनकी तनख्वाह कम भी कर दें तो ऐसे लोग कितने हैं, सरकार को कितना लाभ होगा। चंद लाख रुपयों का और अगर कम वेतन पाने वालों का वेतना बढ़ाना पड़ेगा तो खर्च कई करोड़ों रुपये का आयेगा।

मान्यवर, हर बात आर्थिक पहलू से नहीं नापी जाती। हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है ? माननीय जगदीश शरण जी ने कहा कि हमारा लक्ष्य समाजवाद का है। इस लक्ष्य को सामने नहीं रक्खा गया है। अगर हम इस लक्ष्य को सामने रक्खेंगे कि कम से कम सौ रुपया तनख्वाह हो और एक हजार से अधिक वेतन न तो उससे हम राष्ट्रीय लक्ष्य की तरफ जायेंगे। इससे अगर आर्थिक लाभ नहीं होगा तो नैतिक लाभ अवश्य होगा। इसलिये आज भी हम मांग करते हैं कि इस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये। माननीय नवल-किशोर जीने कहा कि विरोधी पार्टी प्रायः कहती हैं कि सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें कम हैं उनको बढ़ाया जाय। और इसके जवाब में उन्होंने कहा कि इससे समाज की अधिक सेवा नहीं होगी क्योंकि एक तरफ किसान है, एक तरफ मजदूर है जिसकी आमदनी बहुत कम है। अगर सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ा दी जायेंगी तो डिस्पेरिटी और बढ़ जायेगी। देखने में तो बहुत अच्छी बात है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उनका कभी उस डिस्पेरिटी की तरफ भी ध्यान गया है। जो देश व प्रदेश के पूंजीपतियों व समाज के अन्य हिस्से की आमदनी में है। यह तो हमारे पांच लाख कर्मचारी हैं। हमारे प्रदेश के चन्द मुट्ठी भर लोग हैं जिन्हें लाखों करोड़ों रुपये का मुनाफा प्रतिदिन होता है उनको डिस्पे-रिटी की तरफ भी क्या आप का ध्यान गया है ? वे चन्द लोग जो शोषण करते हैं हमारे पूरे समाज का अगर उन पर प्रतिबन्ध लगाने की तरफ ध्यान गया होता तो शायद इस कमेटी को बैठाने की नौबत न आती। हमारे छोटे किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे सरकारी कर्मचारी हैं जो इस महंगाई के शिकार हैं। महंगाई बढ़ाई मुनाफाखोरों ने। अगर उनके मुनाफों पर रोक लगाने की कोशिश की गई होती तो शायद इस कमेटी के बैठाने की जरूरत नहीं होती और मंहगाई भत्ता और तनख्वाहें बढ़ाने की जरूरत नहीं होती। तो इस तरह की शिक्षा सदन में तो देते हैं लेकिन जो हमारा लक्ष्य है उस तरफ बढ़ने के लिये जिस तरफ हमको जाना चाहिये इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, अगर हमारे माननीय नवल किशोर जी इस सदन में खड़े होकर सरकार की वकालत करते हैं हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने जिन डिस्पैरिटीज को बहुत से विभागों में बताया है अब भी उसमें बहुत सी खामियां हैं। कुछ पदों के लिये कर्मचारियों को पहले ज्यादा मिलता था अब कम मिलता है। यह भी आक्षेप किया गया कि विरोधी पक्ष हमेशा बुराईयों की तरफ ध्यान देता है। मैं सदन से यह कहना चाहता हूं कि अगर इस कमेटी की रिपोर्ट में अच्छाईयां ही होतीं तो हम बहस की मांग ही न करते। लेकिन जो खामियां हैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

आज जो वेतन बढाई गई है वह मान्यवर, छोटे कर्मचारियों के वेतन में मंहगाई भत्ता जो उनको मिलता था उस महंगाई भत्ते के हिस्से को तनख्वाह में मिलाकर उनका ग्रेड बढा दिया गया। कुछ महंगाई भत्ता, एक थोड़ा सा अन्तर उनके पुरानी तनख्वाह में हो गया। चतुर्थ श्रेणी के जो छोटे कर्मचारी हैं अगर उनकी तनख्वाहों को देखा जाय तो उनकी तनख्वाहों में एक या दो से लेकर दस रुपये का अन्तर आया तो क्या दस रुपये ज्यादा बढ़ा कर यह महंगाई में जो एक या दो साल के अन्दर ड्योढ़ी या दुगुनी हो गयी है, काफी है। तनख्वाहों के ग्रेड बढ़ाकर और महंगाई भत्ता कम करके अगर उनके सम्पूर्ण वेतन पर कोई अन्तर नहीं पड़ता तो उनका तात्कालिक लाभ कुछ भी नहीं है। ग्रेड का लाभ कर्मचारियों को उनके पेंशन के समय मिलेगा लेकिन उनको मुकाबला करना है मौजूदा मंहगाई से। इसलिये हम आज मांग नहीं करते कि कर्मचारियों के वेतन बढ़ाइये, हम कहते कि वही रखिये जो सन् ४७ में थे। लेकिन आज की बढ़ती हुई मंहगाई के अनुरूप उनको भत्ता तो दीजिये,

[श्री भीखा लाल]

और जैसे मंहगाई बढ़ती जाय वैसे उनका भत्ता बढ़ाते जाइये। वे सिर्फ महंगाई के खिलाफ अपने को जिन्दा रखने के लिये सरकार से अभी अपील करते हैं। इस दृष्टि से इस कमेटी ने काम नहीं किया। केवल नाम-मात्र के संशोधन इस कमेटी ने किये हैं। इस कमेटी की रिपोर्ट को अन्तरिम रिपोर्ट मानकर आप, जैसा माननीय नेता विरोधी दल ने कहा, दूसरी कमेटी बैठाइये, जो सारे ढांचे पर, राष्ट्रीय नीति वेतन के बारे में क्या होनी चाहिये, इस पर सोचे। साथ ही केंद्र से भी अनुरोध किया जाय कि वह केंद्र और राज्यों में एक समन्वय स्थापित करें और अगर उस नीति के अनुसार राज्यों को पैसे की आवश्यकता हो तो वह केंद्र से आना चाहिये। हम खाली खर्चे के ही सुझाव नहीं देते हैं। खर्चा होता है तो आमदनी भी होनी चाहिये। हम अनेकों बार सुझाव दे चुके है कि, जैसा लखपतराम जी ने कहा, कि देश का सारा काम विदेशी कर्जे पर चल रहा है और अब नौबत यहां तक आ गई है कि हम अब कर्ज लेने लगे हैं कर्जा चुकाने के लिये, तो फिर कैसे यह कर्जा खतम हो? इसका उपाय है। हमारी बचत का करोड़ों रुपया बैंकों में है जिसे पूंजीपति लोग लेकर मुनाफा कमाते हैं। आप बैंकों का राष्ट्रीयकरण कीजिये। विदेशी पूंजी का, चाय बागान का, कोयले और अबरक की खानों का, विदेशी कारखानों का और तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कीजिये और इस पैसे को विकास में लगाइये। देश की यह सम्पत्ति कांग्रेस के नेताओं ने अंग्रेजों को एक दोस्ती के समझौते के आधार पर सौंप दी थी परन्तु उस समझौते को अंग्रेजों ने भारत पाक युद्ध के समय तोड़ दिया। तो इस सरकार को अब क्यों हिचक है उस जायदाद को वापस लेने में। हमारे यहां से करोड़ों रुपया अमरीका और ब्रिटेन को मुनाफे की शक्ल में जाता है जहां से गोलियां और टैंक बनकर हमारे दुश्मनों को मिलते हैं जिनसे हमारे जवानों की छाती बींधी जाती है। इस स्थिति को देश की जनता अधिक दिन बरदाश्त नहीं कर सकती। इस नीति के खिलाफ जबरदस्त संघर्ष करेगी।

मेरी सरकार से पुनः प्रार्थना है कि नयी वेतन समिति का निर्माण हो जो सब पहलुओं पर विचार करके कर्मचारियों के कल्याण का रास्ता निकाले।

†श्री लखी सिंह (जिला मथुरा)—

उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं इस पर बोलना नहीं चाहता था लेकिन आपको मालूम है कि १० रोज की छुट्टी पड़ी, और मंत्री जी, आप भी ध्यान दीजिये, तो एक बाढ़ सी आ रही है आपकी इस रिपोर्ट को पढ़कर और हमको भी जंचता है और एक दिन कहा भी था कि आखिर इस कमेटी में कौन लोग रखे गये हैं। हमारे यहां ब्रज में तो एक कहावत है "जाके पैर न फटी बिवाई सो का जाने पीर पराई"। अब कमेटी में आपने बड़े-बड़े जजों को रख दिया जो गरीबी को जानते ही नहीं। न तो वे गरीबी में पैदा हुए और न गरीबी में मरे। वे तो गरीबी को जानते ही नहीं, भूख कैसी होती है, यह जानते नहीं। विधान सभा में यह सवाल आया और कहा गया था कि यह कमेटी कुछ करेगी नहीं। यह तो ढपोर संखी काम करने वाली थी और वही काम इसने किया भी। यह न समझिये कि यह विरोधी पक्ष के लोग केवल विरोध के लिये ही विरोध करते है। विस्फोट होने ही वाला है। ज्वाला बिछ चुकी है केवल बत्ती लगाने की कमी रह गयी है। और हमें यह बत्ती अब लगानी ही पड़ेगी। अब इसको कर्मचारी बरदाश्त कैसे करेगा? यह कमेटी तो आकाश में खेल रही थी। क्या इस कमेटी ने कभी ऊपर के कर्मचारियों की तनख्वाहों को घटाने की सोचा? जो समाजवादी पार्टी है उसने हमेशा से इस बात को कहा और बापू जी भी कहा करते थे कि १०० से कम और ५०० से अधिक तनख्वाह नहीं होनी चाहिये। लेकिन समाजवादी पार्टी

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ने कहा कि १०० से कम और १००० से अधिक न हो । तनख्वाह ही नहीं, कोई भी आमदनी इससे अधिक न हो ।

अभी माननीय लखपत राम शर्मा जी कह रहे थे कि इस कमेटी की रिपोर्ट पर फिर से विचार किया जाय और सुप्रीम कोर्ट का जज उसमें रखा जाय । क्यों रखा जाय ? वह क्या जाने नीचे के लोगों की हालत को ? उसमें तो कर्मचारियों के प्रतिनिधि रखो, दुखियों के प्रतिनिधि रखो और उसमें बड़े कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को भी रखो । तब वह ठीक होगी ।

बड़ों की तनख्वाहें और भी बढ़ा दी गयी हैं । जो ग्रेड ६५० से शुरू होता था वह साढ़े बारह सौ और चौदह सौ कर दिया गया है । जिन पर चरबी बहुत बढ़ रही थी उनके लिये और लबड़धौंधों कर दिया गया । ५ रुपये के चौकीदार का कोई जिक्र तक नहीं किया गया । उसको तो वे कमेटी वाले जानते ही नहीं । छोटे छोटे पुलिस के सिपाहियों के लिये भी कुछ नहीं किया गया । डी०एस०पी० को छोड़ कर, आई० जी०, डी० आई जी० को छोड़ कर नीचे के पुलिस वालों का कुछ भी खयाल नहीं किया गया । इस कमेटी ने वेतन निर्धारित नहीं किया है बल्कि भ्रष्टाचार का घोर अड्डा खोल दिया है । और आपका यह कानून उन्हीं छोटे छोटे कर्मचारियों पर लागू होता है । अगर कोई सिपाही ४ आना ८ आना या एक रुपया कहीं किसी से लेता है तो आपका यह कानून उन्हीं के ऊपर लागू किया जाता है । वही जेलखाने भी काटेंगे, वही बरखास्त होंगे लेकिन यह ६५० से १२५० पाने वालों में से एक भी इन कानूनों की हद में नहीं आता है । उनका तो भत्ता ही बड़ा जबरदस्त है, बंगला जबरदस्त, कार जबरदस्त, सवारी जबरदस्त, स्पेशल ग्रेड जबरदस्त और छोटे की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया गया । डाकुओं से कौन टकराता है ? वे छोटे सिपाही, ये छोटे कर्मचारी ही गोली खाते हैं । एस० पी०, डी० वाई० एस०पी०, आई०जी०, डी०आई०जी० तो बंगलों में बैठे रहते हैं । छोटे पर ही सब की मार पड़ती है । वही गोलियों से टकराता है, गुंडों से टकराता है और वही मारा जाता है । उसके पास शस्त्र भी नहीं हैं, वेतन कमेटी ने भी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया । सब ढपोरशंख है, उसमें । सैनीटरी इंसपेक्टर आज सुबह हमारे यहां फिर रहे थे, वे जरा छोटे छोटे दूकानदारों को परेशान करते हैं । यह तो मैंने भी देखा है । एक का मैंने तबादला भी करवाया वह सैम्पिल भर लेते हैं लेकिन जब उन्हें घूस मिल जाय तब तो दूध में कोई मिलावट नहीं और घूस न दो तो अदालत में जाओ, जेलखाने में जाओ । लेकिन यह गड़बड़ आपने ही करा रखी है । अगर उनको पेट भर कर रोटी मिले, उनको वेतन ठीक मिले, उनके कपड़े का इन्तजाम कर दो, उनके मकान का इन्तजाम कर दो तो वे यह सब गड़बड़ी क्यों करें ? अगर इतना देने के बाद वह गड़बड़ी करे तो उसकी मुश्कें बांध कर जेल में डलवा दो । अगर वेतन नहीं दोगे तो भूखा सिपाही करेगा क्या ? १२० रु० ग्राम सेवक को देते हैं और सैनीटरी इंसपेक्टर को भी इतना ही देते हैं । बड़ा वेतन पाने वाले डबल रिश्वत लेते हैं । मैं कहता हूं कि इनकी बादी बढ़ रही है, चरबी बढ़ रही है, कब्जी बढ़ रही है और वे चिल्ला रहे हैं कि दर्द हो रहा है, हाय हाय कर रहे हैं । दूसरी तरफ लोग भूख से तिलमिला रहे हैं, रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है । सोशलिस्ट पार्टी यह कहती है कि जिसके बादी हो रही है, गर्म पानी की बोतल से डाक्टर सेंकवा रहे हैं उसकी बादी पहले छांट कर कम कर दो । एक हजार से ज्यादा किसी को वेतन मत दो । और यह जो आपने बड़े बड़े सेठ चुनाव के लिये पाल रखें हैं इनको खतम करो । इनसे आपको एक एक उम्मीदवार के लिये १० हजार रुपया मिलेगा, हमें तो कोई छदाम भी नहीं देगा । हमारे पास तो ढाई सौ रुपया जमानत को भी नहीं था और न अब हैं । अगर यही आपकी हालत रही तो हम तो मरेंगे ही लेकिन इस सन् १९६७ के चुनाव में आपको भी जनता समझ लेगी । हमसे भी लोग कहते हैं कि तुम भी कांग्रेसियों के चचेरे भाई हो । हम नहीं बचेंगे तो तुम में से भी कोई नहीं बचेगा । हुकुम सिंह जी एम०एल०सी० का चुनाव

[श्री लखी सिंह]

लड़ने प्रधानों के पास क्यों गये ? अगर जनता का विश्वास होता तो श्री शिव प्रसाद गुप्त और श्री हुकुम सिंह जी क्यों प्रधानों के पास वोट के लिये जाते ? ७–८ महीने बाद जनता में जाकर वे चुनाव लड़ते। मैं चाहता हूं कि छोटे कर्मचारियों के विषय में कमेटी अधिक ध्यान देती जो कि उसने नहीं दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।

देवकीनन्दन मित्थल,

सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
११ अप्रैल, १९६६।

नत्थी "क"

[देखिये नियम ३९(२) के तारांकित प्रश्न १२ तथा १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२–२३ पर]

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में जड़ीबूटी के उपज व काश्त के लिए शासन द्वारा चालू योजनाओं की संक्षिप्त रूपरेखा।

फल उपयोग निदेशालय के अन्तर्गत औषधीय जड़ी-बूटी उगाने की दो विशेष योजनायें चल रही हैं जिनकी रूपरेखा इस प्रकार है:—

१—राजकीय उद्यान चौबटिया एवं स्यौनी क्षेत्रों में जड़ी बूटियों का शोध कार्य, विकास एवं काश्त।

जड़ी बूटियों की काश्त के संबंध में शोध (Research) विकास एवं काश्त (Development and cultivation) करने के उद्देश्य से चौबटिया उद्यान क्षेत्र में एक भेषज प्रक्षेत्र (Drug Farm) वर्ष १९६०–६१ में खोला गया। इसके लिये ६५०० फीट की ऊंचाई पर २५ एकड़ भूमि वन विभाग से प्राप्त हुई। इस क्षेत्र में प्रादेशिक जड़ी बूटी विकास समिति की स्वीकृति पर निम्नलिखित जड़ी बूटियों के बीज एवं पौधे लगाये गये:

(१) डिजीटेलिस लैनाटा।
(२) डिजीटैलिस परप्यूरिया।
(३) एट्रोपा बैलाडोना।
(४) एट्रोपा ऐक्यूपिनेटा।
(५) पुदीना प्रजाति आदि।

इन औषधियों में डिजीटैलिस लैनाटा विशेष कर उगाया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त जड़ी-बूटी की बहुत सी नई जातियां विदेशों से मंगायी गयी हैं, जिनको चौबटिया जलवायु के अनुकूल पाने हेतु परीक्षण किया गया।

उक्त प्रक्षेत्र को स्थापित करने का उद्देश्य प्रारम्भ में जड़ी बूटी उगाने का कार्य करने का है। इस उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता मिल रही है।

चौबटिया भेषज प्रक्षेत्र की सफलता को देखते हुए एक और २५ एकड़ का भेषज प्रक्षेत्र चौबटिया से कम ऊंचाई पर स्यौनी, (जिला अल्मोड़ा) में, जिनकी ऊंचाई ५३०० फीट है, वर्ष १९६२–६३ में स्थापित किया गया। चौबटिया भेषज प्रक्षेत्र में शोध द्वारा जिन जड़ी बूटी में सफलता मिली है उन्हीं को स्यौनी भेषज प्रक्षेत्र में उगाया जा रहा है।

इन दोनों भेषज प्रक्षेत्र का उद्देश्य किसानों को जड़ी बूटी की काश्त को अपनाने में सफल जड़ी बूटियों के बीज तथा पौधे वितरण की सुविधा प्रदान करना है।

२—उत्तराखंड प्रयोग के भारत–तिब्बत सीमान्त क्षेत्रों के बहुधन्धी उद्यानों में जड़ी-बूटी की काश्त।

फल उपयोग निदेशालय के अन्तर्गत सन् १९५८–५९ में विभिन्न ऊंचाई के पांच बहुधंधी उद्यान क्षेत्रों, बलान्ती, क्वींटी, सिखी (जिला पिथौरागढ़)। परसारी (जिला जमोरी) तथा रेथल (जिला उत्तरकाशी) में जड़ी बूटी के प्रारम्भिक परीक्षण, काश्त तथा उत्पादन का कार्य शुरू किया गया। इन प्रत्येक प्रक्षेत्रों में लगभग २ एकड़ भूमि पर हिमालय प्रदेश में पाई जाने वाली तथा प्रदेश के बाहर से प्राप्त जड़ी बूटियां को प्रयोगात्मक ढंग से लगाया गया और फल स्वरूप कुछ जड़ी बूटियों की काश्त में सफलता पायी गयी।

उत्तराखण्ड में चल रही योजना की रूपरेखा

जड़ी बूटियों के संग्रहण एवं कृषि के लिए एक योजना उत्तराखंड के १३ विकास खंडों में चालू है। इस योजना के अन्तर्गत इस उद्योग के विभिन्न पहलुओं तथा सर्वेक्षण, संग्रहण, परीक्षण एवं कृषि इत्यादि पर आवश्यक ध्यान दिया जा रहा है। यह कार्य सरकारी अन्वेशणशाला, रानीखेत के तत्वावधान में किया जा रहा है। इस योजनाकाल में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत संग्रह कर्त्ताओं के प्रशिक्षण वृत्तिग्राही प्रशिक्षण, योजना के संचालन के लिए आवश्यक कर्मचारियों का तकनीकी प्रशिक्षण तथा उत्तराखंड के प्रत्येक जिले के लिये एक वनौषधि कृषि प्रदर्शन इकाई (यूनिट) की स्थापना का कार्य किया गया है। सहकारी वनौषधि संग्रहण और जड़ी बूटियों की कृषि की प्रस्ताविक कार्यवाही भी की जा रही है। अगली पंचवर्षीय योजना में इस कार्य को अधिक व्यापक रूप से विस्तृत करने की प्रस्तावना है और संग्रहण तथा कृषि के लिये ग्रामीण जनता को ऋण एवं अनुदान सुलभ करने का भी निश्चय किया जा रहा है। उत्तराखंड के समस्त विकास क्षेत्रों में यह कार्य चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में बढ़ाने का प्रस्ताव है।

नत्थी "ख"

[देखिये नियम ३९(२) के तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६ पर]

तालिका "क"

क्रम-संख्या	मांग	विभागीय कृत कार्यवाही
१	एटा से अलीगढ़ जिला में स्थानान्तरण के लिये दिये गये प्रार्थना-पत्र पर विचार	यह प्रार्थना-पत्र संबंधित कार्यालय में नहीं मिल रहा है। चूंकि श्री सुरेंद्र पाल सिंह अलीगढ़ के निवासी हैं अतः विभाग की सामान्य नीति के अनुसार उन्हें अलीगढ़ में नहीं नियुक्त किया जा सकता है।
२	प्रतिवेदनों पर निर्णय तथा कृषि मंत्री जी से मिलने के लिये अनुज्ञा।	श्री यस०पी० सिंह द्वारा दिये गये सभी प्रत्यावेदनों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। जहां तक कृषि मंत्री जी से मिलने की अनुज्ञा का प्रश्न है चूंकि श्री सिंह के सभी मामलों पर विचार हो रहा है, अतः मिलने की अनुज्ञा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं समझी गयी।
३	पावनों का भुगतान।	विवरण तालिका (ग) में दिया गया है।

तालिका (ग)

पावने जो राज्य कृषि विपणन अधिकारी लखनऊ के कार्यालय से सम्बन्धित हैं		उन पर की गयी कार्यवाही
	रु०	
१—यात्रिक भत्ता दिनांक १८ जून, १९६३ ..	२१·४२	इस कार्यालय में उपलब्ध पत्र व्यवहार के अनुसार कुल भत्ते केवल रु० ५२२–८८ पैसों के थे जिनका विवरण निम्नलिखित है:
२—यात्रिक भत्ता मास दिसम्बर, १९६३ ..	१२१·१४	
३—यात्रिक भत्ता जनवरी, १९६४	१२७·२०	
४—यात्रिक भत्ता फरवरी, १९६४ ..	७७·१२	
५—यात्रिक भत्ता मार्च, १९६४	५२·०६	
६—यात्रिक भत्ता अप्रैल, १९६४ ..	१०४·४८	
७—यात्रिक भत्ता मई, १९६४	३७·४६	
८—पैकिंग मैटीरियल गाड़ी भाड़ा कुली आदि को खर्चा जो मैट्रिक चैनों पर मैंने किया है ..	४·००	
योग ..	५४४·८८	

	रु०
जून, १९६३ ..	२१·४२
दिसम्बर, १९६३ ..	११८·१४
जनवरी, १९६४ ..	१२७·२०
फरवरी, १९६४ ..	६२·१२
मार्च, १९६४	५२·०६
अप्रैल, १९६४ ..	१०४·४८
मई, १९६४ ..	३७·४६
योग ..	५२२·८८

पावने जो राज्य कृषि विपणन अधिकारी लखनऊ के कार्यालय से सम्बन्धित हैं		उन पर की गयी कार्यवाही
		इनमें से रु० २१–४२ का यात्रिक भत्ता अस्वीकार किया जा चुका है और सहायक कृषि विपणन अधिकारी आगरा को सूचित कर दिया गया है कि श्री सिंह को उसकी सूचना दे दें। शेष भत्तों में बहुत सी त्रुटियां होने के कारण उनको सहायक कृषि विपणन अधिकारी, आगरा के माध्यम से शुद्धि हेतु श्री सिंह को लौटा दिया गया था। उन्होंने वे यात्रिक भत्ते अक्तूबर, ६४ में लौटाये। परन्तु त्रुटियां पूर्ण रूप से दूर नहीं हुई थीं अतः उनसे पुनः इन्हें दूर करने को कहा गया। श्री सिंह ने जनवरी, १९६५ में अपना उत्तर भेजा परन्तु फिर भी सब बातों का पूर्ण उत्तर उपलब्ध नहीं किया। उनको पुनः दिनांक १२–२–६५ को कहा गया कि सारी बातों का उत्तर दें परन्तु उनका उत्तर जो जून, १९६५ में आया पूर्णरूप से संतोषजनक नहीं पाया गया। ऐसी परिस्थिति में आगे की देर बचाने के लिये यह उचित समझा गया कि जो पावने (क्लेम) नियम संगत तथा उचित हैं उनको स्वीकार करके यात्रिक भत्तों को पास कर दिया जाय। ऐसी कार्यवाही की जा रही है। यह भत्ते ए० जी० द्वारा प्रीआडिट होने के पश्चात् श्री सिंह को भुगतान कर दिये जायेंगे। आइटम ८ के विषय में यह बताना है कि ऐसा कोई पावना या वाउचर इस विभाग में उपलब्ध नहीं है।
पावने जो सहायक कृषि विपणन अधिकारी, कानपुर के कार्यालय में शेष हैं।		
१—गाड़ी पल्लेदारी व कुली आदि का खर्च जो कार्यालय का सामान पुरानी इमारत से नई इमारत में लाने का हुआ।	७·००	यह खर्च सहायक कृषि विपणन अधिकारी, कानपुर द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था कारण यह कि खर्च की मंजूरी पहले नहीं ली गयी थी वाउचर भी २०–६–६३ को उनको वापस कर दिया गया था।
२—रबर सील बनवाने का खर्च ..	१·५०	ऐसा कोई बिल या वाउचर प्राप्त नहीं हुआ।
	८·५०	
पावने जो सहायक कृषि विपणन अधिकारी, आगरा के कार्यालय में अवशेष हैं?		
१—सालाना वेतन वृद्धि सन् १९६३ व ६४ ..	२२८·००	श्री सिंह की सालाना वेतन वृद्धि सेवा पुस्तिका उपलब्ध न होने के कारण नहीं स्वीकृति की जा सकी। जैसे ही सेवा पुस्तिका इस कार्यालय में प्राप्त हुई उनकी वार्षिक वृद्धि

	रु०	ता० १४–१–६६ को (१३–११–६३ से) स्वीकृत कर दी गयी। इसका भुगतान ए० जी० द्वारा प्रीआडिट हो जाने पर किया जा सकेगा।
२—बिजली के मीटर का किराया ६ माह का यानी १५ अप्रैल से अक्तूबर, १९६४ तक	१२·००	सहायक कृषि विपणन अधिकारी, आगरा ने सूचित किया है कि यह बिल उनके कार्यालय में कभी भी प्राप्त हुए मालूम नहीं होते। उन्होंने इसके विषय में श्री सिंह को १–१२–६५ को सूचित कर दिया था जिसका उत्तर श्री सिंह ने अभी तक नहीं दिया। अतः इसका उत्तर-दायित्व स्वयं उन पर ही है।
३—छत के बिजली के पंखे को ठीक कराने का खर्च	४०·००	
४—छत के बिजली के पंखे के चलने में खर्च	५·००	
५—वेतन ता० १३ दिसम्बर, १९६४ से ३० अप्रैल तक	१३८९·९०	यह वेतन श्री सिंह के छुट्टी के मामले में रुका हुआ है। वे अनियमित रूप से छुट्टी चले गये थे तथा निरन्तर उसे बढ़ाते रहे। इस विषय में उन पर अनुशासन संबंधी कार्यवाही की गयी है जिसका निर्णय शेष है। निर्णय हो जाने पर छुट्टी के विषय में कार्यवाही की जा सकेगी।
	१६७५·५०	

पावने जो सहायक कृषि विपणन अधिकारी, मेरठ के कार्यालय में शेष हैं:

१—गाड़ी भाड़ा, कुली आदि का खर्च जो बिजली पंखा व वक्स लाने पर हुआ है	२·७५	यह वाउचर सहायक विपणन अधिकारी, मेरठ के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। न ही श्री सिंह ने कभी उनके बारे में कोई स्मृति-पत्र उनको भेजा।
२—बिजली के पंखे को फिट कराने का खर्च	३·५०	
	६·२५	

पावने जो जिला कृषि अधिकारी, एटा एवं विकास क्षेत्र अधिकारी निधौली कला एटा के कार्यालय में अवशेष हैं—

	रु०	उन पावनों में से क्रम १ व ४ जो कि क्रमशः रु० २४३–१६ व रु० ४१९–६० धनराशि के हैं उसका पूर्ण भुगतान माह फरवरी, ६६ के प्रथम सप्ताह में किया जा चुका है। क्रम संख्या २ पर जो धन ८२५–०० रु० दर्शाया है उसके सम्बन्ध में श्री सिंह को योगदान तिथि से इनीशियल वेतन मय वैधानिक मंहगाई भत्तों से १७५–०० रु० प्रतिमाह से ३५०–०० दिये जा चुके हैं। अवशेष पावनों के भुगतान के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
१—स्थानान्तरण का यात्रा भत्ता	२४३·१६	
२—वेतन माह मई, जून एवं जुलाई, ६५	८२५·००	
३—वेतन माह अगस्त, सितम्बर, नवम्बर, दिसम्बर, ६५ तथा जो कम दिया गया	६३७·५०	
४—यात्रा भत्ता जुलाई से दिसम्बर, ६५ तक	४१९·६०	
	२१२५·२६	

नत्थी "ग"

(देखिए तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६ पर)

तालिका

१—राजपत्रित पद—

(१) संयुक्त कृषि निदेशक (सांख्यिकी)
(२) सांख्यिक
(३) सांख्यिकीय अधिकारी
(४) फील्ड आफिसर

२—अराजपत्रित पद—

(१) फील्ड इन्वेस्टिगेटर
(२) स्टैटिस्टिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट
(३) सांख्यिकीय सहायक
(४) सांख्यिकीय अनुसंधाता
(५) स्टैटिस्टिकल इन्सपेक्टर
(६) संगणक
(७) कनिष्ठ सांख्यिकीय सहायक
(८) संकलक
(९) सीनियर रिसर्च असिस्टेन्ट
(१०) फील्ड असिस्टेन्ट
(११) इन्सपेक्टर
(१२) फील्ड इन्वेस्टिगेटर
(१३) एकाउन्टेन्ट
(१४) असिस्टेन्ट एकाउन्टेन्ट
(१५) मुख्य लिपिक
(१६) सीनियर नोटर ड्राफ्टर
(१७) रेकर्ड व एकाउन्ट क्लर्क
(१८) रूटीन क्लर्क
(१९) स्टेनोग्राफर
(२०) पेड अप्रेन्टिस
(२१) चपरासी
(२२) अर्दली
(२३) स्वीपर
(२४) फर्राश
(२५) सायकिल वाचमैन
(२६) पोर्टर
(२७) दफ्तरी
(२८) वाटरमैन

नत्थी "घ"

(देखिय तारांकित प्रश्न संख्या ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७ पर)

विकास क्षेत्र	प्रत्येक केन्द्र में नियुक्त दुकानदार का नाम		प्रत्येक माह में दी जाने वाली मात्रा लीटर में	
			जनवरी	फरवरी
१	२		३	
सुमेरपुर	श्री जै नरायन (चैनपुर)	..	२५९ लीटर	५१८ लीटर
	श्री गिरजा सिंह पनई (बुजुर्ग)	..	,,	,,
	श्री बिन्दादीन (मनिकापुर)	..	,,	,,
	श्री मुनेश्वरसिंह (थरि)	..	,,	,,
	सहकारी संघ (छाछीराई खेड़ा)	..	,,	,,
	श्री महिपाल सिंह (जमीपुर)	..	,,	,,
	साधन स० स० (सहिला)	..	,,	,,
	श्री काशी प्रसाद (बिहार)	..	१२९.५	२५९
	श्री राजाराम (बिहार)	..	,,	,,
	सहकारी संघ (गौरा)	..	२५९	५१८
	श्री बजरंग सिंह (पाटन)	..	,,	,,
	श्री राजाराम सिंह (दुबाई)	..	,,	,,
	श्री श्रीपाल सिंह (अहरावर)	..	,,	,,
	श्री जगदीश नारायण (भगवन्तनगर)	..	९६२	१९२४
	श्री राम नरायण (पतारी)	..	२५९	५१८
	श्री राम औतार (बा० खेड़ा)	..	,,	,,
	श्री नाजिम अली (सवाइन)	..	,,	,,
	श्री चन्द्रभूषण (हमीरपुर)	..	,,	,,
	श्री भिखारी (धनकौली)	..	,,	,,
	श्री देवी चरन (भदेउरा)	..	,,	,,
	श्री वीरेन्द्र सिंह (मुबारकपुर)	..	,,	,,
	श्री जमुना प्रसाद (ऊंच गांव)	..	,,	,,
	श्री पचौ लांघ (जगतपुर)	..	,,	,,
	श्री राम भरोसे (परसेनदा)	..	,,	,,
	श्री सत्य नरायन (कोटपर)	..	,,	,,
	श्री देवता शंकर (पकरा बुजुर्ग)	..	,,	,,
बीघापुर	श्रीमल शंकर (रामपुर)	..	२५९	५१८
	श्री अगनू लाल (रावतपुर)	..	,,	,,
	श्री भगवान सिंह (सगवर)	..	,,	,,
	श्री सूर्यबली सिंह (बारा)	..	,,	,,
	श्री रामकृष्ण (पुराना)	..	,,	,,
	श्री दर्शन (खरझारा)	..	,,	,,
	श्री सुन्दर सिंह (अकबरपुर)	..	,,	,,
	श्री रघुबर (बरदहा)	..	,,	,,

१	२		३	
			लीटर	लीटर
बीघापुर	श्री मकदूम अली (का०दि० खेड़ा)	..	२५९	५१८
,,	श्री बदलू (टेड़ा)	..	,,	,,
,,	श्री सरजू (चिलौली)	..	,,	,,
,,	श्री दुर्गाबिक्स सिंह (करमी)	..	,,	,,
,,	श्री सुरेश चन्द्र (रूझई)	..	,,	,,
,,	श्री कृष्ण कुमार (बीघापुर कलां)	..	१२९.५	२५९
,,	श्री वली मोहमल (बीघापुर कलां)	..	,,	,,
,,	श्री चन्द माधो पांडे (बीघापुर खुर्द)	..	,,	,,
,,	श्री मार्तण्ड बाजपेई (बीघापुर खुर्द)	..	,,	,,
,,	श्री राम शंकर (मगरायर)	..	२५९	५१८
,,	साधन सहकारी समिति (ओसिया)	..	,,	,,
,,	श्री बृन्दाबन (घुनई खेड़ा)	..	,,	,,
पुरवा]	श्री पंचम लाल (ऊंच गांव)	..	,,	,,
,,	श्री राम प्यारे (अ० पासाखेड़ा)	..	,,	,,
,,	श्री शिव शंकर (त्रिपरारिपुर)	..	,,	,,
,,	श्री बाबू लाल (जमालपुर)	..	,,	,,
,,	श्री गुलाब सिंह (बनिया गांव)	..	,,	,,
,,	श्री नरायन स्वरूप (कसरौर)	..	,,	,,
,,	श्री बद्री प्रसाद (मझगवा सदकू)	..	,,	,,
,,	श्री गंगा शंकर (ऊंच गांव)	..	,,	,,
,,	श्री स्वामी दयाल (चमियानी)	..	,,	,,
,,	श्री राजा राम (अहरामऊ)	..	,,	,,
,,	श्री रमेश चन्द (मझगवां सेवक)	..	,,	,,
,,	साधन सहकारी समिति (बेहटा भवानी)		१२९.५	२५९
,,	साधन सहकारी समिति (मुलाहिमपुर) भवानी		,,	,,
,,	श्री गोवर्धन (पुरन्दरपूर)	..	२५९	५१८

नत्थी "ङ"

(देखिए ता० प्रश्न संख्या ३९–४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४ पर)

इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, गाजियाबाद को गत तीन वर्षों में भवन निर्माण के लिए दिये गये ऋणों का विवरण

योजना का नाम/वर्ष	ऋण की धनराशि	किन शर्तों पर धन केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकार को प्राप्त हुआ	किन शर्तों पर राज्य सरकार ने ऋण इम्प्रूवमेंट्रस्ट, गाजियाबाद को भवन निर्माण के लिये दिया
(१) अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना	रु०	भारत सरकार से ५ १/४ प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज पर प्राप्त हुआ तथा ऋण लौटाने की अवधि समान वार्षिक किश्तों में ३० वर्ष है।	राज्य सरकार ने ५ ३।४ प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज पर ऋण ट्रस्ट को दिया। ऋण सरकार को ३० समान वार्षिक किस्तों में लौटाना है। ऋण से बनाये गये मकान का मूल्य रु० ८,००० से अधिक नहीं होगा तथा मकानों की कुल लागत का २० प्रतिशत ट्रस्ट अपने पास से खर्च करेगी। बनाये गये मकान ट्रस्ट की सम्पत्ति होंगे जिन्हें वह बिना लाभ बिना हानि के सिद्धान्त पर बेच सकता है या किराये पर उन लोगों को दे सकता है जिनकी वार्षिक आय ६,००० रु० तक है तथा जिनका अपना कोई मकान नहीं है।
१९६३–६४	४,००,०००		
१९६४–६५			
१९६५–५६	४,७५,०००	भारत सरकार से ५ ३/४ प्रतिवर्ष ब्याज पर प्राप्त हुआ तथा ऋण लौटाने की अवधि समान वार्षिक किश्तों में ३० वर्ष है।	१९६५–६६ में ट्रस्ट को ६ १/४ प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज पर ऋण दिया गया। ऋण की अन्य शर्तें वही है जो ऊपर दी गई हैं।
(२) मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण योजना		यह रुपया केन्द्रीय सरकार के माध्यम से जीवन बीमा निगम से ५ १/२ प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर राज्य सरकार को प्राप्त हुआ। इसे निगम को २५ समान वार्षिक किस्तों में लौटाना है।	राज्य सरकार ने यह ऋण ट्रस्ट को ९ प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज पर दिया है किन्तु ठीक समय पर ऋण की अदायगी की दशा में ट्रस्ट को ३ प्रतिशत की छूट मिलेगी। मकानों की कुल लागत का २० प्रतिशत ट्रस्ट स्वयं खर्च करेगा। मकान की कुल लागत २०,००० रु० से अधिक नहीं होगी। यह मकान उन लोगों के लिये बनाये जायेंगे जिनकी वार्षिक आय ६,००० रु० से अधिक तथा १५,००० रु० तक है।
१९६३–५४	५,००,०००		
१९६४–६५	—		
१९६५–६६	—		

नत्थी "च"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८ पर)

वित्तीय वर्ष १९६४–६५ में विभिन्न व्यक्तियों को दी गई धनराशियां

क्रम संख्या	अनुदान प्राप्त कर्त्ता का नाम	धनराशि
		रु०
१	श्री भलखान सिंह कटारा, लेक्चरर बनस्पति शास्त्र जाट वैदिक कालेज, बड़ौत, मेरठ	५००
२	श्री भुलख राज गावा, बी० एस० सी०, ए० जी० (इन्जीनियरिंग) एवं टेक्नोलाजी तृतीय वर्ष, यू० पी० एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, पन्तनगर, नैनीताल	१५०
३	श्री हरीश कुमार श्रीवास्तव, बी० एस० सी० (एग्रीकल्चर और ए० यच० कक्षा तृतीय वर्ष) यू० पी० एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, नैनीताल ..	१५०
४	श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह, एम० एस० सी० (बनस्पति शास्त्र) द्वितीय वर्ष, राजकीय कृषि महाविद्यालय, कानपुर	१५०
५	श्री माता प्रसाद पांडेय बी० एस० सी० (एग्रीकल्चर द्वितीय) वर्ष, राजकीय कृषि महाविद्यालय, कानपुर	१५०
६	श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव, एम० एस० सी० (एग्रीकल्चर एवं हार्टीकल्चर) प्रथम वर्ष राजकीय कृषि महाविद्यालय, कानपुर ..	१५०
७	श्री राम प्रसाद सुत श्री द्वारिका प्रसाद, बी० एस० सी०, (एग्री०) प्रथम वर्ष, राजकीय कृषि महाविद्यालय, कानपुर	१००
८	श्री इस्लाम मोहम्मद सिद्दीकी, हल्द्वानी, नैनीताल	५००
९	श्री त्रिवेणी चन्द्र शर्मा, तृतीय वर्ष (एग्रीकल्चर) इन्जीनियरिंग एवं टेक्नोलाजी, यू० पी० एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, पन्तनगर, नैनीताल ..	१५०
१०	श्री राम कठिन सिंह, ताजोपुर मऊ, आजमगढ़ ..	५००
११	श्री महेन्द्र सिंह, बी० एस० सी० (एग्रीकल्चर) क्लास, जाट कालेज, मुजफ्फरनगर	१५०
१२	श्री सतीश कुमार, एम० एस० सी० (एग्रीकल्चरल) द्वितीय वर्ष (बनस्पति शास्त्र) जाट वैदिक कालेज, बड़ौत, मेरठ	१५०
१३	श्री जय प्रकाश मलिक एम० एस० सी०, (एग्रीकल्चर) प्रथम वर्ष, राजकीय कृषि महाविद्यालय, कानपुर	१५०
१४	श्री चन्द्र हरि मिश्रा, एम० एस० सी०, (एग्रीकल्चर) प्रथम वर्ष, राजकीय कृषि महाविद्यालय, कानपुर	१५०
१५	श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, एम० एस० सी०, (एग्रीकल्चर) प्रथम वर्ष, राजकीय कृषि महाविद्यालय, कानपुर	१५०
१६	श्री प्रेम मोहन निगम, एम० एस० सी०, (एग्रीकल्चर) प्रथम वर्ष, राजकीय कृषि महाविद्यालय, कानपुर	१५०

रु०

१७—श्री जगदीश भूषण पांडेय, तृतीय वर्ष, एग्रीकल्चर इन्जीनियरिंग एवं टेक्नोलाजी, यू० पी० एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, नैनीताल .. १५०

१८—श्री एन० सी० गोविन्द राव, एम० एस० सी० (एग्रीकल्चर) प्रथम वर्ष कृषि कालेज, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी .. १५०

१९—श्री सुभाष इन्टर कालेज, मथुरा २,५००

२०—जनता हायर सेकेन्डरी स्कूल, मुजरा पोस्ट अग्रवाल मंडी, मेरठ .. २,५००

२१—श्री बृहस्पति सिंह, एम० एस० सी० (एग्रीकल्चर) द्वितीय वर्ष, राजकीय कृषि महाविद्यालय, कानपुर १००

२२—श्री उमाशंकर लाल श्रीवास्तव, कृषि महाविद्यालय, कानपुर .. १००

२३—श्री एस० बी० मोहम्मद, यू० पी० एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पन्त नगर, नैनीताल १००

२४—श्री कृष्ण कुमार लाल, रिसर्च स्कालर भूगोल विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी ५००

२५—श्री गोविन्द बल्लभ डिग्री कालेज, कछला, बदायूं .. ५००

२६—श्री वशिष्ठ नारायण सिंह, स्टाक मैन ट्रेनिंग, चक गंजरिया .. १५०

२७—श्री ब्रह्मदत्त दुबे, स्टाक मैन ट्रेनिंग, चक गंजरिया २४०

२८—प्रमुख क्षेत्र समिति, सिभांवली, मेरठ १००

२९—प्रिंसिपल कन्या गुरुकुल महिला विद्यालय, हाथरस .. २,५००

३०—४ स्टाक मैन ट्रेनिंग १६०

३१—श्री बिन्देश्वर प्रसाद, स्टाक मैन ट्रेनिंग, चक गंजरिया .. ३०

३२—प्रिंसिपल डिग्री कालेज, गाजीपुर २,५००

३३—श्री शिव मोहन लाल, यू० पी० एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पन्तनगर, नैनीताल ५००

३४—सेक्रेटरी, सोसाइटी फार प्रीवेन्शन आफ क्रयुवेलिटी आन एनीमल्स, बरेली १,०००

३५—श्री भगवती प्रसाद भट्ट, वेटेरीनरी कालेज, मथुरा .. ३२०

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ३७ एल० ए०—१९६६—८६२ ।